खण्ड-180, अंक-5
सोमवार, 7 कार्तिक, शक संवत् 1878
(29 अक्टूबर, 1956 ई0)

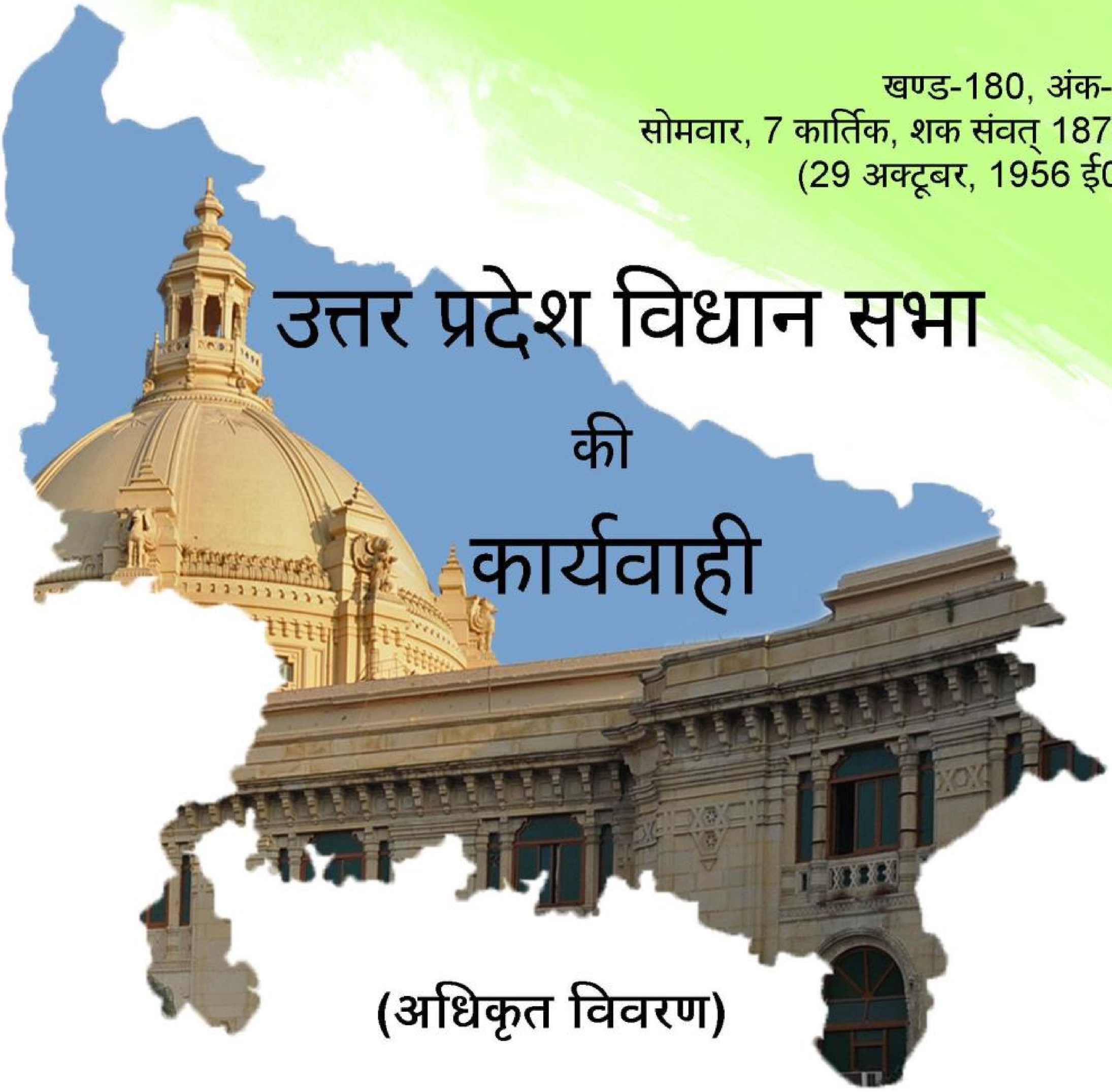

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २९ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीक, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृप शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुलतार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री

चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दातारराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पालीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री

विधान सभा प्रदेश

भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूदआलम ख़ां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महवीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजन रायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीनसिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवधसिंह, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभगवर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर लाल, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २९ अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरे में ताज के निकट पानी लाने के लिए बांध बनाने में आर्थिक कठिनाई

**१---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरे के यमुना के घाटों का विकास और ताज के पास पानी लाने के लिये जो बांध बांधने की योजना का प्रस्ताव आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दिया था, उसके सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---ताज के पास पानी लाने के लिये बांध (weir) बांधने के प्रस्ताव में चीफ इंजीनियर, सिंचाई से पूछ ताछ करने पर अनुमान होता है कि इस कार्य में लगभग ६०-७० लाख रुपये का व्यय होगा। चूंकि यह कार्य बहुत बड़ा है इसलिये स्वशासन (इंजीनियरिंग) विभाग से पूछा जा रहा है कि आया वे इस कार्य को करवा सकेंगे कि नहीं।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---अभीतक तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई लिखापढ़ी नहीं हुई है।

श्री देवकीनन्दन विभव---यदि स्वशासन विभाग के इंजीनियरिंग विभाग से इस काम के कराने में कोई कठिनाई हो तो सिंचाई विभाग से सरकार इस को कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, यह तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि स्वशासन विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा गया है कि वह इस कार्य को करा सकता है या नहीं, जब उस का जवाब आ जायगा तब सरकार इस पर आगे विचार करेगी।

श्री देवकीनन्दन विभव---इस प्रश्न का निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---अब यह तो स्वशासन विभाग के इंजीनियरिंग सेक्शन का काम है कि वह जितनी जल्दी रिपोर्ट दे दे।

आगरे में केन्द्रीय कारागार (सेन्ट्रल जेल) को हटाकर मार्केट बनाने की मांग

**२---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार बतायेगी कि आगरा में केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर ले जाने और उसके स्थान में एक विस्तृत मार्केट बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य हुआ है ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---आगरा के केन्द्रीय कारागार को शहर से बाहर ले जाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। उसके स्थान पर विस्तृत मार्केट बनाने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि आगरे का केन्द्रीय कारागार सिविल लाइन्स में है जो कि क्रिमिनालाजी के सिद्धान्त के विरुद्ध है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कारागार सिविल लाइन्स में है इतना तो मालूम है और जहांतक माननीय सदस्य ने कहा कि यह क्रिमिनालाजी के सिद्धान्त के विरुद्ध है, यह भी सही हो सकता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी को विदित है कि आगरे में एक विस्तृत मार्केट की बहुत आवश्यकता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जरूर ।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या मंत्री जी कृपा पर बतायेंगे कि यह कारागार जब बाहर ले जाने का प्रश्न विचाराधीन है तो उस में कितना व्यय होगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---लगभग ५० लाख रुपया ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा शहर में यह कारागार आगरा के लोगों की स्थिति को देखकर ही रखा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---स्थिति तो बदलती रहती है ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी को यह विदित है कि सिविल लाइन्स में जमीन का भाव बहुत अधिक होने के कारण, उसकी जमीन से जो धन प्राप्त होगा उससे काफी व्यय की पूर्ति हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कुछ हदतक हो जायगी ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वहां से कारागार हटाना बहुत जरूरी है तो क्या इसका निर्णय बहुत जल्दी किया जायगा कि मार्केट वहां बन सके ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वहां से हम कारागार को हटा कर मार्केट बना लें लेकिन इस सम्बन्ध में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं जैसे जमीन का मिलना और पैसे का मिलना । साथ ही साथ एक जगह से जेल हटा कर दूसरी जगह जेल बनाने में सामग्री की आवश्यकता होगी उस सामग्री का जुटाना, मार्केट के लिए धन की आवश्यकता है उस धन का जुटाना ये सारी समस्यायें हैं । अगर ये हल हो जांय तो हम मार्केट कल बनालें ।

सितम्बर, १९५६ के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से असरकारी संस्थाओं को सहायता

**३---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सितम्बर, १९५६ की बाढ़ की स्थिति की रिपोर्ट जिसपर सदन ने ११ अक्तूबर, १९५६ को बहस की उसके परिशिष्ट ६ के क्रम ४ पर जो लिखा है कि गैरसरकारी संस्थाओं को सहायता कार्य संगठित करने को धन दिया गया है, वे कौन-कौन सी गैरसरकारी संस्थायें हैं ?

**४---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गैरसरकारी संस्थाओं ने किस-किस तरह का काम किया है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---क्योंकि इस रकम का ताल्लुक सरकारी कोष से नहीं है इसलिए सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री उमाशंकर---क्या यह सत्य है कि मुख्य मंत्री कोष में जो पैसा रहता है वह सरकार के ही खजाने से जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--नहीं, यह चीफ मिनिस्टर साहब का रिलीफ फंड है। उसका प्राइवेट एकाउंट रहता है और प्राइवेट तरीके से उसका आपरेशन होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता जो दी गई है वह किस मद से दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मैंने अभी अर्ज किया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है। प्राइवेट तौर पर यह फंड आपरेट किया जाता है और उसी से यह सहायता दी जाती है।

अक्तूबर, १९५६ में घाघरा तथा राप्ती की बाढ़ से फसल को हानि

**५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५६ के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में घाघरा तथा राप्ती में भीषण बाढ़ आई है जिसके कारण फसलों का विशेष नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, बाढ़ अवश्य आई थी परन्तु भीषण नहीं कही जा सकती। फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घाघरा और राप्ती नदियों से कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--गोरखपुर और बस्ती।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फसलों की हानि रुपये में कितने आने हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--फसलों की हानि आने में तो नहीं रुपयों में जरूर मालूम है। गोरखपुर में ३१ लाख रुपये और बस्ती में ६७ लाख रुपये की।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राप्ती और गंडक की बाढ़ से देवरिया और आजमगढ़ में हानि हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी सूचना कोई नहीं है।

अलीगढ़ जिले में वर्षा से हानि तथा बाढ़ पीड़ितों को सहायता

**६--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में अति वर्षा एवं बाढ़ से कितनी क्षति हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४४० पर)

**७--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने अलीगढ़ जिले में कितना धन बाढ़ अथवा अति वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४१ पर)

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय माल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि अलीगढ़ में चारा और वस्त्रों का कुछ प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--प्राइवेट रिसोर्सेज से जो वस्त्र मिल जाते हैं उनको जिला मैजिस्ट्रेट वितरित कर देता है या जो बहुत गरीब लोग हैं उसमें जो अहेतुक सहायता दी गई है उसमें से वस्त्र खरीद कर दे देते हैं। चारे के लिये सब जगह आर्डर्स पहुंच चुके हैं कि फलां फलां जगह चारा अवेलेबिल है। वहां से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहे तो मंगा सकता है।

श्री नेकराम शर्मा---जो नौ आदमी मरे हैं वे किस तरह से मरे हैं और किन स्थानों के हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी । मरे हैं या तो मकान के गिरने से या बाढ़ में बह कर ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिला अलीगढ़ की सभी तहसीलों में खरीफ की फसल १६ आने नष्ट हो गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां । यह नहीं मालूम की १६ आने नष्ट हो गयी है । लेकिन फसल खरीफ की जरूर नष्ट हुई है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की किस तहसील में और कितनी अधिक से अधिक बारिश हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह अल्पसूचित प्रश्न था । तो जो सूचना मांगी थी वही इसमें मंगा कर दी गयी है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो वह सूचना भी मंगा दी जायगी ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय माल मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन गांवों में मकान नष्ट हो गये हैं उनकी सहायता के लिए ताकि किसान अपने मकान बना सकें सरकार कुछ सहायता देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां । कई मर्तबा यहां बतलाया गया । सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ऐसी सहायता दी जा सकती है ।

आजमगढ़ कलेक्टरी अदालत से मिसिल गुम होने की शिकायत

**८---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हाल में आजमगढ़ कलेक्टरी अदालत से कोई मिसिल गुम हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---आजमगढ़ कलेक्टरी अदालत से कोई पत्रावली (मिसिल) गुम नहीं हुई है ।

**९---श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि जिस मुकदमे की मिसिल गायब हुई थी उसका कोई फैसला नहीं हुआ था और उक्त मुकदमे के संबंध में जिलाधीश, आजमगढ़ को कोई प्रार्थना-पत्र वादी ने दिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रश्न नहीं उठता ।

**१०---श्री उमाशंकर---क्या यह सच है कि मन्त्री, भ्रष्टाचार निवारण समिति, आजमगढ़ ने उक्त मिसिल के सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल भी की थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह खबर पत्रावली कम होने की अखबारों में छपी थी और आजमगढ़ के कलेक्टर के यहां इसके लिए दरख्वास्त भी पड़ी थी, और भ्रष्टाचार समिति के जो मंत्री हैं उन्होंने इसमें कई दिन तक कई लोगों के बयान भी लिये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अखबारों की तो कोई इत्तिला मुझे है नहीं। लेकिन हां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां इस तरह की दरख्वास्त दी गयी थी। लेकिन जांच से मालूम हुआ कि जिस कागज के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी वह कागज मौजूद है मिसिल में। उस पर कार्यवाही हो चुकी है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति के मंत्री भी इसी निर्णय पर पहुंचे हैं।

राबर्ट्सगंज टाउन एरिया, जिला मिर्जापुर के पदाधिकारियों के विरुद्ध गबन की शिकायत

**११--श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या स्वशासन मन्त्री जी को ज्ञात है कि राबर्ट्सगंज टाउन एरिया, जिला मिर्जापुर के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध कोष की गड़बड़ी के सम्बन्ध में मुकदमा चलाने के लिये जिलाधीश ने सरकार से अनुमति मांगी है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां।

**१२--श्री रामस्वरूप--यदि हां, तो वह किन-किन के विरुद्ध शिकायत है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सैयद अली जहीर--मौजूदा शिकायत श्री भोलानाथ चैयरमैन के विरुद्ध है। श्री सूरज नारायण लाल, बक्शी टाउन एरिया का भी इन शिकायतों से कुछ सम्बन्ध है।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप--यह कब तक निर्णय हो जायगा कि उस पर मुकदमा चलाया जाय या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो बहुत जल्दी तय हो जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कुछ प्रभावशाली लोगों ने यह सिपारिश की है कि इस मामले में रिआयत बरती जाय ?

श्री सैयद अली जहीर--मैं समझा नहीं। खुद माननीय सदस्य आये थे मुझ से बातचीत करने। वह मेरी राय इस मामले में जानते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस बातचीत का नतीजा क्या था ?

श्री सैयद अली जहीर--वह तो मैंने कहा कि विचाराधीन है मामला।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ रीजन में परिवहन विभाग के कर्मचारियों का निलम्बन

*१--श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या परिवहन मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि लखनऊ रीजन में कितने परिवहन कर्मचारियों को १९५५-५६ में सस्पेंड किया गया है या निकाल दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कुल ३३ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया तथा ३२ को नौकरी से निकाल दिया गया है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इन कर्मचारियों के सस्पेंशन और डिसमिसल के कारण क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उनकी अयोग्यता और उनका गैरकानूनी तरीके से काम करना, नाजायज काम करना। भिन्न-भिन्न प्रकार के चार्जेज थे जिसमें वे सस्पेंड किये गये और निकाले गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या इन निकाले जाने वाले लोगों की सूची में वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें १ महीने का नोटिस दे कर निकाला गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। ऐसे भी लोग हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतावेंगे कि ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें एक महीने का नोटिस दे कर निकाला गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ३३ आदमी मुअत्तल हैं वे कब से हैं और उनको कुछ वेतन भी मिला है सस्पेंशन पीरियड में ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो ३३ आदमी मुअत्तल मैंने बतलाये उनमें से २२ निकाल दिये गये और ११ आदमी सस्पेंशन के बाद पुनः नौकरी में रख लिये गये।

श्री अध्यक्ष---इसमें ३२ की संख्या भी दी हुई है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---उसमें १० आदमी वैसे थे जो सस्पेंड नहीं थे बल्कि उनके खिलाफ और अभियोग थे जितने इस साल निकाले गये उनकी संख्या ३२ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि लखनऊ रीजन में निकाले जाने वाले लोगों में ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनको पहले निकाल दिया गया था बाद को फिर बहाल कर दिया गया और बहाली के बाद फिर १ महीने का नोटिस दे कर उनकी सर्विसेज टरमिनेट कर दी गईं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो लोग निकाले गये हैं उनमें अधिक ड्राइवर और कंडक्टर हैं और उच्चकोटि का कोई कर्मचारी नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह फेहरिस्त तो मेरे पास नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि अधिकतर ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हों।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही है कि जो कर्मचारी सस्पेंड किये गए थे उनके सस्पेंशन की अवधि में ही नये कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अब यह तो सुविधानुसार अस्थायी तरीके से कुछ रखे गये हों तो रखे गये हों। इसके लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

लखनऊ रीजन में परिवहन विभाग के स्टोर से चोरी

*२---**श्री रामेश्वरलाल**---क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ रीजन के विभागीय स्टोर से सन् १९५५-५६ में कितना-कितना, क्या-क्या सामान गायब हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५५-५६ में लखनऊ के विभागीय स्टोर से १२-२-५६ को २२ आइरन जायस्ट जिसकी कीमत ६०० रु० है, और ९-३-५६ को पिछले पहियों के ड्रम, हब तथा दो हाफ शाफ्ट जिनकी कीमत ५२३ रु० है, गायब हुये।

श्री रामेश्वरलाल—क्या मंत्री जी बतलावेंगे कि जो सामान की चोरी हुई उसमें चोरों का पता लगा? यदि हां, तो वह कौन लोग थे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी चोरों का पता नहीं लगा। पुलिस को इसकी रिपोर्ट हो गई है?

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसकी इन्क्वायरी किसने की और कौन कर रहा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया न कि कुछ मामले पुलिस में भी रिपोर्ट किये गये हैं और कुछ का विभागीय तरीके से जांच भी हो रही है।

गोरखपुर जिले में चौरी-चौरा के मुन्डेरा बाजार के ठेके के सम्बन्ध में शिकायत

*३—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर चौरीचौरा के मुंडेरा बाजार का ठेका ग्राम सभा के अधीन है या जिलाबोर्ड के? क्या उस ठेके के संबंध में सरकार के पास कुछ शिकायतें आई हैं? अगर हां, तो सरकार ने उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला गोरखपुर चौरीचौरा में स्थित मुन्डेरा बाजार का ठेका न तो ग्राम सभा के अधीन है और न जिला बोर्ड के। यह ठेका जिलाधीश देते आ रहे हैं।

उक्त बाजार के ठेके के संबंध में एक शिकायत सरकार के पंचायत राज विभाग में प्राप्त हुई थी जिस पर संचालक पंचायत राज से रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट आने पर इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जायगी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो शिकायत आयी है उसमें मुख्य शिकायत क्या है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मुख्य शिकायत यह है कि ग्राम सभा के सभापति यह ठेका अपने रिश्तेदारों को मिल कर देते हैं?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि रिपोर्ट पंचायत राज विभाग से कब मांगी गई थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह शिकायत ही पंचायत राज विभाग में हुई थी और वहां से रिपोर्ट डाइरेक्टर पंचायत राज महोदय से मांगी गई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिपोर्ट कब तक आ जाने की संभावना है और यह शिकायत कब आयी थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह रिपोर्ट तो शीघ्र ही अब आ जायगी और शिकायत की तारीख अभी मेरे पास नहीं है। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

मेला मवेशियान अमर सराय, जिला मैनपुरी का ठेका

*४—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेला मवेशियान अमर सराय, तहसील भौगांव, जिला मैनपुरी के ठेके के संबंध में उसके पास कुछ शिकायतें आई हैं? अगर हां, तो उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---जी नहीं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है। अतएव उसके दूर करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले में अन्न का उत्पादन

*५---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में तहसीलवार कुल कितने गल्ले का उत्पादन होता है?

श्री हुकुम सिंह---अलीगढ़ जिले में कुल गल्ले (अर्थात् मुख्य फसलें--धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चना) के औसत उत्पादन के तहसीलवार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:---

तहसील	औसत पैदावार (टन में)
१---अतरौली	५६,४७१
२---कोइल	५१,५४२
३---इगलास	३५,१२१
४---खैर	५७,७१३
५---सिकन्दराराऊ	४७,१९०
६---हाथरस	४४,३९२
योग ..	२,९२,४२९

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था और उसमें कितने प्रतिशत से उन्नति हुई?

श्री हुकुम सिंह---इतना विवरण देने के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी हर जिले के तहसीलवार आंकड़े वहां प्रस्तुत करने की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं जिससे कि हर तहसील को सुविधा हो?

श्री हुकुम सिंह---नोटिस आने पर कोशिश करेंगे।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी योजना में अन्न उत्पादन के लिये कितने प्रतिशत का टार्गेट रखा गया है?

श्री हुकुमसिंह---साढ़े अड़तालीस लाख टन का है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब गल्ले के आंकड़े इकट्ठा किये गये तो उन गल्लों के आंकड़े इकट्ठा क्यों नहीं किये गये जैसे काकुन आदि गल्लों के जिनके नाम मैं नहीं जानता, जो सेल्स टैक्स से मुक्त हैं?

श्री हुकुम सिंह---वह अनइम्पार्टेन्ट हैं इसलिये नहीं लिये गये।

*६-८---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---[स्थगित किये गये।]

ग्राम डेरवा, जिला गोरखपुर में ग्राम सभा की जमीन

*९---**श्री रामेश्वरलाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम डेरवा, बांसगांव, जिला गोरखपुर में २१३ एकड़ जमीन मुहाल नं० २ में पुराने जमींदारों ने लिखाया है जो ग्राम सभा को मिलनी चाहिये थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन आंकड़ों के इकट्ठा करने में इतना विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कारण यह हुआ कि प्रश्न में मुहाल नम्बर २ प्रयोग किया गया जो मुहाल नंबर २ समझा गया, इस कारण देरी हुई ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगले मार्च तक यह सूचना आजायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, आशा तो है, आ जायगी ।

बदायूं जिले में सहसवान तथा सुखौरा बाजारों में पशुओं की लिखाई की शरह

*१०---**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)---क्या सरकार जिला बदायूं के देहात के सहसवान सुखोरा नखासों को जो अब तक जमींदारों के कब्जे में हैं और जिनमें जमींदार सरकारी नखासों से अधिक प्रति पशु की लिखाई लेते हैं, ग्राम सभाओं को दिलवायेगी और लिखाई की शरह नियत करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सहसवान बाजार, सहसावान म्युनिसिपल बोर्ड की हद में एक निजी भूमि पर लगता है । इस लिये जमींदारी विनाश अधिनियम द्वारा न तो यह बाजार सरकार में ही निहित हुआ है और न गांव समाज को दिया जा सकता है । म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर नखासों के रेट म्युनिसिपल बोर्ड बाई-लाज के अन्तर्गत निर्धारित किये जा सकते हैं मगर इस म्युनिसिपल बोर्ड में ऐसे बाई-लाज (Bye-laws) नहीं बने हैं ।

सखरौरा बाजार गांव समाज की भूमि पर लगता है और अन्तिम रूप से गांव समाज में ही निहित है । ऐसी अवस्था में इस बाजार को दोबारा गांव समाज में निहित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस बाजार की लिखाई की शरह जिलाधीश ने निश्चित कर ली है और उसी के अनुसार लिखाई ली जा रही है ।

श्री टीकाराम (बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शरह नियत की गई है उसको बोर्ड पर लगाने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि इसकी शरह दो आने नौ पाई है और मेरे खयाल में वह बोर्ड पर लगा होगा, यदि नहीं तो लग जायगा ।

देवरिया जिले में भूदान यज्ञ के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने में अनियमितता

*११---**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला देवरिया से भूमिदान में कुल कितनी जमीन मिली है और उस प्राप्त भूमि में कितनी जनता द्वारा, तथा कितनी भूमि ग्राम सभापतियों द्वारा प्राप्त हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जिला देवरिया में कुल १६,६४०·५४५ एकड़ जमीन भूदान यज्ञ में प्राप्त हुई और कुल प्राप्त भूमि में से ३,४८०·४१५ एकड़ भूमि जनता द्वारा तथा १३,१६०·१३ एकड़ ग्राम सभापतियों द्वारा प्राप्त हुई ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभा के सभापतियों को ऐसे आदेश हैं कि वह अपनी सम्पत्ति की तरह से गांव समाज की सम्पत्ति को किसी को दान में दे सकते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा कोई आदेश नहीं है । यह जो जमीन गांव समाजों ने भू-दान में दी है यह जरा गलतफहमी से दी है । दान किसी चीज का ओनर ही दे सकता है । गांव समाज ओनर्स नहीं हैं, वे केवल इन्तजाम कर सकते हैं, दान नहीं दे सकते ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायतें आयी हैं कि गांव सभापतियों की राय बिना मांगे ही भू-दान में जमीन दी गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसा तो हो नहीं सकता । गांव सभापति ही देगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार को इस बात का पता है कि पडरौना तहसील के तहसीलदार के लिये प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक रेजोल्यूशन आया था कि उन्होंने इतनी जमीन गांव सभा के सभापतियों से दिलवाई थी इसलिये वे बधाई के पात्र हैं । क्यों इस तरह का गैर कानूनी काम उन्होंने किया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में अनियमितता का सरकार को कब ज्ञान हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी रिपोर्ट आयी । माननीय गेंदा सिंह जी ने भी माल मंत्री से इसकी शिकायत की और उस पर जांच की गयी और जो गलतियां हुई थीं उनको दुरुस्त किया गया और एक सर्कुलर सब जिला मैजिस्ट्रेटों को भेजा गया । उसके अनुसार जिन गांव-सभाजों ने भूमि प्रबन्धक समितियों से मिल कर काश्तकारों को जमीन उठा दी और जो नियमों के अनुसार है वह तो मानी जायगी, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से दी गयी या जो १० फीसदी जमीन कायदे से सुरक्षित रहनी चाहिये और वह सुरक्षित नहीं है और उसमें से उन्होंने दे दिया है तो ऐसी सारी जमीन जो नियमों के विरुद्ध दी गयी है उसको वापस करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जिले में जितनी जमीन गैर-कानूनी तरीके से दी गयी है गांव समाजों द्वारा भू-दान में उसको फिर सरकार गांव समाजों को वापस करायेगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो उत्तर दे दिया गया है ।

राज वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जमीन सभापतियों ने दी है वह अपने अधिकार से दी है या ग्राम समाज से सलाह लेकर दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो अलग-अलग हुआ होगा । कहीं गांव समाज के सभापतियों ने खुद दे दी होगी, कहीं प्रस्ताव पास किया होगा । लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि अगर वह प्रस्ताव नियमों के अनुसार है कि १० फीसदी से अधिक जमीन हो और जो प्रायोरिटी उसमें दी हुई है लैंडलेस वगैरह को, उसके अनुसार अगर दी है तो वह जमीन डिस्टर्ब नहीं की जायगी क्योंकि इस प्रकार उन्हें जमीन उठाने का अधिकार है ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार जो पडरौना के तहसीलदार ने ग्राम समाज के सभापतियों को भू-दान में जमीन देने के लिये मजबूर किया है उसकी जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई शिकायत मजबूर करने की नहीं है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस किस्म की जमीन के मामले को लेकर बहुत से मुकदमें अदालत में चल रहे हैं ? यदि हां, तो उसके ऊपर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी तो कोई सूचना अभी नहीं है ।

झांसी जिले में भरारी तथा सेतपुर डेरी फार्मों में घाटा

*१२---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भरारी डेरी फार्म तथा सेतपुर झांसी में सन् १९५४ से १९५६ मार्च तक प्रतिवर्ष सरकार की ओर से कितना रुपया व्यय हुआ और आय कितनी हुई ?

श्री हुकुम सिंह---आवश्यक सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४२ पर)

श्री गज्जूराम---भरारी फार्म में व्यय ८,८५,४६७ रुपये तथा आय ७,९५,८३२ रुपये हुई है और सेतपुर फार्म में व्यय ६,४२,०७० रुपये और आय ३,६६,६३० की हुई है। इस प्रकार कुल घाटा इनमें ३,६५,०७५ रुपये का हुआ है । तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह घाटा कहां हुआ ?

श्री हुकुम सिंह---जानवरों के सेक्शन में हुआ ।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इन दोनों फार्मों का आडिट कितने वर्षों से नहीं हुआ ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह दोनों भरारी और सैतपुर फार्म कितने समय से स्थित है और क्या आये साल सरकार को उनमें हानि ही उठानी पड़ती है ?

श्री हुकुम सिंह---अरसे से हैं ।

श्री जोरावर वर्मा---इन फार्मों में जो घाटा हुआ है उसका कारण क्या है ?

श्री हुकुम सिंह---भरारी के गायों में दूध कम होता है और सैतपुर में कोई बाजार नहीं है जहां दूध बेचा जाय । इसके अलावा डेप्रीसियेशन चार्जेज और कैपिटल आउटले पर जो इंटेरेस्ट होता है वह देना पड़ता है, इस वजह से घाटा है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार कोई प्रबन्ध दूध को बढ़ाने और बिक्री बढाने के संबंध में कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह---कोशिश करेंगे लेकिन दूध के लिये बाजार क्रियेट करना बड़ा मुश्किल है जब तक कि आप सब लोग दूध पीना न सीखें ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या सरकार ने इतने लम्बे घाटे को देखते हुये इस प्रश्न पर विचार किया है कि ऐसा कदम उठाया जाय जिससे आगे घाटा न हो सके ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, उसके रिआर्गनाइज करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन फार्मों को चालू करने से पूर्व इस संभावना पर भी विचार किया गया था कि जहां ये खोले जा रहे हैं वहां दूध नहीं बिकेगा और घाटा उठाना पड़ेगा ?

श्री हुकुम सिंह---जब खोला गया था उस समय का मुझे पता नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रायः सभी डेयरी फार्म नुक्सान पर चल रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह---डेयरी फार्म कामर्शल लाइन्स पर नहीं चलाये गये थे बल्कि कैटिल ब्रीडिंग की दृष्टि से चालू किये गये। उसमें मुनाफा होना जरा दिक्कत तलब बात मालूम होती है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---देहातों का दूध शहरों को चला जा रहा है इस बात को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार नगरों के डेरी फार्मों को बन्द करने की आवश्यकता पर विचार करेगी?

श्री हुकुम सिंह---यह तो नगरों में नहीं हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फार्म में दूध की माहवारी औसत पैदावार कितनी होती है और उसका क्या उपयोग होता है?

श्री हुकुम सिंह---दूध का घी बनाया जाता है और उसमें इतना मुनाफा नहीं होता।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि झांसी के लोग दूध नहीं पीते हैं या कम पीते हैं? अगर हां, तो क्या वहां के लोगों को दूध पीने की आदत लगाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हुकुम सिंह---यह सही नहीं है, हां यह देवरिया के हाल में सही है।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि यह दूध ठेकेदार द्वारा बेचा जाता है या सरकारी कर्मचारियों द्वारा?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के अस्थायी असिस्टेंट चकबन्दी आफिसर्स

*१३---**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज में कुल कितने ऐसे चकबन्दी कर्त्ता हैं जो अस्थायी तौर पर ए० सी० ओ० के स्थान पर काम कर रहे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में कुल ७ चकबन्दी कर्त्ता ऐसे हैं जो अस्थायी रूप में ए० सी० ओ० के पद पर कार्य कर रहे हैं।

*१४---**श्री रामलखन मिश्र**---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि उपरोक्त तहसील में कितने अमीनों को चकबन्दी कर्त्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उपरोक्त तहसील में कुल १८ अमीनों (चकबन्दी लेखपाल) को चकबन्दी कर्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है।

*१५---**श्री रामलखन मिश्र**---क्या सरकार ने कोई ऐसा विभागीय मापदंड नियत किया है जिसकी पूर्ति पर पदोन्नति की तालिका में अधीनस्थ चकबन्दी कार्यकर्त्ता (विभागीय) आ जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। जिन चकबन्दी लेखपालों का कार्य संतोषजनक रहा, है उन्हें चकबन्दी कर्त्ता के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। उन सब चकबन्दी कर्त्ताओं को जिन्होंने १ वर्ष तक संतोषजनक कार्य कर लिया है सहायक चकबन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार चकबन्दी अधिकारी के पद पर उन सब सहायक चकबन्दी अधिकारियों की पदोन्नति की जा सकती है जिन्होंने सहायक चकबन्दी अधिकारी के रूप में १ वर्ष तक संतोषजनक कार्य कर लिया हो।

श्री रामलखन मिश्र---क्या आदरणीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि चकबन्दी कार्यकर्त्ता को कोई अनुभव ए० सी० ओ० के जुडीशल काम का नहीं होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह जो तरक्की दी जाती है वह योग्य आदमियों को ही दी जाती है। वह एजूकेशनली भी क्वालीफाइड होते हैं और बहुत से ऐसे चकबन्दी कार्यकर्त्ता हैं कि जो इंटरमीडियेट और इंट्रेंस पास हैं। अब तो ग्रेजुएट भी दरख्वास्त देने लगे हैं। उन लोगों को ही ऐसी तरक्की मिलती है और पहले साथ में उनको काम करने का मौका दिया जाता है। इसलिये उनको कोई अड़चन नहीं पड़ती कि वह जुडीशल काम न कर सकें।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि चकबन्दी कार्यकर्ता की ट्रेनिंग और कोर्स पृथक् होता है और ए० सी० ओ० की ट्रेनिंग और कोर्स पृथक् होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। अलाहिदा-अलाहिदा ट्रेनिंग होती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय माल मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन को सहायक चकबन्दी अधिकारी बनाया जाता है उनकी निम्नतम शिक्षा योग्यता क्या रहती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वैसे तो कुछ फिक्स नहीं की गई लेकिन योग्य आदमी हो, कार्य संतोषजनक हो यह है। तो एक इशारा रहता है कि योग्यता में वह क्वालीफाइड भी हों और और कामों में भी योग्य हों।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चकबन्दी का कार्य सात सौ आदमियों से कराया जा रहा है डुमरियागंज में वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वैसे सवाल तो यह दूसरा है लेकिन आशा की जाती है कि वहां जल्दी ही यह कार्य समाप्त हो जायगा और दूसरी जगह शुरू होगा।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि पदोन्नति करने के पूर्व पदप्राप्ति के लिये दो एक सप्ताह की ट्रेनिंग कार्यकर्त्ता को दी जानी चाहिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने जैसा अभी अर्ज किया ये केसेज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन तरक्की का रास्ता खुला रहना चाहिये, यह माननीय सदस्य मानेंगे। अपने ऊपर के अधिकारियों के साथ काम करने का मौका दिया जाता है, इसीलिये उनकी ट्रेनिंग हो जाती है।

झांसी, जालौन तथा हमीरपुर जिलों में कतिपय जागीरदारों को मुआवजा न मिलने की शिकायत

*१६---**राजा वीरेन्द्र शाह**---क्या यह सही है कि जिला जालौन, झांसी और हमीरपुर में उन जागीरदारों को जिनकी जागीरें १९५३ में समाप्त कर दी गईं, मुआवजा या बांड आज तक नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इन जागीरदारों की मान्यता के प्रश्न पर सरकार ने विचार करके हुक्म जारी किया और उसके बाद १ जुलाई, १९५३ को जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू कर दिया। कुछ जागीरदारों ने अधिनियम लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से जरूरी हो गया कि इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय कि आया उन जागीरदारों को जिन्होंने मुकदमा दाखिल नहीं किया है, मुआवजा दिया जा सकता है या नहीं। सरकार ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि ऐसे जागीरदारों को जिन्होंने दावा नहीं किया मुआवजा दे दिया जाय बशर्ते कि वह indemnity bond लिख दें। जालौन और हमीरपुर के ज्यादातर जागीरदारों को अंतिम प्रतिकर मिल चुका है। झांसी जिले में अभी किसी को मुआवजा नहीं मिला है मगर उपरोक्त सरकारी हुक्म के बाद उनको मुआवजा मिल जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या मंत्री जी कृपा करके उन जागीरदारों के नाम बतलायेंगे जिन्होंने ये मुकद्दमे दायर किये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—चरखारी और करीला के जागीरदारों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि छोटे-छोटे जागीरदारों को जो ५०० और हजार सालाना के हैं उन्हें जल्दी मुआवजा मिल जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आदेश दे दिये गये हैं और अब जल्दी से मुआवजा मिल जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—जालौन और हमीरपुर को यह आर्डर कब भेजा गया कि इन लोगों को मुआवजा दे दिया जाय और झांसी को कब भेजा गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शायद माननीय सदस्य झांसी में थोड़ी देर होने का कारण जानना चाहते हैं। झांसी में उनको रिकगनाइज करने का सवाल रह गया था। जालौन और हमीरपुर में रिकगनाइज होने का प्रश्न भी अब तय हो गया है, तो झांसी में थोड़ी देर हुई।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट से यह तय हो चुका है कि वह जागीरें कायम रहेंगी और इसीलिये मंत्री जी ने बताया है कि वह तय हो गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तय होने का मैंने नहीं बतलाया है। मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वह चल रहा है।

तहसीलों के चपरासियों के वेतन में २ रुपये की वृद्धि

*१७—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलों में जो चपरासी रक्खे गये हैं, सरकार ने जो दो रुपया बढ़ोत्तरी किया था वह उनको मिल रहा है? यदि मिल रहा है, तो कब से?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसीलों के चपरासियों के वेतन में २ रु० की वृद्धि सरकारी आदेशानुसार १ अप्रैल, १९५५ से की गई है तथा वह उन्हें उसी तिथि से मिल रही है।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चपरासियों की तरह और छोटे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का वह विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सवाल विचाराधीन है। अभी चपरासियों के बारे में प्रश्न किया गया था, उसी का जवाब दिया गया।

पीलीभीत जिले में कलेक्शन नायब तहसीलदारों के रिक्त स्थानों की पूर्ति

*१८—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत में खरीफ १३६३ फसली में कलेक्शन नायब तहसीलदारों के जो स्थान रिक्त हुए थे उसमें वहां के अधिकारियों ने बिना कोई सूचना दिये तथा प्रर्थना-पत्र मांगे ही नये और अनभिज्ञ लोगों को रख लिया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—खरीफ १३६३ के बीच में कलेक्शन नायब तहसीलदारों के २ स्थान रिक्त हुए थे जिन पर दो उपयुक्त नये व्यक्तियों को फसली तौर पर अल्पकाल के लिये नियुक्त कर लिया गया था। सूचना तथा प्रार्थना-पत्र मांगने का समय नहीं था क्योंकि ऐसा करने में कलेक्शन के काम में बाधा पड़ने का डर था।

*१९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि उन उम्मीदवारों को जिनका नाम एप्रूव्ड लिस्ट में था उन्हें मौक़ा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कलेक्शन नायब तहसीलदारों के पद पर नियुक्ति के लिये कोई एप्रूव्ड उम्मीदवारों की सूची नहीं रक्खी जाती है।

*२०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत के ऐसे कितने कलेक्शन नायब तहसीलदार थे जिनको विभागीय परीक्षा में भेजा गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पीलीभीत जिले में चार नायब तहसीलदार थे जो निर्धारित योग्यतायें रखते थे, उनको विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा दी गई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का सामान्यतः तरीका क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नायब तहसीलदारों की अस्थायी नियुक्तियां तो कलेक्टर लोग स्वयं ही कर लेते हैं लेकिन जो स्थायी स्थान होते हैं उनके लिये बाकायदा गजट होता है, दरख्वास्तें ली जाती हैं और फिर उनका सेलेक्शन होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में नियुक्तियों के लिये एप्रूव्ड लिस्ट क्यों नहीं रक्खी जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितनी पर्मानेंट जगहें होती हैं उनका तो सेलेक्शन हो जाता है, कभी कभी थोड़ी सी अस्थायी जगहें निकलती हैं, इसलिये एप्रूव्ड लिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नायब तहसीलदारों के हेतु निर्धारित योग्यता क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रूल्स में दिया हुआ है। आमतौर पर ग्रेजुएट होना चाहिये।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या यह सही है कि कलेक्शन नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो नियुक्तियां अस्थायी तरीके की होती हैं, वह कलेक्टरों के जरिये से होती हैं बाक़ी कायदे से होती हैं।

अधिवासियों का नाम गलत ढंग से सीरदारों में दर्ज होने से कथित मालगुजारी की वसूली

*२१—श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष बहुत से ऐसे व्यक्तियों से जिनका नाम "अधिवासियों" से बने सीरदारों की सूची में गलत ढंग से दर्ज हो गया है परन्तु जिनका अर्से से न तो कब्जा है और न उन्हें खेतों का ज्ञान है, मालगुजारी जबरदस्ती वसूल कर ली गई है ? यदि हां, तो सरकार उन व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और वसूल की गयी रकम को वापस किये जाने के लिये क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२२—श्री राजाराम मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि अधिवासियों को सीरदारी के अधिकार दिये जाने के फलस्वरूप उनमें से बहुतों की मालगुजारी पहले से ड्योढ़ी और दूनी हो गई है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील से मोटर ट्रक के टैक्स के सम्बन्ध में राजनीतिक पीड़ितों का आवेदन-पत्र

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के कितने राजनीतिक पीड़ितों के सामान एवं पशुओं की कुर्की तथा नीलाम, मोटर ट्रक का टैक्स अदा न करने के कारण हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घोसी तहसील के किसी राजनीतिक पीड़ित के सामान व पशुओं की कुर्की तथा नीलाम नहीं किया गया।

*२४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन राजनीतिक पीड़ितों ने सरकार के पास १५-५-५६ को तथा इसके पहिले कई बार इस आशय का आवेदन-पत्र दिया था कि उनके ऊपर जो टैक्स बकाया दिखाया जा रहा है वह ग़लत है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर को, लीगल पोजीशन (Legal position) बताते हुए, भूतपूर्व मोटर मालिक से बकाया टैक्स वसूल करने के लिये लिखा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भूतपूर्व कौन-कौन से मोटर मालिकों से बकाया टैक्स वसूल करने के लिये लिखा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिनके ऊपर बकाया है उन्हीं के लिये लिखा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन लोगों के नाम क्या हैं जिनसे बकाया वसूल करने के लिये लिखा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि सरकार के पास किन-किन लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं कि हम से गैर कानूनी तरीके से नीलाम करके टैक्स वसूल करने की कोशिश की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

लखनऊ में ऐशबाग रोड तथा तुलसी दास मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाने की मांग

*२५—श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ में ऐशबाग रोड तथा तुलसीदास मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चरणसिंह—तुलसीदास मार्ग पर तो रोडवेज की बसें चल रही हैं। ऐशबाग रोड पर बसें चलाने के बारे में अभी कुछ तय नहीं है।

अमेठी, जिला सुल्तानपुर में रोडवेज का बस स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में पूछताछ

*२६—श्री रणंजय सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमेठी, जिला सुल्तानपुर में रोडवेज के बस स्टेशन आदि के लिये जो स्थान निश्चित किया गया है, उसका निर्माण कब होगा ?

श्री चरणसिंह—अमेठी, जिला सुल्तानपुर के बस स्टेशन के लिये भूमि ली जा चुकी है। अगर रुपया उपलब्ध हुआ तो अगले वित्तीय वर्ष में इस बस स्टेशन का निर्माण किया जायगा।

*२७-२९—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—[स्थगित किये गये।]

*३०-३१—श्री राजाराम शर्मा—[स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में ग्राम सभापतियों को चार्ज न मिलने की शिकायत

*३२—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में अब तक कितने ग्राम समाज के सभापतियों को चार्ज नहीं मिला है ?

श्री चरणसिंह—जिला खीरी में समस्त ग्राम समाजों के सभापतियों को चार्ज मिल गया है।

*३३—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि कुछ गांव समाज के सभापतियों ने चार्ज न मिलने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*३४-३५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले में तराई की इन्दरपुर सोसाइटी की ३५ एकड़ बंजर भूमि

*३६—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल तराई के इन्दरपुर सोसाइटी में जहां पर लोगों को जमीनें दी गई हैं वहां पर ३५ एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है और तोड़ी नहीं गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*३७—श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि इस जमीन के बंजर पड़े रहने के कारण फसल जंगली जानवरों द्वारा प्रति वर्ष नष्ट हो जाया करती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

*३९---श्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्दरपुर सोसाइटी ने सन् १९५१ व ५२ में बीच के रूप में कर्ज लिया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जमीन क्यों नहीं तोड़ी गयी है और क्या किसी को यह जमीन दी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वह जमीन जिन लोगों को दी गयी थी उन लोगों ने तोड़ी नहीं है । अब जो कुछ भी कारण रहा हो ।

श्री रामसुभग वर्मा---वह जमीन अब तक तोड़ी नही गयी है तो उसे लेकर सरकार दूसरों को देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो नियमों के अनुसार जैसा होगा वैसा किया जायगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, सदन में शोर बहुत हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---आपस में बातचीत बहुत हो रही है । माननीय सदस्यों से मैं यह कहूंगा कि वे शान्ति कायम रखें ।

श्री रामसुभग वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्नों को नोटिस समझ कर उसकी सूचना मंगायेंगे और उस पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो यह सूचना मंगा देंगे ।

*३९---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---[स्थगित किया गया ।]

*४०---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किया गया ।]

पूर्वी जिलों में बाढ़ से क्षति

*४१---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या माल मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल की बाढ़ में, प्रदेश के किन पूर्वीय जिलों में कहां कितनी आर्थिक हानियां हुईं, कितने गांव बह गये, कितने आदमी और जानवरों की मृत्यु हुई और कितनी फसल बरबाद हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बाढ़ के संबंध में सदन को ११ अक्तूबर, १९५६ को एक विस्तृत वक्तव्य द्वारा पूरी सूचना दे दी गई थी । माननीय सदस्य उस वक्तव्य में अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पा जायेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस सूचना के बाद भी पूर्वी जिलों में बाढ़ आयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी हाल ही में माननीय माल मंत्री ने जो वक्तव्य दिया था उसमें सब इनफार्मेशन दे दिया था ।

*४२-४४---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये ।]

जिलास्तर पर माल विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग

*४५—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अन्दर जिलास्तर के दफ्तरों में माल विभाग के मातहत कितने अस्थायी कर्मचारी जनवरी, १९५६ में कार्य कर रहे थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माल विभाग के मातहत जिलास्तर के दफ्तरों में कुल ३३,०५१ अस्थायी कर्मचारी जनवरी, १९५६ में कार्य कर रहे थे।

*४६—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा की करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों में से कितने ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर कार्य करते हुए १० वर्ष से अधिक हो गये हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें १० वर्ष से कम किन्तु ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त कर्मचारियों में से २२४ ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी तौर पर कार्य करते हुये १० वर्ष से अधिक हो गये हैं और ७११ ऐसे हैं जिन्हें ५ वर्ष से अधिक किन्तु १० वर्ष से कम कार्य करते हो गये हैं ।

*४७—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को कार्य करते हुए ५ साल से अधिक हो गया है उनमें कितने qualified और कितने unqualified हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे कर्मचारियों में से कुल ६३६ qualified हैं तथा २९९ unqualified हैं ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३३,०५१ जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनमें से स्थायी करने की सरकार की क्या नीति है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—स्थायी होने के लिये नियम बने हुए हैं । जब उन नियमों को पूरा कर लेते हैं तो उनको स्थायी बना दिया जाता है ।

श्री गोवर्धन तिवारी—जो कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, उसमें जिला अल्मोड़ा के अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—यह सब जिलों के लिये है । एक-एक जिले के लिये पूछने की इजाजत मैं नहीं दूंगा ।

श्री गोवर्धन तिवारी—जिन कर्मचारियों को ५ वर्ष से अधिक कार्य करते हो गये, वे अब तक स्थायी क्यों नहीं किये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कई जगहें कई किस्म की होती हैं । कहीं-कहीं अस्थायी तौर पर बहुत दिनों तक काम चलता है और वहां के कर्मचारी रहते हैं वे अस्थायी ही रहते हैं, क्योंकि जब काम अस्थायी है तो उसके कर्मचारी भी अस्थायी रहते हैं । इस तरह का बहुत बड़ा विभाग है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं ।

श्री गोवर्धन तिवारी—जिन अनक्वालिफायड कर्मचारियों को ५ या १० वर्ष काम करते हुए हो जाते हैं, उनके अनुभव के आधार पर उन्हें स्थायी किया जाता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि किया जाता है लेकिन जो काम ही अस्थायी है, उसमें जो काम करने वाले हैं उनको स्थायी नहीं किया जा सकता है क्योंकि काम ही अस्थायी है ।

श्री देवदत्त मिश्र---जो कर्मचारी ५ साल से अधिक से काम करते हैं और क्वालिफायड भी हो चुके हैं, क्या सरकार उन्हें स्थायी करने पर विचार कर सकती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---क्वालिफायड के माने यह नहीं है, उसके माने हैं वह क्वालिफिकेशन जो पोस्ट के लिये जरूरी है। अगर कोई नहीं मिलता तो अनक्वालिफायड भी रख लिये जाते हैं।

प्रदेश में बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि द्वारा क्षति से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने भेजा है, वह इस प्रकार है कि "प्रदेश में जिस भयानक बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि से अपार क्षति हुई है, उसका सही आंकड़ा एकत्र करने में सरकार असफल हो रही है। परिणामस्वरूप जो सहायक कार्य चाहे वह रोजी दिलाने, सस्ता अनाज पहुंचाने, छात्रों की फीस मुआफ करने, बीज का प्रबन्ध करने आदि कार्य अपर्याप्त तथा असुविधाजनक ढंग पर हो रहे हैं। खतरा यह है कि बीज के अभाव में लाखों एकड़ खेत परती पड़ जायंगे, हजारों शिक्षार्थियों की पढ़ाई छूट जायगी, हजारों परिवार गृह-विहीन रहेंगे तथा बड़े पैमाने पर प्रदेश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाने की पूर्ण सम्भावना है।

अतएव सदन अपना पवित्र कर्त्तव्य समझकर आज का अपना कार्य स्थगित कर इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का निश्चय करता है।"

इसमें कोई एक निश्चित विषय नहीं है जिसके ऊपर कि बहस हो सकती है बल्कि बाढ़ के जो पूरे परिणाम हैं और जो कि सभी विभागों से सम्बन्धित हैं उनके बारे में यह प्रश्न रखा गया है। मैं इसको अवैध करार देता हूं और इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता।

आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट व घोसी तहसील के बीज गोदामों में बीज के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय का है, वह इस प्रकार है कि "आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट और घोसी सहकारी बीज भंडारों में रबी की बोवाई के बीज के नितान्त व्यापक और तीव्र असंतोष पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है"।

मैं समझता हूं यह वैध है और इसमें एक निश्चित विषय है इसलिये अगर श्री झारखंडे राय उस पर बहस चाहते हैं तो वह सदन से अनुमति के लिये प्रार्थना करें और उसमें वह बतायें कि क्या वाक्यात हैं जिनके कारण बहस होना जरूरी है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, यों तो आजमगढ़ जिले में सभी जगह रबी के बीज का अभाव है, लेकिन दोहरीघाट और घोसी इन दो जगहों पर मैंने स्वयं जा कर देखा कि गोदामों में बीज का अभाव है और सैकड़ों किसान तहसील के कोने-कोने से आकर वहां से निराश लौट जाते हैं। इसलिये इस बात की बहुत आशंका है कि इस साल बहुत बड़े पैमाने पर बुवाई न हो। अव्वल तो यों ही बाढ़ के कारण बोवाई पिछड़ गयी है और अगली फसल खराब होने की आशंका है और अगर अब भी बीज प्राप्त न होगा तो देर से भी बोवाई न हो सकेगी और बहुत बड़ा अकाल प्रान्त में हो सकता है। इसलिये मैं सदन का इस ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं और आशा करता हूं कि इस भयावह परिस्थिति को रोकने के लिये वह इस पर विचार करने की अनुमति देगा।

श्री अध्यक्ष---इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---है भी और नहीं भी है। मेरे नजदीक कायदे की रू से तो वह एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता, लेकिन यह बात जो है उसके मुताल्लिक मेरे पास इत्तला है। वह फरमाते हैं कि नहीं है तो मैं मालूम कराये लेता हूं और जो कुछ जरूरी इंतजाम है वह कराये देता हूं। इसलिये इस पर एडजर्नमेंट मोशन की जरूरत नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य इस को अब प्रेस करना चाहते हैं?

श्री झारखंडे राय---जी हां।

श्री अध्यक्ष---जो माननीय सदस्य इस पक्ष में हों कि आज ही इस पर विचार किया जाय वह कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १८ सदस्य खड़े हुए)

अनुमति देने के पक्ष में १८ की संख्या है और यह काफी नहीं है। इसलिये सदन का निश्चय हुआ कि अनुमति न दी जाय इसलिये मैं अब इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पारित करने के लिए परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय-निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति के नियम ५ के अन्तर्गत मुझको सूचना दी गई है कि कार्य परामर्शदात्री समिति ने २९ अक्तूबर, १९५६ की अपनी बैठक में यह निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय :---

सामान्य विवाद आज २९ अक्तूबर को साढ़े तीन बजे तक जारी रहेगा।

खंडशः विधेयक तथा पारण---आज २९ अक्तूबर को साढ़े तीन बजे बाद ९ घंटे तक--उसके लिये समय रहेगा।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)---मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प सदन के सम्मुख रखता हूं :---

> "यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।"

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---९ घंटे की बात रक्खी गयी है तो यह कल खत्म हो जायगा या परसों भी होगा?

श्री अध्यक्ष---साढ़े तीन बजे के बाद ९ घंटे यह चलेगा, तो कल तो खत्म होगा नहीं। अगर कल ९ घंटे तक टाइम बढ़ाते हैं तो मुझे तो कोई एतराज है नहीं, वर्ना परसों भी सदन बैठेगा। ९ घंटे का समय इसलिये दिया गया है कि सदन पर छोड़ दिया जाय कि वह समय बढ़ाकर उसे कल खत्म करे या कल के बाद भी उक्त समय तक चलावे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---चूंकि यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि साढ़े तीन बजे के बाद ९ घंटे तक इस पर बहस होनी है तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि परसों सदन बैठेगा या नहीं। अगर बैठता है तो कल ही तक या परसों भी ? तो फिर सदन की बैठक कब होगी इसकी जानकारी हो जाय तो बड़ी सुविधा होगी।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब वाला, परसों तो बैठेगा ही और उसके बाद फिर कब बैठेगा यह निर्णय परसों बता दिया जायगा।

श्री रामेश्वर लाल द्वारा अपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---जिस दिन असेम्बली बन्द हुई थी मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था। आप ने यह कहा था कि दूसरे दिन हम ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उसको शायद मेरे मकान पर भेज दिया गया था। मैं कल रात को आया इसलिये उसे देख नहीं पाया। मैं कल उसको देख लूंगा। उसमें कोई समय की बाधा नहीं होगी।

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---श्रम मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, बृहस्पतिवार के रोज जब बैठक हो रही थी, तब यह एतराज पेश किया गया था कि जो सेंट्रल ऐक्ट है और प्राविंशियल ऐक्ट है उसको सरकार दे देगी ४ बजे तक। चार उस रोज बज गये और तीन रोज हो गये लेकिन वह हमारी मेज पर नहीं रक्खा गया।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---मैं समझता था कि वह बट गया होगा। अगले दिन ही छप गया था। अभी बटवा दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष---आप के पास आ चुका है ?

आचार्य जुगल किशोर---जी हां, मेरे पास आ चुका है।

श्री अध्यक्ष---कृपा कर आप उसे भिजवा दें।

(इस समय १२ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

**श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आपकी आज्ञा से मैं पालीवाल जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति के पास विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक हमारे प्रदेश की औद्योगिक तथा श्रमिक स्थिति को देखते हुए बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन इस विधेयक को लाने के लिये मैं प्रांतीय सरकार को बधाई नहीं दे सकता जैसा कि हमारे माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक वे स्वतः नहीं लाये

---

* २२ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बल्कि केंद्रीय विधेयक पास हो जाने के कारण उनको इस बात के हेतु मजबूर होना पड़ा कि वे अपने विधेयक को इस विधेयक तक पहुंचाने के लिये, उसकी सीमाओं के अन्दर लाने के लिये, इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अमेंडमेंट प्रस्तुत करें। हमें देखना यह है कि जिस प्रकार से औद्योगिक विवाद के संबंध में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के संबंध में उसको लागू करने के संबंध में जो प्रांतीय सरकार की नीति रही है वह सफल रही है या असफल और इसी सफलता की कसौटी पर इस विधेयक की पृष्ठभूमि और सिद्धांतों पर विचार करना है। संक्षेप में यह कह सकता हूं कि हमारी प्रदेशीय सरकार की श्रम नीति, औद्योगिक विवादों के संबंध में सफल नहीं रही है। हमारी सरकार यह कहती है, इस बात का दावा करती है कि हमारे यहां श्रम-संबंधी नीति और राज्यों से अधिक प्रगतिशील है, श्रम संबंधी मशीनरी प्रगतिशील है। अगर यह प्रगतिशीलता केवल सफलता या निर्णयों की कसौटी से देखी जाय तो हम कह सकते हैं कि यहां उद्योग धंधों की कम संख्या को देखते हुए श्रमिकों की कम संख्या को देखते हुए जितनी सफल यहां पर श्रम संबंधी मशीनरी होनी चाहिये, वह नहीं हो पायी है, इसके हमें बहुत से उदाहरण मिलते हैं।

सरकार ने यहां एक निम्बकर कमेटी बिठायी थी। जो आज हमारे श्रम मंत्री जी हैं आचार्य जुगलकिशोर जी, उनके नाम से भी एक कमेटी निम्बकर कमेटी के साथ-साथ बैठी थी। उस कमेटी की एक बड़ी भारी रिपोर्ट हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। अगर सरकार से पूछा जाय कि निम्बकर कमेटी की जो सिफारिशें थीं उनको प्रदेश के भिन्न भिन्न उद्योगों में कहां तक माना गया और कहां तक नहीं माना गया तो स्वयं मंत्री जी मानेंगे कि निम्बकर कमेटी की अधिकांश सिफारिशें बलाये ताक रख दी गयीं। जिस निम्बकर कमेटी ने १९४७-४८ में कार्य किया था उसकी रिपोर्ट केवल लाइब्रेरियों की शोभा बढ़ा रही है।

जहां तक उसमें बाद की योजना का संबंध है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ निर्देश किये गये थे, श्रम संबंधी नीति के बारे में, उस श्रम संबंधी नीति का भी पालन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को बनाने में नहीं किया गया है और इस संशोधन विधेयक में भी उसका समावेश नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि वर्क्स कमेटियों का निर्माण और ज्वाइन्ट कमेटीज का निर्माण, सेटिलमेंट आफ डिस्प्युट्स के लिये है। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :

> "Joint Committees. Works committee for the settlement of differences on the spot between the workers and the management is the key of the system of industrial relations, as conceived in this plan."

यानी ज्वाइन्ट कमेटीज के बारे में पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सेटिलमेंट के लिये बहुत अधिक स्थान दिया गया। इसके साथ ही साथ पहली पंचवर्षीय योजना में यह भी कहा गया था कि स्टैंडिंग आर्डर्स के अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कम कराने के लिये मैनुअल आफ इंस्ट्रक्शंस प्रत्येक फैक्ट्री में रखना चाहिये। इस संबंध में पंचवर्षीय योजना का उद्धरण इस प्रकार है--

> "Each undertaking should, therefore, adopt a manual of instructions for different classes of operatives of the type in vogue in some Government offices and commercial establishments. Such manuals should be prepared, and when necessary revised, by tripartite consultation."

इसके अनुसार प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश की गयी थी कि प्रत्येक कारखाने में एक इंस्ट्रक्शंस का मैनुअल होना चाहिये जिनको तीनों, मजदूरों की सलाह से भी, सरकार की सलाह से भी और मिल मालिकों की सलाह से भी बनाया जाना चाहिये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आज इस प्रदेश में आप देखें कि न तो कोई ज्वाइन्ट कमेटी कहीं बनी हुई है किसी फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेटिलमेंट के लिये, कोई ज्वाइंट कमेटी नहीं, कोई वर्क्स कमेटी नहीं। स्टैंडिंग आर्डर अवश्य हैं लेकिन कोई मैनुअल आफ इंस्ट्रक्शंस नहीं है। यह ठीक है कि यहां १९५० के पहले कुछ कारखानों में वर्क्स कमेटी बनायी गई। लेकिन उनका विधान गलत रखा गया। मुझे तो विश्वास है कि अगर वर्क्स कमेटीज और ज्वाइन्ट कमेटीज जिनका निर्देश प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया है, अगर उनको उचित विधान के द्वारा बनाया जाता, उनमें मजदूरों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता और ज्वाइन्ट कमेटी और वर्क्स कमेटीज को कोई विशेष अधिकार दिये जाते तो आज तो छोटे-छोटे मामले फैक्ट्रीज में पैदा ही नहीं होते, वे न होते। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के संबंध में इस बुनियादी सुझाव को ठुकरा दिया गया। आज जब कि बम्बई, मद्रास और तमाम प्रदेशों में ज्वाइन्ट कमेटीज, वर्क्स कमेटीज, कन्सल्टेटिव कमेटीज काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनका कोई स्थान नहीं। कन्सीलियेशन की पहली सीढ़ी शुरू होती है, कन्सीलियेशन बोर्ड द्वारा और कन्सीलियेशन बोर्ड की जो कार्यवाहियां हैं वे बिल्कुल फार्मल हो गई हैं। कन्सीलियेशन अफसर साहब दोनों पार्टीज को बुलाते हैं, दोनों के प्वाइन्ट लिख लिये और इसके बाद कन्सीलियेशन बोर्ड की रिपोर्ट में आगे क्या कार्यवाही होगी, यह किसी को पता नहीं रहता और आधे से अधिक केसेज जो हैं जो कन्सीलियेशन बोर्ड से आगे बढ़ते हैं वे एडजुडीकेशन में नहीं जाते। आटोमैटिक एडजुडीकेशन या आर्बिट्रेशन की कोई सहूलियत पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है।

आप देखें, श्रीमन्, आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि हमारे यहां तीन चौथाई केसेज में कोई कार्यवाही नहीं होती, इन्हें फाइनली डिसपोज आफ गवर्नमेंट कर देती है। मजदूरों को पता नहीं हो पाता कि इन मामलों पर अब क्या कार्यवाही हो रही है और दबा दिये जाते हैं। सन् १९५५ की जो वार्षिक रिपोर्ट है श्रम विभाग की उसमें दी गई तालिका के अनुसार सन् १९५४-५५ में श्रम विभाग के कन्सीलियेशन अफसरों के पास ३५२४ शिकायतें आयीं, १९५५ में। इनमें से ८४७ पर समझौता हो पाया, २६७७ शिकायतों पर समझौता नहीं हुआ। इन २६७७ मामलों पर जिनमें समझौता नहीं हुआ इसमें से केवल ५५२ एडजुडीकेशन के लिये रेफर किये गये। बचे २१२५। अब इनमें से जो कन्सीलियेशन बोर्ड में गये, जिनमें समझौता नहीं हो पाया, यह २१२५ मामले श्रम विभाग में दफना दिये गये। इनका क्या हुआ, कहां हैं कुछ पता नहीं। अब यह कहा जा सकता है कि यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स नहीं थे, यह महत्व के मामले नहीं थे, साधारण मामले थे। लेकिन क्या श्रम विभाग को भी बतलाने की आवश्यकता है कि जिन मामलों को श्रम विभाग साधारण समझता है वही मामले अन्ततोगत्वा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को बढ़ाने के कारण हो सकते हैं? श्रमिकों के लिये कोई मामला जिसको श्रम विभाग साधारण समझ सकता है, वही मामला श्रमिकों के लिये असाधारण हो सकता है या अगर कोई विशेष कारण से श्रम विभाग उचित नहीं समझता कि यह मामला कोर्ट के सामने क्यों नहीं भेजा जा रहा है तो कम से कम सम्बन्धित यूनियन को कारण बता दिया जाता कि साहब इसलिये नहीं भेजा जा रहा है। और उनको मौका मिलता अपनी सफाई देने का कि श्रम विभाग जो कारण बताता है यह गलत है या सही। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं। दूसरे किसी भी राज्य में ऐसी प्रबन्ध नहीं है। बम्बई को आप ले लीजिये। बम्बई में भी कोई भी मामला, जिसका कि कन्सीलियेशन के यहां से समझौता नहीं हो पाता, गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट को गजट में पब्लिश करती है, छापती है। उस पर पूरी कार्यवाही करती है। यहां तक कि प्रत्येक रिपोर्ट गजट में पब्लिश होती है। मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से जो बम्बई का इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऐक्ट है उसकी धारा ५८ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। बम्बई में यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि कोई भी किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो, अगर उसमें कंसीलिएशन न हो पाया हो, तो कंसीलिएटर के पास रिपोर्ट भेजे और गवर्नमेंट उसको

पब्लिश करेगी। मैं श्रीमन्, थोड़ा सा उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं--

"If no such settlement is arrived at, the Conciliator shall, as soon as possible after the close of the proceedings before him, send a full report to the Chief Conciliator stating the steps taken by him for ascertaining the facts and circumstances relating to the dispute and the reasons on account of which, in his opinion, settlement could not be arrived at :

Provided that where such Conciliator is the Chief Conciliator, such report shall be forwarded by him to the Provincial Government."

जब कोई समझौता न हो, तब समझौता कराने वाला अधिकारी शीघ्र से शीघ्र अपने सम्मुख प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में, पूरी रिपोर्ट मुख्य समझौता अधिकारी के पास भेजेगा जिसमें वह सारे तथ्य और घटनाचक्र को भी स्पष्ट कर देगा।

आगे चल कर है उपधारा (४) में--

"The Provincial Government shall publish the report of the Conciliator or Chief Conciliator forwarded to it under the proviso to sub-section (2) or under sub-section (3) except in cases in which the dispute is referred to a Board, or the parties to the dispute enter into a submission in respect of it."

यानी प्रान्तीय सरकार कंसीलिएटर की रिपोर्ट को छापेगी या चीफ कंसीलिएटर की रिपोर्ट को छापेगी, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जहां तक कि मामला बोर्ड के पास भेजा गया है या दोनों पार्टीज़ में इस बात पर समझौता हो जाता है कि यह पंचनामे के लिए भेजा जाय।

मैंने केवल एक स्टेट बम्बई की मिसाल दी कि बम्बई में प्रत्येक रिपोर्ट छापी जाती है और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही होती है, कोई मामला दबाया नहीं जाता। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया केवल ५५२ मामले भेजे गए ऐडजुडिकेशन के लिए और २१२५ मामले दबा दिए गए।

अब आगे चलकर हम देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस बात को भी स्पष्ट किया गया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट जिसको कि आज हम संशोधित कर रहे हैं और ऐसे तमाम ऐक्ट जो हैं यह प्राइवेट सेक्टर पर ही लागू न हों बल्कि पब्लिक सेक्टर पर भी लागू हों, सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी कारखाने हैं, उन पर भी लागू हों जैसे बिजली के मजदूर हैं, रोडवेज के मजदूर हैं, सरकार के मैनेजमेंट में जो मजदूर हैं या जो कारखाने हैं, वहां पर भी यह सभी ऐक्ट लागू किये जायं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया। केवल कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन, केसा में शायद यह ऐक्ट लागू किया गया हो लेकिन और कहीं भी किसी जगह यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट जैसे लागू नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिश थी, वह प्रस्तुत करना चाहता हूं--

"The benefits of all labour laws which are applicable to similar private undertakings should also be made available to the workers of these undertakings. Exemption from such labour legislation should as a rule not be granted but in case where the existing benefits are as good as or more favourable than those provided by such legislation, grant of exemptions may be considered."

यह प्रथम पंचवर्षीय योजना की निश्चित सिफारिश है कि जितने भी श्रम सम्बन्धी कानून हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से चलाये जाने वाले कारखानों पर लागू हैं, वह राज्य द्वारा चलाये जाने वाले करखानों पर भी लागू होने चाहिये; केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पर कि उसको सुविधायें सरकारी नियमों के अनुसार प्राप्य हैं। मैं जानना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी बतलायें कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट किन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है, किन सरकारी कारखानों के मजदूरों पर लागू है, रोडवेज पर लागू क्यों नहीं है जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग है, जिसको कि यू० पी० सरकार चला रही है। केवल इंडिस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट जिसको

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि हम लागू कर रहे हैं केवल एक श्रेणी के मजदूरों के लिये लागू करें, यह मैं समझता हूं कि आज के युग में, जब कि हम अपने को समाजवादी कहते हैं, हमें शोभा नहीं देता है। पहले हमें इम्प्लायर बनना पड़ेगा और सरकारी कारखानों के मजदूरों में भी इसको लागू करना पड़ेगा तभी हम पूंजीपतियों को मजबूर कर सकते हैं, जब हम भी उनके साथ चल सकें, नहीं तो उन्हें कहने का मौका मिलता है कि पहले सरकारी कारखाने के मजदूरों की हालत देखो, रोडवेज में जो मजदूर काम करते हैं उनकी हालत देखो, उनके मजदूरों की हालत को हमारे मजदूरों की हालत से तुलना करो। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य सिफारिश थी कि सरकारी तथा गैर सरकारी कारखानों में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट को लागू किया जाय, उसका उल्लंघन किया गया है।

इसके साथ ही साथ प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह भी एक मुख्य सिफारिश थी कि महंगाई अलाउन्स का आधा बुनियादी तनख्वाह में मर्ज कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट देखा है, मैं सारे को पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसमें केन्द्र की ओर से जो गाडगिल कमेटी बैठी थी, उसकी सिफारिशों को प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार किया था और यह कहा गया था कि एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों के महंगाई के भत्ते का ५० प्रतिशत बुनियादी तनख्वाह में मिला दिया जाय वहां दूसरी ओर कारखाने के मजदूरों के महंगाई के भत्ते का ५० प्रतिशत उनकी बुनियादी तनख्वाहों में मिला दिया जाय। जो यह सिफारिश थी इस कमेटी की उसको हम पंचवर्षीय योजना से लेकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है, अभी तक लागू नहीं कर पाये हैं। उनकी एक सिफारिश यह भी थी कि वेज बोर्ड बनाने के लिये कानून बनाया जाय। लेकिन हम अभी तक एक भी वेज बोर्ड नहीं बना पाये, कानून द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक सिफारिश यह भी थी कि एवार्ड्स को इम्प्लीमेंटेशन के लिये एक कानून होना चाहिये क्योंकि जो एवार्ड्स कोर्ट द्वारा या आर्बीट्रेटर द्वारा हो जाते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिये कोई मशीनरी नहीं है। आज भी वही कायदा है कि किसी एवार्ड के इम्प्लीमेंटेशन के लिये सूट फाइल किया जाय। यानी इसके लिये कोई भी सस्ता और सुलभ उपाय नहीं है जिससे किसी एवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। दोनों योजनाओं के प्लान मौजूद हैं लेकिन कार्यान्वित कैसे हो, यह मुख्यतः सिद्धान्तों की कमजोरी है, सिद्धान्तों के पालन करने में कमजोरी है।

मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस अर्धभग्नाकार नीति का त्याग करें और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सिद्धान्त हमने पहली योजना में माना है, वह कागज पर ही न रह जायगा, उसका इस विधेयक में स्थान होना चाहिये। इसलिये इसको प्रवर समिति में जाना चाहिए। इसमें वेज बोर्ड की व्यवस्था करना है, इस प्रकार से ज्वाइंट कमेटी की व्यवस्था करना है इस प्रकार से ऐडजूडीकेटर की मशीनरी की स्थापना करना है कि जो मामले कांसीलियेटरी बोर्ड में जांय और वहां न हो सकें तो ऐडजूडीकेटर के पास जांय जैसे कि बम्बई में होता है, सारे मामले ऐडजूडीकेटर के पास जाने चाहिये। जैसे कि बम्बई में इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट है उसी तरह का ऐक्ट हमारे यहां भी होना चाहिए। उसमें इस तरह के मामलों को हल करने के लिये बहुत से चैप्टर हैं और सारी परिपाटी दी हुई है कि डाकुमेंट्स किस तरह से लिये जांय, इसका तरीका दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन्स का रेकार्ड किस प्रकार मेन्टेन किया जाय, इसका भी तरीका दिया हुआ है, वेज बोर्ड की स्थापना की भी पद्धति दी हुई है। तो मैं तो यह मांग करूंगा कि हम इस बिल को प्रवर समिति में ले जांय और बम्बई के इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट, १९४६ के आधार पर यहां पर भी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट बनायें जिससे कि मजदूरों के हित में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार अधिक शीघ्रता और सुगमतापूर्वक कार्यवाही कर सकें।

इस विधेयक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर प्रकाश डाला जा सकता है और उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो, चार बातें ऐसी हैं जिन पर सिद्धान्ततः ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे परिभाषाओं को लीजिये। इसमें जो छुट्टी की परिभाषा दी गयी है उसमें "अथोराइज्ड़ लीव" का जिक्र किया गया है। अगर कोई मजदूर ७ दिन की छुट्टी पर घर चला जाता है और उसके बाद वहां से दो दिन की और छुट्टी की दरख्वास्त देता है और वह दो दिन की छुट्टी मंजूर नहीं होती है तो वह छुट्टी अनअथोराइज्ड मान ली जाती है। कानपुर में मई दिवस की छुट्टी को कुछ मिल मालिकों ने अनअथोराइज्ड मान लिया जिससे ३४ हजार मजदूरों की कांटीनुअस सर्विस पर एफेक्ट हुआ। इसी प्रकार 'एम्प्लायर' की परिभाषा में 'कंट्रैक्टर्स लेबर' की भी परिभाषा की आवश्यकता है। स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में इस बात की मिसाल मिलती है कि आज भी वहां ६, ७ सौ मजदूर ऐसे हैं जो कंट्रैक्टर्स लेबर के नाम पर काम कर रहे हैं और उनको वे सुभीते नहीं मिल पाते जो दूसरे मजदूरों को मिलते हैं। तो परिभाषाओं को भी सिद्धान्त के दृष्टिकोण से परिमार्जित करने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ सस्पेन्शन एलाउन्स की भी एक बात बहुत आवश्यक है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेन्ड होता है तो उसको उसकी तनख्वाह का २५ प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक सस्पेन्शन एलाउन्स मिलता है, लेकिन कारखाने के मजदूरों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिस तरह से रिट्रेन्चमेंट एलाउन्स मिलता है उसी प्रकार सस्पेन्शन एलाउन्स मिलने की भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

आगे चल कर इसमें पुराने सेन्ट्रल ऐक्ट की धारा ३३-ए संशोधित कर दी गयी है और उसको इस प्रकार किया गया है कि अब केवल उन्हीं मजदूरों को नहीं हटाया जा सकेगा जिनका किसी झगड़े से सीधा सम्बन्ध हो। मैं समझता हूं कि इस धारा का पूरा विरोध होना चाहिए और इसको अवश्य वापस लिया जाना चाहिए। इससे मजदूरों का जो एक बुनियादी अधिकार है उसका हनन होता है। जैसा कि माननीय सूर्यप्रसाद अवस्थी जी ने बताया कि हमसे यह कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में जो तीन अखिल भारतीय मजदूर संस्थायें हैं उन्होंने इसका स्वयं समर्थन किया है। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की बहुत कुछ चेष्टा की, हिन्द मजदूर सभा के कागजात भी देखे, और तरह से भी पता लगाया लेकिन कहीं भी किसी ऐसे ऐग्रीमेंट का जिक्र नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन संस्थाओं का समर्थन इसे प्राप्त है। इस बिल के सम्बन्ध में जो पहले पार्लियामेंट में कार्यवाही हुई तो वहां भी सभी प्रकार के एम० पीज० ने जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस धारा के संशोधित किये जाने की मांग की। तो केन्द्रीय सरकार तक ने पार्लियामेंट में यह नहीं कहा कि कोई ऐग्रीमेंट तीन अखिल भारतीय संस्थाओं का हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसे पहले मजदूरों को यह अधिकार प्राप्त था कि किसी प्रकार कोई मजदूर नहीं निकाला जायगा अगर कोई मामला डिस्प्यूट में हो, वही अब भी रहना चाहिए और उस धारा को बिलकुल हटा दिया जाना चाहिए।

एक और भी प्राविजन रखा गया है जो सिद्धान्ततः अत्यन्त खतरनाक माना जा सकता है। वह यह है कि किसी भी ट्रेड यूनियन को इस बात का अधिकार नहीं रहेगा कि वह मामले को आगे बढ़ा सके जब तक कि दो साल का रजिस्टर्ड यूनियन न हो। यह एक नया प्राविजन है जो आज तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में नहीं है और केन्द्रीय ऐक्ट में भी नहीं है। यह यू० पी० में अपने तरीके से नया जोड़ा गया है। अब हमें सोचना है कि क्या हम इस सिद्धांत को स्वीकार करें, जो दो साल पुरानी यूनियनें हो गई हैं, केवल उन्हीं को मजदूरों की पैरवी करने का अधिकार दिया जाय। पहली बात तो इस सम्बन्ध में जानने योग्य यह है कि किसी दूसरे राज्य में किसी अधिनियम में इस प्रकार का प्राविधान नहीं है, न बम्बई में, न मद्रास में, न आसाम में और अन्य प्रदेशों में। मध्य प्रदेश, मैसूर आदि में जहां जहां इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट हैं वहां के ऐक्ट्स को मैंने देखने की कोशिश की किन्तु कहीं भी इस तरह का

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्राविधान नहीं है। बम्बई में चार प्रकार के यूनियन्स हैं, रिप्रैजेंटेटिव यूनियन्स, क्वालीफाइड यूनियन्स, प्राइमरी यूनियन्स और रेप्रड यूनियन्स। लेकिन वहां भी अलग-अलग होने के बावजूद ऐसा कोई प्राविजन नहीं है कि वे पैरवी नहीं कर सकते। रजिस्टर्ड अवश्य होना चाहिये लेकिन रजिस्टर्ड होने के बाद कोई इस प्रकार का विधान कहीं नहीं है कि पैरवी न कर सकें। तो फिर ऐसी कौन सी आवश्यकता आई जिसके आधार पर यह कहा जाय कि ट्रेड यूनियनों के संगठनों पर इस प्रकार की बाधा लगाई जाय।

हमारी वैभागिक रिपोर्ट में भी कोई इस बात का संकेत नहीं है। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक लेबर डिपार्टमेंट की सन् १९५५ की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा। इसमें यूनियनों की बड़ी तारीफ की गयी है। इनके अनुसार आंकड़े इस प्रकार हैं।

नीचे की तालिका से जो अन्य राज्यों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्तुत की गई है, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में व्यवसायिक संघ आन्दोलन के विकास का कुछ आभास मिल सकेगा:—

बम्बई	८०७	ट्रावनकोर कोचीन	[illegible]
मद्रास	५६६	बिहार	[illegible]
उत्तर प्रदेश	६३५	हैदराबाद	३११
मध्यप्रदेश	१४३	आसाम	११७

इस प्रकार आप देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियन्स दूसरे प्रदेशों में हैं उनके मुकाबले इस प्रदेश में ट्रेड यूनियन्स कोई ज्यादा नहीं है, और अनुपात में ठीक ही आता है। जितने उद्योग धंधे हैं और जितना बड़ा हमारा प्रदेश है उनके अनुपात से अगर हम अपने आंकड़ों को देखें तो ज्यादा नहीं है और हम यह नहीं कह सकते हैं कि स्पूरियस ट्रेड यूनियन्स की क्रीप हो रही है। सरकारी रिपोर्ट स्वयं इस बात को कंट्रेडिक्ट करती है। फिर जो मजदूर संघ बेकार के लिये स्थापित किये जायेंगे उनका कैंसेलेशन रजिस्ट्रेशन का ज्यादा होगा और वे चल नहीं पायेंगे। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में मजदूर संघ इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट के अनुसार कार्य करने में सबसे ज्यादा अग्रसर हैं। वे इस संबंध में एडवान्स्ड रहे हैं और उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट की परिभाषा के अनुसार जो रजिस्टर रखने चाहिये, जो विवरण-पत्र उनको भेजने चाहिये, जो फार्म्स भर कर भेजने चाहिये, वह सब सबसे अधिक और सबसे अच्छे ढंग से भेजा है। इंडियन लेबर बुक में जो सबसे अंतिम आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश की यूनियन्स ने सबसे अधिक समय पर आंकड़ों को, अपनी रिपोर्ट्स को, सरकार को भेजा है। मैं इसके आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं कि यू० पी० की ट्रेड यूनियन्स सबसे ज्यादा एलर्ट रही हैं। बिहार की ५०६ यूनियन्स में से २७१ ने ट्रेड यूनियन ऐक्ट के मातहत इंफारमेशन गवर्नमेंट को भेजी, लेबर डिपार्टमेंट को, बम्बई में ५२१ में से ३८२ ने ठीक समय पर सूचना दी, मध्य प्रदेश में १११ में से ६७ ने ठीक समय पर सूचना सरकार को दी, मद्रास में ६१९ में से ३५७ ने ठीक समय पर सूचना दी, उड़ीसा में १०४ में से केवल ३२ ने ठीक समय पर सूचना दी, पंजाब में १०६ में से ६९ ने ठीक समय पर सूचना भेजी, और यू० पी० में ५१८ में से ४०४ ने और पश्चिमी बंगाल में ९२१ में से ४६९ ने ठीक तरह समय पर सरकार को सूचना दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि यू० पी० में ट्रेड यूनियन्स की वर्किंग सबसे अच्छी रही है, जहां तक ट्रेड यूनियन्स के रेगुलेशन्स की वर्किंग का ताल्लुक है। ५१८ ट्रेड यूनियन्स में से ४०४ ने समय पर सूचना दी, केवल ११४ ने सूचना नहीं भेजी। तो इसका परसेंटेज और सब राज्यों से अधिक पड़ता है। तो फिर जब इंडियन लेबर इयर बुक, जो सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, स्वयं इस बात की साक्षी है कि हमारी ट्रेड यूनियन्स का रेकार्ड दूसरे प्रदेशों की ट्रेड यूनियन्स से अच्छा रहा है तो हम क्यों अपने यहां की ट्रेड यूनियन्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगायें? क्यों हम एक कदम पीछे हटें?

दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का प्राविजन रखा गया है उसमें ट्रेड यूनियन्स आन्दोलन के लिये एक रुकावट है कि जो दो साल तक काम नहीं कर पायी हैं, वह काम नहीं कर सकतीं, वह पैरवी नहीं कर सकतीं, लेकिन साथ ही साथ एक प्राविजो भी है और उसमें यह दिया गया है कि अगर वह किसी फेडरेशन से एफीलियेटेड हैं तो फेडरेशन उनकी ओर से पैरवी कर सकता है। अब सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो हम स्पूरियस ट्रेड यूनियनों को समाप्त करने की सोचें और दूसरी ओर हम ऐसा विधान रख दें कि जिस ट्रेड यूनियन को कोई काम करना होगा और वह दो साल से कम की अवधि की हुई तो वह एक फेडरेशन खड़ा कर लेगी, अपनी तरफ से पैरवी करने के लिये और वह उसके नाम पर पैरवी कर सकेगी। तो यह प्राविजन दोषपूर्ण है और अव्यवस्थित है। इससे एक ओर ट्रेड यूनियन्स के अधिकार कुंठित होते हैं और दूसरी ओर जिस उद्देश्य के लिये यह विधान बनाया गया है वह पूरा नहीं होता। हम एक ओर अवांछनीय फेडरेशनों की ग्रोथ को प्रोत्साहित करते हैं और दूसरी ओर मजदूर संघों के स्वतः संगठित होने के अधिकार को बाधित करते हैं, यह किसी प्रकार भी उचित नहीं है। हम को जो भी रजिस्टर्ड मजदूर संघ हों उनको पैरवी का पूरा-पूरा अधिकार देना चाहिये। हमने व्यक्तिगत मजदूर को अपनी बात कहने का मौका दिया है, अपने नोटीफिकेशन द्वारा तो कोई कारण नहीं है कि हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन्स को अपनी पैरवी करने का मौका न दें। मैं समझता हूं कि जैसे-जैसे हमारा मजदूर संगठन तेज होता जायगा वैसे-वैसे यह कागजी यूनियन्स खत्म होती चली जायंगी और हमारा मजदूर आन्दोलन और मजदूर संगठन इस संबंध में स्वतः जागरुक है। कानून में इस प्रकार की व्यवस्था करना किसी प्रकार से, मैं समझता हूं, शोभनीय नहीं है।

आगे चल कर इसमें कुछ ऐसी भी बातें रखी गई हैं कि अगर किसी मजदूर और मिल मालिक के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड किया जायगा। यह उचित है। रजिस्ट्रेशन अवश्य हो लेकिन उसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर सरकार को जांच करने पर किसी प्रकार का धोखा, धोखाधड़ी या मिसरिप्रेजेन्टेशन आदि का संदेह होगा तो सरकार उसको रजिस्टर नहीं करेगी। एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करेगी। अब जहां तक धोखादेही की बात है उसकी तो गुंजाइश है। लेकिन केवल मिसरिप्रेजेन्टेशन शब्द को रख देना गलत है क्योंकि यह शब्द बड़ा व्यापक है। अगर हम केवल मिसरिप्रेजेन्टेशन के आधार पर एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं करेंगे तो कोई भी एग्रीमेंट मुश्किल से रजिस्टर हो पावेगा। यह शब्द निकाल देना चाहिए।

एपीलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त करने का हम स्वागत करते हैं। इस पर मजदूरों का विश्वास भी नहीं रह गया था। मैं लेबरकोर्ट के जुडिशल एस्पैक्ट की आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि लेबर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स और दूसरी जुडिशल अथारीटीज में थोड़ा फर्क होना चाहिये। मजदूर के पास इतने साधन नहीं होते कि वह बिलकुल लीगलिस्टिक दृष्टिकोण से पैरवी या जानकारी या मेहनत कर सके जबकि मिल मालिक के पास पूरे साधन होते हैं कि वह अच्छे से अच्छे बैरिस्टर या वकील द्वारा अपनी पैरवी करा सकता है। जरा सी टैक्निकल बात पर एग्रीमेंट को अगर पलट दिया जाता है तो मजदूर आन्दोलन एक ऐसे कानूनी दलदल में फंस जायगा जिसमें वह क्रान्तिकारी गति की दूरदर्शिता नहीं रहती जो मजदूर आन्दोलन में होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहां के लेबर कोर्टस् या लेबर आर्बिट्रेशन या नेशलन ट्रिब्यूनल के विधान में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि लेबर कोर्टस् का संगठन किसके मातहत होना चाहिए, या तो हम कोई ऐसी मशीनरी बनावें कि नेशनल ट्रिब्यूनल के नीचे प्राविंशल कोर्ट और उसके नीचे लेबर कोर्ट हो या हम इन्हें हाईकोर्ट के मातहत करें। लेकिन किसी प्रकार से भी विभाग के मातहत रिजिनल कोर्टस् का होना शोभा की बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम प्रवर समिति में कोई इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे लेबर कोर्ट अधिक स्वतंत्र हो सकें और दूसरी ओर कानून

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के द्वारा हम इन्हें अधिक कानूनी होने से रोक सकें और मजदूर आन्दोलन की गतिविधि को देखते हुए हम लेबर कोर्टस् के ऐसे अधिकार निर्धारित करें जिस से मजदूर को सस्ता न्याय मिल सके।

सरकार ने इस विधेयक में यह शक्ति भी लेनी चाही है कि अगर किसी मजदूर की सर्विस कन्डीशन्स में कोई चेन्ज होगा तो मिल मालिकों को उसका नोटिस देना पड़ेगा और समय उसके लिए निश्चित कर दिया जायगा। लेकिन सरकार को यह भी ताकत दी गयी है कि वह किन्हीं भी उद्योग धंधों या कारखानों के लिए उस नोटिस के चेंज की लिमिट को एक्सेम्पट कर सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसा एक्सेम्पशन का राज्य सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए। यह शक्ति सरकार ने धारा ४ (२) द्वारा ली है। इसके प्रावधानों से सरकार की शक्ति हानिकर है और वह किसी प्रकार से भी सरकार को नहीं मिलनी चाहिए और इसका विधेयक में भी कोई स्थान नहीं होना चाहिये।

आगे चल कर सरकार ने इस बात की भी शक्ति ली है कि जुडीशियल अवार्ड को भी वह मोडीफाई कर सके। अगर कोई अवार्ड सरकार समझती है कि वह नेशनल इंटरेस्ट या एकोनोमिकल इंटरेस्ट के विरुद्ध जा रहा है तो सरकार उसको मोडीफाई कर सकती है। बड़ी मुश्किल से कोई अवार्ड मजदूरों के पक्ष में होता है और अगर इस प्रकार के अवार्ड सरकार भविष्य में भी मोडीफाई करती रही तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी शक्ति का दुरुपयोग होगा। सरकार को ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिये जिससे कम से कम ऐसे अवार्ड को वह मोडीफाई कर सके जो मजदूरों के हित में जाता हो। हमें तो सोचना है कि सरकार को हमें कोई अगर अधिकार देना भी है तो ऐसे अवार्ड को मोडीफाई करने का देना है जो मिल मालिकों के पक्ष में जाता हो। हमें तो विधान में यह रख देना है कि अगर किसी जुडीशियल ट्रिब्यूनल का या किसी कोर्ट का अवार्ड मजदूरों के हक में है तो उसको सरकार मोडीफाई नहीं कर सकती। इसमें थोड़ी डिसक्रिमिनेशन की बदबू जरूर आती है लेकिन हमें मजदूरों की ओर अपने इस कानूनी बैलेंस को जरूर झुकाना है।

यदि हम वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं, क्लास स्ट्रगिल में विश्वास करते हैं तो हमें, एक समाजवादी होते हुए, उस वर्ग-संघर्ष के चेहरे को इस विधेयक में देखना होगा और औद्योगिक वादविवाद में हमें यह मानना होगा कि कान्टस्ट्रगिल एक्जिस्टी करती है और हमें मजदूरों को अधिक अधिकार देने होंगे और इस प्रकार से हमें प्रत्येक जुडीशियल अवार्ड को जो मजदूरों के हित में होगा, उसे मानना होगा। शायद कुछ लोगों को मेरी यह बात कुछ कड़वी लगे लेकिन समाजवादी होने के नाते हमें सोशलिस्टिक लेजिस्लेशन बनाना होगा। यह "स्टेटस क्वो" विधान नहीं होना चाहिये। हमें आज यह पूंजीवाद के पोषण करने वाले विधान की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मेरा यह निवेदन है और मेरी यह जोरदार शब्दों में अपील भी है कि यह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, जो हमारे सामने प्रस्तुत है, हम सब की जो समाजवादी आस्थायें हैं, उन सब मान्यताओं संबंधी यह कसौटी है और केवल इस दृष्टिकोण से हमें इस विधेयक को देखना है। हमें देखना है कि यह अधिनियम उस समय का है जब कि हमारा सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी न था और जब कि कांग्रेस भी सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी में विश्वास नहीं करती थी। अगर माननीय श्रम मंत्री जी यह समझते हैं कि हमारा दृष्टिकोण सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी है, अगर हम समझते हैं कि हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का सिद्धान्त अब बदल गया है तो हमें उस सिद्धान्त की ओर जागरुक रहना चाहिये। लेकिन वास्तविकता यह है कि न तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्त को ही माना गया है और न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सिद्धान्त को ही बल्कि ट्रेड यूनियन्स के जो राइट्स हैं उनको भी कम किया जा रहा है। मजदूरों को निकालने का अधिकार बढ़ाया जा रहा है, दो साल की ट्रेड यूनियन को पैरवी न करने का अधिकार दिया जा रहा है। तो इस विधेयक के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, यह जरा

हमको देखना है। अगर यह विधेयक किसी भी मानी में पीछे हटाता है तो इस विधेयक के सिद्धान्तों को मानते भी इस विधेयक की धाराओं को नहीं मानना चाहिये और प्रवर समिति में ले जाकर, इन धाराओं को बदल कर, इसके स्कोप को बढ़ा कर जैसा कि माननीय राजनारायण जी का प्रस्ताव है हमको इस प्रस्ताव को सर्वांगपूर्ण और समाजवादी विधेयक बनाना चाहिये, यदि हम लोक कल्याणकारी राज्य आदर्श को सामने रख कर डेमोक्रेटिक वे में सोशलिज्म की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं। अन्यथा हमारी यह भावना मृगमरीचिका ही रहेगी और इसी प्रकार से विधेयक भी श्रम विभाग के उसी दलदल में पड़ा रहेगा जिसमें कि इसको आज हम पा रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक के ऊपर आज इस भवन में बहस चल रही है उस विधेयक के स्कोप के बाहर शायद बहुत कुछ कहा जा सके, इससे मेरा झगड़ा नहीं है। हमारे राज्य में श्रम नीति क्या हो, हम मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार रखें, यह प्रश्न अलग हो सकता है लेकिन जहां तक हमारे सम्मुख जो प्रस्तावित विधेयक का प्रश्न है इसका स्कोप लिमिटेड है उन दिशाओं में, उन कारणों में जिन कारणों से यह विधेयक इस भवन में उपस्थित हुआ। श्रीमन्, किसी को भी इस बात से इंकार नहीं हो सकता कि यह विधेयक केन्द्रीय पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत एक दूसरे विधेयक से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण यहां पर उपस्थित किया गया। हां, यह अवश्य है कि केन्द्रीय संसद ने जो विधेयक स्वीकृत किया, जो विधेयक आज कानून के रूप में हमारे देश में लागू है मजदूरों और मालिकों के बीच के झगड़े का निपटारा करने के सिलसिले में, उस विधेयक की स्वीकृति के पहले इस प्रदेश के रहने वाले उन लोगों के पास जिनका कि ट्रेड यूनियन से सम्बन्ध है, उनकी भी राय लेने के लिये चला था, पब्लिक ओपीनियन के लिये चला था। वर्षों इस तरह से विधेयक पड़ा रहा, कई कमेटियों से गुजरा, भारतीय संसद के स्वीकार करने के बाद वह कानून बना। इस तरह से मंत्रालय के द्वारा उसकी जानकारी प्रदेश और देश के लोगों को हुई थी।

मैं अपने भाई नारायणदत्त जी के एक तर्क को समझ नहीं पाया। बम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस कानून से वे ज्यादा सन्तुष्ट दीख पड़े, पर मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यही कानून था जिस कानून के अन्तर्गत हुए फैसले की वजह से एक भयंकर किस्म की हड़ताल बम्बई में उनके दल के एक बड़े नेता के नेतृत्व में आज से ५ साल पहले हुई थी। उस ऐक्ट के अन्तर्गत कानून द्वारा बनी हुई जो मशीनरी है, उसकी वजह से निश्चित रूप में बाम्बे कपड़ा मिल मजदूरों के बोनस के सिलसिले में ही, उससे असन्तुष्ट होकर वहां पर हड़ताल हुई थी। उसके औचित्य या दूसरी तरफ की बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन की हैसियत से मजदूरों की बातों पर भी विचार करके उनकी बात समझी जानी चाहिये। फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि जिस मशीनरी से सन्तुष्ट होकर उन्होंने उसके स्वरूप को माना है शायद उसकी ऐसी बारीकियां और कमजोरियां पूरी तरह से उनके सामने आयी नहीं हैं। जो यूनियनें २ साल तक कार्य करती रहेंगी, उनके कुछ अधिकार रहेंगे, केवल मुकद्दमा दायर करने के अधिकार की ही बात नहीं है। जब इतना काम यूनियनें करा सकती हैं तो मैं नहीं समझता कि उनको इतनी कम जानकारी होगी। अभी जो धारा मैंने इस संबंध में पढ़ी उसके अनुसार रिप्रिजन्टेशन कौन कर सकेगा और कौन नहीं, स्पष्ट है। मेरे पास अंग्रेजी की पुस्तिका है; इसमें लिखा है कि:

"No officer of a Union shall be entitled to represent any party unless a period of 2 years has lapsed since its registration under the Trade Unions Act, 1926 :"

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इससे साफ है कि वह क्या कर सकते हैं; वह पैरोकार की हैसियत से मुकद्दमा दायर कर सकते हैं लेकिन जब बहस या वकालत का मौका आयेगा तो उनको अवसर नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित है और मैं तो चाहता था कि इससे भी सख्ती की बात होती।

श्री नारायणदत्त तिवारी आंकड़ों में फंस जाते हैं। उन्होंने ने कहा कि हमारे सूबे की सभी यूनियन्स ने हिसाब भेजा लेकिन मेरा तजुर्बा तो इस विषय में यह है कि कानपुर की सूती मिल मजदूर यूनियन है जिसको बहुत बड़ी यूनियन कहा जाता है उस तक का हिसाब सालों नहीं जाता, इसलिए इस बहस को तो वह छोड़ें, उससे बात बहुत बढ़ जायगी, उनके दल का ताल्लुक उन मजदूर संगठनों से ज्यादा है जिनका हिसाब नहीं जाता है और जिनका हिसाब जाता है उनका तो दूसरे दल से ताल्लुक है। लेकिन केवल हिसाब जाना ही इस बात की पूरी-पूरी जानकारी नहीं कराता कि संतुलित ढंग से मजदूरों में काम होता है, इसमें इसीलिये खलल पैदा होता है, ऐसे भी लोग हैं जो फजूल में मजदूर आन्दोलन में अड़ंगे लगाते हैं, उनका मजदूरों के हित और अनहित से कोई संबंध नहीं होता बल्कि वह रोज एक न एक अड़ंगा मजदूर आन्दोलन के खिलाफ खड़ा करते हैं। जो दावा करते हैं कि मजदूरों की हम भलाई चाहते हैं और जो उन कामों से ताल्लुक रखते हैं कि जिनसे मजदूरों का भला होने वाला है तो वह देखेंगे कि अगर बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ऐक्ट को यहां लागू कर दिया जाय तब तो हमें सबको और ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अनुसार सात मजदूर मिलकर एक यूनियन बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार जरा इस विधेयक में प्रस्तुत धाराओं को उपस्थित कर तकल्लुफ कर गई कि इस तरह से ७ मजदूरों की यूनियन को भी यह अधिकार सौंपा है कि २ साल यदि वह जिन्दा रह सके और चाहे वह फालतू काम के लिये ही बनी हो और बिना वजह मजदूर आन्दोलन में बाइफरकेशन्स पैदा करते रहे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस कानून में अगर कोई खामी है तो वह यही है। मैं तो सरकार से कहूंगा कि उसे इसमें इसके बजाय यह चीज रखनी चाहिये थी कि जो यूनियन किसी भी व्यवसाय में लगे मजदूरों का ५० प्रतिशत से कम प्रतिनिधित्व रखती होगी उसको कोई अधिकार इस प्रकार का न होगा कि वह कोई रिप्रिजेंटेशन कभी भी कर सके। केवल उसी को कुछ करने का अधिकार होना चाहिये कि जिसके पीछे मजदूर काफी संख्या में हों, जिसको उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस तरह से राजनीति और उसकी दलबन्दियों के पचड़ों में पड़कर इस तरह के संगठन और उनकी कमजोरियों से मजदूर बच जायेंगे। और मैंने जैसा कहा, श्रम विभाग ने अभी भी तकल्लुफ किया है। बाम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाली बात स्वीकार भी कर ले तो मैं नारायणदत्त जी के साथ हूं। उसमें यह है कि किसी तरह से एक बार रिप्रेजेंटेटिव यूनियन हो जायं बाद में चाहे मायनारिटी में ली जायं। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कहूं कि बम्बई में क्या हुआ, वहां के फैसलों की बुराई भलाई बतलाऊं। अगर कोई यूनियन है वह रिप्रेजेंटेटिव यूनियन डिक्लेयर हो गई फिर एक दूसरी भी यूनियन रजिस्टर्ड हो गई, वह जाती है और लेबर कोर्ट में जा कर कह देती है कि हमको रिप्रेजेंटेटिव यूनियन डिक्लेयर किया जाय। जो कोई प्रेसीडेंट हो गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया, उसको बराबर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का दावा भर सकना आसान है चाहे उनके पीछे सारी फौज मजदूरों की गायब हो गई हो। उसमें बड़ी कमजोरियां हैं। मुझे बम्बई के बिजली के मजदूरों के बारे में बड़ा तजुर्बा है। मुझे मौका मिला उन मुकद्दमों में सम्मिलित होने का। उन मुकद्दमों में उन यूनियन्स ने क्या किया मैं उनका पूरा इतिहास जानता हूं। मैंने वहां पूछा कि यह क्या बात है कि जब वे मजदूरों के खिलाफ जाती हैं तो उनको निकाला क्यों नहीं जाता। उन्होंने कहा निकाला कैसे जाय जब वे रिप्रेजेंटेटिव यूनियन्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। मेम्बरशिप ७,८ मजदूरों की भले ही हो। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर को चैलेंज करना है तो कोर्ट में मुकद्दमा दायर किया जाय। एक यूनियन कहती है कि फलां एस्टेब्लिशमेंट में कल्लू टिकट नम्बर ८ मेरा मेम्बर है और दूसरी कहती है कि नहीं कल्लू, टिकट नम्बर ८ मेरा मेम्बर है।

दोनों को बुला कर शिनाख्त की जाय। दोनों बयान दिलवायें। लाखों मजदूरों में इस तरह से बयान लेना मुमकिन नहीं हो सकता।

बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वे सब कमजोरियां हैं कि रिप्रेजेंटेटिव युनियन को unrepresentative होने पर भी निकालना या बदलना आसान काम नहीं है, जो मनुष्य के बने हुये किसी कानून में हो सकती है। ऐसे ही कमजोरी प्रस्तावित विधेयक में भी हो सकती है। पर्फेक्शन न आज तक किसी ने जाना है, न देखा है। एक बात जरूर है कि म कतई यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि हमारा प्रदेश श्रमकल्याण कार्य में बम्बई से पिछड़ा हुआ है। हमारे लिये, हमारे प्रदेश के लिये सौभाग्य की बात है कि हमारे श्रम विभाग के काम में माननीय सम्पूर्णानन्द जी का हाथ वर्षों तक रहा और उन्होंने कांग्रेस की श्रमनीति और रीति को इस ढंग से संभाला और चलाया जो कि हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं वरन् सारे देश के लिए गौरव की बात है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने कल की थीं और उन्हें आज दूसरे कर रहे हैं। श्री नारायण दत्त जी को शिकायत हुई कि क्यों इन्क्वायरी कमेटीज बैठायी गईं। आचार्य जुगल किशोर की चेयरमैनशिप में भी बैठाई गईं। पर उन कमेटियों की सिफारिशों पर सरकार ने क्या किया, यह तो देखने की बात है। हम देखेंगे कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट जो लागू हुआ एलेक्ट्रिसिटी में जो स्केल आफ पे रक्खे गये वे मिनिमम वेजेज से अधिक ही थे। जो महंगाई का स्तरीकरण हमारे प्रदेश में हुआ वह बहुत कुछ निमकर कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है और हमारे प्रदेश के श्रमिकों के वेतन का स्तरीकरण चाहे वह कपड़ा अथवा बिजली उद्योग में लगे हैं वह निमकर कमेटी के फैसले पर आधारित हैं उनका जो ढांचा है, तनख्वाहें हैं अथवा टर्म्स एण्ड कंडीशंस हैं वह उसी कमेटी की सिफारिश पर आधारित हैं। ऊन की इंजीनियरिंग के उद्योग में लगे मजदूरों की तनख्वाहों का स्तरीकरण निमकर कमेटी की सिफारिश पर आधारित है और इस प्रदेश की सरकार के इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के भिन्न भिन्न एवार्ड्स को भी जो उक्त कमेटी की सिफारिशों पर आधारित हैं उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालयों ने स्वीकार किया। यह नहीं कि हमारे प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं। श्री नारायणदत्त जी को निराश नहीं होना चाहिये। हां, समाजवाद हमने स्थापित नहीं कर दिया लेकिन कदम हमारा उसी तरफ है। यह नहीं कि समाजवाद हमने स्थापित कर लिया लेकिन मंजिल हमारी जरूर समाजवाद की है। हमारे लक्ष्य और कदम उसी तरफ हैं।

आज की बहस में श्री तिवारी जी ने कुछ शुबहा प्रकट किया कि हम समाजवाद के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। मैं उसकी पूरी बहस में नहीं जाता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य, हमारे काम, हमारे प्रदेश और देश भर के मिल मालिकों की यह चिल्लाहट कि हमारे प्रदेश के श्रमिक संबंधी कानून सख्त रहे हैं, जिसके कारण पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी और दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी प्राइवेट सेक्टर हमारे यहां बहुत शायी (shy) रहा है। हमेशा यह कहा प्राइवेट सेक्टर ने कि बम्बई से आपकी तनख्वाहें ज्यादा हैं। नारायणदत्त जी ने किसी भ्रमवश बम्बई की मिसाल दे दी। बम्बई का चार लूम चलाने वाला मजदूर यहां से ड्योढ़ी तनख्वाह भी नहीं पाता जब कि हमारे यहां का मजदूर दो ही लूम चलाता है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि क्या तनख्वाह होनी चाहिए। लेकिन बम्बई हम से बहुत आगे है, यह मैं नहीं मानता। उत्तर प्रदेश मजदूर आन्दोलन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों के प्रति भलाई करने में भी सब से आगे है, अग्रगण्य है।

इस कानून की चर्चा करते हुए मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। उन्होंने वर्क्स कमेटीज की बात कही। मुझे खेद है कि वर्क्स कमेटीज को तोड़ने के लिए यहां पर इस प्रदेश में एक अजीब आन्दोलन चला था। वर्क्स कमेटीज का स्वरूप बदलने के लिए नहीं

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

तोड़ने के लिए। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि उस जमाने में जब माननीय शिवनन्दन लाल सक्सेना के नेतृत्व में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी इस अजीब ढंग के आन्दोलन में हिस्सा लिया था कभी भूख से मरने.....

श्री जगन्नाथ मल्ल---वह तो कांस्टीट्यूशन....

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का मौका आयेगा तो कहूंगा। अगर कांस्टीट्यूशन गलत था तो बदलने की बात कहते। आपने तोड़ने का नारा लगाया। आपने डिमालिशन की बात की। रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं की। वह टूटी उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, अगर आपके दल को मुबारकबाद चाहिए अगर मुबारकबाद आप को चाहिए। मुझे दुख है कि वह टूटी। मजदूरों के हाथों से एक बहुत बड़ा हथियार निकल गया। हजारों काम उस वक्त समिति में बैठ कर आई० एन० टी० यू० सी० ने प्रेरित मजदूर आन्दोलनों ने किये। टूटने के बाद आप उसको मंजूर करते हैं, उसकी दुहाई दे कर तरह-तरह के मुकदमें चीनी मिलों में लड़ते हैं। रिटेनिंग के बारे में उदाहरण लीजिए। जो काम आप चीनी मिलों में मकानों के किराये की बातें करते हैं, लकड़ी और कोयले की बात करते हैं उसका आधार कहां है? लेकिन आपने तब आन्दोलन चलाया, गलत या सही। आपने मजदूर आन्दोलन को ठेस पहुंचायी। अगर मजदूरों की भलाई मजदूर आन्दोलन से हो सकती है तो उसको सुव्यवस्थित होना पड़ेगा, उसका ढांचा मजबूत होना पड़ेगा। वर्क्स कमेटीज के ढांचे को कमजोर करने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा।

श्री उपाध्यक्ष---आपका 'आप' शब्द भ्रान्तिमूलक हो सकता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---आपके द्वारा मैं आपसे (माननीय नारायणदत्त तिवारी जी से) कहना चाहता हूं, स्पष्ट है, श्रीमन्, कि उसमें आपका हाथ नहीं था। मैं तो उनकी तरफ इशारा कर रहा था। मैं तो उनके बाएं हूं। सही बात कहता हूं। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने पंचवर्षीय योजना की बात को चलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि हम इतनी दूर पहुंच गये लेकिन हमने पंचवर्षीय योजना में दिये गये निर्देश का पालन नहीं किया। उन्होंने स्टैंडिंग आर्डर्स की बात, मैनुअल आफ इंस्ट्रक्शंस की बात बतायी। लेबर और कैपिटल के बीच में क्या ताल्लुक रहे, इस की बाबत में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार के अपने कारखानों का सम्बन्ध है उसमें हर एक कारखाने में वर्क्स कमेटी चलती है। यह सुख की बात है कि हमारे प्रदेश की सरकार द्वारा चलाये गये कारखानों में ऐसा नहीं है और उस हद तक हमारे पैर पूरे उठे रहे। इस हद तक मैं उनसे सहमत हूं। पर जो प्रजा सोशलिस्ट लोग मजदूर जगत में काम करते हों और यह बात उनकी समझ में आये तो काम बढ़ाना चाहिए। अच्छी योजना है, इसमें शक नहीं। जहां तक यह ताल्लुक है कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन हो, इन बातों का इशारा उठाने की बात इस समय नहीं आती और न मैं उस पर कुछ कहना ही चाहूंगा। आटोमेटिक रिफरेंस की बात हमारे मित्र ने कही कि इस कानून में आटोमेटिक रिफरेंस की व्यवस्था नहीं है। अब आटोमेटिक रिफरेंस मैं भी चाहता हूं, जरूर हो, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री तेज प्रताप सिंह, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के संबंध में अपने विचार रखते हुये मैंने निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश और प्रांतों से काफी अधिक आगे रहा है और भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि वह आगे रहेगा क्योंकि यहां मजदूर आन्दोलन जिस बुनियाद पर खड़ा है वह बुनियाद इस बात का पक्का सबूत है कि यह मजदूर आगे बढ़ने वाला है।

यह बात अवश्य है कि मुकदमों के अदालतों में जाने के सिलसिले में जो आज हमारे यहां नियम हैं, कानून में जिनकी प्रस्तावना की गई है वहां हम व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो लोग कांग्रेस की तरफ से मजदूरों में काम करते हैं वह बहुत से सन्तुष्ट नहीं हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन जो आंकड़े माननीय नारायणदत्त जी ने प्रस्तुत किये उन आंकड़ों में थोड़ा भ्रम है। जितने मुकदमें सन् ५४-५५ में नहीं रेफरेंस में गये थे उनमें से बहुत मुकदमें ऐसे थे जो विचाराधीन थे, जिन पर फैसला बाद में चल कर हुआ। फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि श्रम विभाग अपनी इस नीति को ठीक करे। यदि यह अधिकार अपने हाथ में रखना है तो उस अधिकार का उचित प्रयोग करना होगा। जिस तरह का प्रयोग अभी तक हुआ है उससे मजदूरों में असंतोष है, इसमें दो रायें नहीं। हम चाहते हैं कि आटोमेटिक रेफरेंस हो लेकिन उसकी बुनियादी क्या दिक्कतें हैं, वह प्रैक्टिकल प्रोपोजीशन है या नहीं, यह सब बातें विचार करते हुये मैं ऐसा समझता हूं कि यदि रेफरेंस की अपनी नीति को सरकार कुछ ढीली कर दे, कुछ हद तक ढीली कर दे तो वह उचित होगा।

श्रीमन्, सरकारी कारखानों के मजदूरों के झगड़ों को अदालत में भेजने का तो सवाल आज तक आया ही नहीं। कानपुर में एलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके मजदूरों के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट लागू है, यह अमेंडेड ऐक्ट भी लागू होगा, लेकिन इनका लगना न लगना बेकार ही जायगा क्योंकि लेबर कमिश्नर साहब या सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट जो एक डिपार्टमेंट के हेड हैं वह दूसरे विभाग के सेक्रेटरी या हेड आफ दी डिपार्टमेंट की नीति रीति पर बैठ कर फैसला लेने वाले नहीं क्योंकि जब रेफरेंस होता है तो प्राइमाफेसी रेफरिंग एथारिटी अपने को सेटिस्फाई कर लेती है कि मुकदमें में कुछ दम है या नहीं। जब वह मान लेंगे कि दम है तब रेफर करेंगे। तो जहां तक रेफरिंग एथारिटी का ताल्लुक है उनके लिये यह कहना संभव नहीं है कि केसा के अध्यक्ष ने भूल की। नतीजा यह होता है कि इस कानून के लगने के बावजूद भी सरकारी कारखानों में उससे कोई फायदा अभी तक नहीं हुआ। हम लोग आशा करते थे कि केन्द्र शायद कुछ ऐसे कारोबार के लिये भी कम्पलसरी एडजुडिकेशन की नीति को अपनायेगा लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ। इस माने में देश ही पिछड़ा हुआ है लेकिन कोई वजह नहीं थी कि हम पिछड़ते। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संबंध में अपनी नीति को बदलने की जरूरत है और नये कदम उठाने की आवश्यकता है खासकर सरकारी कारखानों के सिलसिले में। पर फिर मैं यह दोबारा अर्ज करना चाहता हूं कि रेफरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में देश के किसी और हिस्से के मुकाबले में पीछे नहीं है। बम्बई में कंसीलियेशन करने वाला आफिसर खूब सेटिस्फाई हो जायगा कि झगड़े में कुछ बुनियाद है तभी वह उसकी रिपोर्ट चीफ आफिसर को भेजेगा। अगर उसमें कुछ दम नहीं है तो उस मुकदमें की रिपोर्ट भेजने का सवाल नहीं उठता। वहां भी रिपोर्ट तो उनकी भेजी जाती है जिनमें Conciliation Officer महसूस करता है कि इसकी बुनियाद ठोस होने से इस झगड़े की रिपोर्ट आगे जानी चाहिये। पर हमारे कंसीलिएशन आफिसर चाहे वह हमारे झगड़े की रिपोर्ट से सहमत हों या असहमत हों, उसकी पूरी रिपोर्ट भेजते हैं। जितनी बात प्रशंसा की है उतनी तो करनी पड़ेगी। कंसीलिएशन बोर्ड में इम्प्लायर का रिप्रिजेंटेटिव और इम्प्लायी का रिप्रिजेंटेटिव (मालिक का भी और मजदूर का भी रिप्रिजेंटेटिव) बैठता है। रीति यह है कि चेयरमैन कंसीलिएशन बोर्ड के साथ दोनों आदमी मुकदमें को सुनें और सुनने के बाद दोनों पार्टियों में किस दल का दोष है प्राइमाफेसी, उसकी सरकार के पास तीनों के हस्ताक्षर से रिपोर्ट भेजते हैं और फिर हाई आफिसर्स तय करते हैं कि आया उस मुकदमे में जान है या नहीं। इस तरह इन मुकदमों की रिपोर्ट्स सरकार के पास जाती हैं। लेकिन अभाग्यवश बहुत से मजदूरों के नुमाइन्दे इनमें बैठा नहीं करते हैं, यह अपने अधिकारों को अपने आप छोड़ते हैं, वह गल्ती करते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिये। फिर भी, इससे बात पूरी नहीं बनती है जब तक कि रिफरेंस की नीति को थोड़ा सा ढीला न किया जाय।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

श्रीमन्, इस विधेयक में बहुत सी ऐसी कमियां भी हैं जिनकी तरफ मैं इशारा किये बगैर नहीं रह सकता हूं। इसमें इम्पलायर की परिभाषा में बहुत खम है कि मालिक के एजेंट को भी अधिकार दे दिया गया है जिसका नतीजा यह हो रहा है और अभी तक डाइरेक्टर बनाकर किसी वकील को मालिक लोग मजदूर अदालतों में अपनी पैरवी का काम दे दिया करते थे, तो अधिकांश कम्पनियां हिम्मत नहीं करती थीं कि किसी वकील को डायरेक्टर बनायें। लेकिन भविष्य में यदि यह रूप कानून का चला तो दिक्कत हो सकती है। इस संबंध में जब अमेंडमेंट आयेंगे तो मैं अपनी बात आपके द्वारा सदन के सम्मुख रखने की चेष्टा करूंगा। लेबर कोर्ट के संबंध में—

श्री जगन्नाथ मल्ल—अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अधिष्ठाता महोदय, लेबर कोर्ट के अधिकारों तथा कर्तव्यों के संबंध में श्री नारायणदत्त जी ने थोड़ा सा इशारा किया। मैं इस संबंध में केवल दो बातें कहना चाहता हूं। बहुत से लोगों का मत है कि इसमें हाई कोर्ट के जजेज को रख लिया जायगा तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत से लोगों का मत है कि इस काम को जुडीशियरी के आदमी ही अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मत इन दोनों से सर्वथा भिन्न है क्योंकि अब तक जो सैकड़ों मुकदमों में पैरोकार की हैसियत से मुझे अनुभव हुआ उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि इसमें हाई कोर्ट के जजेज ही हों। आवश्यकता तो इस बात की है कि जो मनुष्य आजकल के युग में मालिकों तथा मजदूरों के विचारों में तथा अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन पैदा कर सके, ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है। पुराने जमाने के कानूनों के आधार पर कांट्रेक्ट और कांट्रेक्चुअल लायबिलिटीज को आधार मानकर मालिकों और मजदूरों के संबंध में निश्चय नहीं हो सकता। वह लोग आज के इस बदले हुये जमाने में नये युग की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जीवनभर ला आफ कन्ट्रेक्ट (Law of Contract) से व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का निपटारा किया हो। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग जीवनभर एक तरह के कानूनों के आधार पर मुकदमों का फैसला करने के आदी हो जाते हैं उन लोगों को इन श्रमिकों संबंधी मुकदमों के फैसला करने में दिक्कत होती है। यह तो सामाजिक न्याय की अदालत है, इसके मुकदमों को फैसला करने का ढंग दूसरा है। यह कार्य नये दृष्टिकोण के आदमी से ही ज्यादा अच्छा हो सकता है जिनके दिल और दिमाग में मजदूरों की आवश्यक बुनियादों पर, मजदूरों की उत्पादन की आवश्यकताओं को ऊपर रखने की दृष्टि से हित करने की भावना होती है। इसके लिये जो प्रतिबन्ध इसमें उपस्थित किये गये हैं, वह उचित ही हैं और मैं उनकी सराहना करता हूं।

इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस कानून के अन्तर्गत हमारे सारे प्रश्नों का हल उपस्थित नहीं किया गया है और मेरे खयाल से ऐसी कोशिश भी नहीं की गई है। मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज भी निवेदन करूंगा कि इस युग में जब हमने अपने राज्य के आर्थिक ढांचे को पंचवर्षीय योजना के आधार पर निश्चित किया है और इस निश्चित लक्ष्य के द्वारा ऊपर उठाने की कोशिश की है, तो हमारे प्रदेश और देश के अन्दर उस विचार को भी मान्यता देनी पड़ेगी कि हर पांच सालों के लिये मजदूरों की नौकरी की मुख्य शर्तों को निश्चित कर दिया जाय, चाहे वे तनख्वाहें हों, चाहे वह कार्य-भार हो, चाहे वे छुट्टियां हों, चाहे वह बोनस हों। जिन मुख्य-मुख्य बातों पर रोज झगड़े चलते हैं उनका निराकरण हर पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में कर दिया जाय और उनको उसी प्रकार का स्वरूप दिया जाय जैसे हमारी पंच वर्षीय योजना का स्वरूप होता है और उसमें इतना प्रतिबन्ध लगाया जाय कि यदि निश्चित प्रकार से हमारी मान्यतायें

सब दृष्टिकोणों से पूरी होती चली गयीं तो वेतनों, महंगाई आदि आदि का स्वरूप यह होगा और आवश्यकता पड़ने पर उसमें रद्दोबदल भी किया जा सकता है ।

आज हमारे प्रदेश में 'धक्का दो और आगे बढ़ो' की नीति मालिक और मजदूरों के बीच में अपने आप जोर पकड़ रही है । उसकी जिम्मेदारी हमारी है । जहां मालिक मजदूरों को धक्का देकर आगे बढ़ पाता है वहां वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसूल क्या कहता है, उत्पादन में कितना लाभ हुआ, उसका कितना अंश मजदूरों के पास गया; और कोई ऐसे निश्चित नियम हैं भी नहीं जिनके द्वारा राइट्स एंड लायबिलिटीज आफ दी पार्टीज इक्वेट कर सकें । अगर वाकई इसको इक्वेट करने की जरूरत है तो रोज-रोज की मुकदमेबाजी से वह इक्वेट होने वाला नहीं है । उसे तो एक बार मालिक और मजदूर की खास बातों को दृष्टिकोण में रखते हुये कुछ विचारवान लोगों को बैठ कर कानून की स्पिरिट में और उस स्पिरिट के साथ नये जमाने की आवाज को मिलाते हुये एक निश्चित आकार और स्वरूप देना पड़ेगा । हमारे प्रदेश ने इसकी कोशिश की थी जब कांग्रेस का पहला मंत्रिमंडल स्वराज्य प्राप्ति के जमाने में आया था और उन लेबर और कैपिटल के प्रतिनिधियों को बिठा कर जिनका मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया, सारे सवालों पर विचार किया था । लेकिन आवश्यकता है कि फिर से यह योजना; इस युग में हम अपनी मान्यताओं को स्थिर करने के हेतु, निश्चित रूप में प्रस्तुत करें और सदन में कोई ऐसा विधेयक लायें जिसके द्वारा उन मान्यताओं की स्थिरता लाने में सरकार सफल हो । समय रहते हुये अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजदूरों में भी 'धक्का दो और आगे बढ़ो' की नीति मालिकों की इस नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप जोर पकड़ती जायगी और हम में से उन लोगों को जो इस बात को मानते हैं कि इस देश में गरीबी बांटने से किसी का लाभ नहीं है, उत्पादन बढ़ा कर देश की गरीबी को मिटाना है, और उसमें श्रमिकों का बहुत बड़ा हाथ है, उनके रास्ते में बड़ी दिक्कत हो जाती है और वह दिक्कत इसलिये हो जाती है क्योंकि वे सामाजिक तत्व जिनको इस देश की प्रगति में चाहे विश्वास हो या न हो लेकिन मजदूर संगठनों में उत्तरोत्तर कब्जा करना चाहते हैं, प्रजातन्त्रवादी विचारधारा के लोगों के लिये एक दुखद स्थिति उत्पन्न करते हैं जो कि श्रमिकों में काम करते हैं, चाहे वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों, चाहे वे आई० एन० टी० यू० सी० के लोग हों । इसलिये यदि हम ऐसी नीति अपनायें तो निश्चय ही उस तरह के समाज और देश विरोधी तत्वों को हमारे देश के राजनीतिक जीवन में स्थान मिलने कि गुंजाइश नहीं रहेगी । मैं चाहता था कि सदन के सामने इस तरह का कोई विधेयक आने की बात होती या इस तरफ माननीय मंत्री कुछ इशारा करते । अभाग्यवश जब उन्होंने यह बिल पेश किया था मैं यहां नहीं था लेकिन उत्तर देते वक्त मुझे आशा है कि वे इस प्रश्न पर भी कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य डालेंगे ।

हमारे इस प्रदेश के श्रम विभाग और उसके काम करने वाले लोगों के बारे में भी इस विधेयक में ऐडजुडिकेटर होने के सिलसिले में कहा गया है । मेरा अपना अनुभव और इस प्रदेश के हजारों फैसले कहते हैं कि जो फैसले इस विभाग के अफसरों ने दिये वह बड़े ही महत्वपूर्ण हुये हैं । 'वर्कमैन' की डेफ़नीशन क्या है; इस पर हमारे विभागीय एडजुडिकेटर के फैसले को हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने मन्जूर किया । लेकिन कुछ लोगों के विचार से ऐसा मालूम होता है कि उनका शायद यह खयाल है कि ऐसा न हो कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर्स को श्रमिकों और मालिकों के सम्बन्धों का निराकरण करने में कोई सफलता न मिले । मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि श्रम विभाग का कार्य स्वराज्य प्राप्ति के बाद एक नया कार्य रहा है । वहां के काम करने वालों की मान्यतायें दूसरी सर्विसेज से भिन्न हैं । श्रम विभाग ऐसा विभाग है जिसमें काम करने वालों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की शिकायत सौ में निन्यानबे बार नहीं हुई, एक आध हुई हों तो हुई हों । तो उस विभाग के कार्य को देखते हुये, उसकी मान्यताओं को देखते हुये, उसके एक्सपीरियेंसेज को ध्यान में रखते हुये अगर एडजुडीकेशन का काम उनके हाथों से ले लिया गया तो वह हितकर नहीं है । ऐक्ट का यह प्राविजन समाज का नया स्वरूप जो हम आप बनाना चाहते हैं उसमें बाधक नहीं होगा । हमारे कुछ दोस्तों को शायद

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

ऐक्ट को समझने में दिक्कत हुई है। इसमें ठेकेदारों की जिम्मेदारी मालिकों पर डालने का विधान बनाकर जो बहुत बड़ी कमी थी उसको पूरा किया जा रहा है। यह बिजलीघरों में, टेक्सटाइल मिल्स में, शुगर मिल्स में देखिये। बिजलीघरों में बवायलरों को कोयला देने का काम ठेकेदारों के द्वारा होता है, कपड़े की मिलों में कपड़े की गांठें बांधने का काम ठेकेदारों के द्वारा होता है, चीनी की मिलों में चीनी बोरों में भरने का काम ठेकेदारों के द्वारा होता है और उसी कारखाने में वह ठेकेदार द्वारा लगाया मजदूर उतनी तनख्वाह नहीं पाता जो तनख्वाह वहां दूसरे मजदूर उसी की प्रकार काम करने वाले पाते हैं। तरीका यह है कि ठेकेदारों द्वारा हमारे यहां शोषण की परम्परा कायम है और इस शोषण करने में मालिकों का हाथ होता है लेकिन हम उसको पकड़ कर अबतक अदालत में नहीं खड़ा कर सकते थे, अब यह जो नया विधेयक आया है उसमें इस बुराई को दूर करने की व्यवस्था है।

यह सही है कि इसमें सारा उपकार मजदूरों का नहीं है और मजदूरों की नई दुनिया का सारा का सारा स्वरूप इसमें नहीं है लेकिन मजदूरों का नया नक्शा, नई उठती हुई उनकी आवाज का संकेत इस बिल में थोड़ा बहुत है यद्यपि लक्ष्य की पूर्ति अकेली इससे होने वाली नहीं है लेकिन वह हमें बहुत आगे ले जाने वाला विधेयक है और प्रदेश में नये समाज की स्थापना में और नये स्वरूप को उत्पन्न करने में सहायक होगा इसमें संदेह नहीं है। दोनों ही, मालिकों और मजदूरों के लिये न केवल पूंजी के बल पर बल्कि श्रम के बल पर हिस्सेदार बनाकर साथ-साथ व्यवसाय चलाने की क्षमता उत्पन्न हो सके, हमें वे कानून लाने होंगे जिनके द्वारा हमारे मजदूरों को काम करने में किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं और किस तरह से उन्हें दूर किया जा सकता है और किस प्रकार मैनेजीरियल फंक्शन्स में उनको भी शामिल किया जा सकता है, इस सबके लिये भी कुछ सोचना पड़ेगा। वह भी इस विधेयक में नहीं है लेकिन जिन बातों और उद्देश्यों को ले कर यह विधेयक उपस्थित किया गया है उसकी तो सराहना करनी ही चाहिये और इस विधेयक को पास होने में एक दिन भी नहीं लगना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय श्रम मन्त्री जी को इस सुन्दर विधेयक को उपस्थित करने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा विधेयक है इस पर कई साथियों ने जो भाषण दिये उनको मैंने सुना। कुछ संशोधन भी मैंने देखे। माननीय पालीवाल जी का संशोधन है कि इसको एक प्रवर समिति के लिये भेजा जाय और उसके लिये १५ नवम्बर की तिथि भी उन्होंने निश्चित की है। इसी तरह का एक और संशोधन है कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय और उसके स्कोप को भी बढ़ा दिया जाय। माननीय पालीवाल जी ने अपने संशोधन को पेश करते हुये कहा कि सरकार का यह कुछ तरीका हो गया है कि जो भी विधेयक आता है उसको जल्दी में पास कराना चाहती है और आम तौर पर प्रवर समिति को नहीं भेजती है। मैं समझता हूं कि यह आक्षेप बहुत ज्यादा उचित नहीं है। अभी पिछले दिनों में इंटरमिडियेट एजूकेशन के सम्बन्ध में एक विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया है। देखना यह पड़ता है कि जो विधेयक हमारे सामने है इसके पास न होने से या देर से पास होने से क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है कि इसके स्कोप को बढ़ा दिया जाय, मैं समझता हूं कि शायद उसमें कुछ वैधानिक कठिनाइयां भी हमारे सामने आ सकती हैं। कुछ भाइयों ने यह भी कहा कि इसमें बहुत सी कमियां हैं। सही बात है कि यह जो विधेयक आया है मैं समझता हूं कि शायद किसी को इसकी बाबत भ्रम नहीं है कि यह पूर्ण विधेयक है। हमारी जो मजदूर समस्यायें हैं वह बहुत व्यापक हैं और इस बात की कोशिश की गई है कि उनको बहुत हद तक हल किया जाय। फिर भी इस बात का दावा नहीं है कि सब बातें इससे हल हो जायंगी। इसमें एक और भी कठिनाई है। यह जो विधेयक हमारे सामने है उसमें हमारी कुछ सीमायें हैं और उन सीमाओं को हम तोड़ नहीं सकते। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया था कि हमारे प्रदेश में आम तौर से मजदूरों के संबंध में

इस विषय में तीन किस्म के कानून थे। सेंट्रल तथा प्रदेश के तीन कानून थे जिनमें एक जहां तक मुझे याद पड़ता है १९४७ का था, दूसरा सेन्ट्रल (Industrial Disputes Act) प्रदेश का (Industrial Disputes Act, 1947) का था तीसरा Industrial Disputes (Appellat Tribunal) Act, 1950 था। यह सभी लागू होते थे। आम तौर से यू० पी० का ऐक्ट ही लागू होता था मगर जो एवार्ड वगैरह होते थे उनके सिलसिले में हमको सेन्ट्रल ऐक्ट की इमदाद लेनी पड़ती थी। जैसा कि हमको मालूम है, सन् ५६ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में संशोधन हुआ और पार्लियामेंट ने उसको पास किया। विधान के अनुसार पार्लियामेंट का ऐक्ट जब पास हो गया तो वह सारे देश में लागू हो गया। हमारे प्रदेश में भी वह ऐक्ट लागू हो जाता है। हमारे यहां जो अब तक नियम चल रहे थे इस विचार से कि उनमें एकाएक कोई एबरप्ट चेन्ज न हो, कोई परेशानी न हो जाय, इस बात की कोशिश की गई है। इस विधेयक को लाकर कि एक सेल्फ-कंटेन्ड विधेयक पास किया जाय और इसमें वह सब चीजें जो कि १९५६ के सेन्ट्रल ऐक्ट में है वह ले ली गई हैं और हमारे प्रदेश की जो वस्तु-स्थिति है उसको देखते हुए केन्द्रीय सरकार की अनुमति से कुछ इसमें संशोधन भी कर दिये गये हैं। मैं उनके डिटेल्स में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन जैसा कि कई सदस्यों ने उस ओर इशारा किया है कि इसके अन्दर कुछ नयी डेफीनीशन्स हैं, आदि-आदि।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें। सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवल किशोर---मैं यह कह रहा था कि १९५६ का जो संशोधन ऐक्ट है उसकी धाराओं को इसमें लिया गया है और कुछ अपनी तरफ से भी चीजें इसमें बढ़ाई गई हैं, जैसे इसमें इम्प्लायर के स्कोप को बढ़ा दिया गया है। रिट्रेन्चमेंट में भी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है इस माने में कि जो कंटीन्युअस सिकनेस का प्राविजन था, वह हटा दिया गया है। इससे मजदूरों का कुछ हित हो जाता है। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, इससे एक फायदा यह भी होने वाला है कि न केवल हमारे प्रदेश में बल्कि सारे देश में जो मजदूर संघों की कागजी ग्रोथ हो रही थी वह कुछ हद तक रुक जायगी। वह यूनियनें खत्म हो जायंगी चूंकि उनको दो साल से कम की होने पर मौका नहीं मिलेगा कि वे झगड़ों को न्यायालय में ले जा सकें। इसका यह असर जरूर होने वाला है कि मजदूर यूनियन मजबूत बनेंगी। कुछ और भी तब्दीलियां की गई हैं। जो एपीलेट ट्रिब्यूनल्स थे उनको खत्म कर दिया गया है और उनके स्थान पर लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की बात है। सेन्ट्रल ऐक्ट के मुताबिक जो यह बात है कि मिनिमम क्वालीफिकेशन में उनका स्तर हाई कोर्ट के जज का होना चाहिये, चूंकि यहां उतने आदमी उस स्तर के मिल नहीं सकते, इस बात को ध्यान में रख कर इस विधेयक में इस बात को रखा गया है कि हाई कोर्ट के जजेज के अलावा भी कुछ लोग इन ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं। मैंने यह महसूस किया कि जिस कठिनाई को ध्यान में रखते हुये हमने थोड़ी सी तरमीम की है उसे अगर हम पूरा देखना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि इसके अन्दर एक कैटेगरी यह भी होनी चाहिये कि अच्छे स्तर के एडवोकेट्स, जो जज हो सकते हैं, उनको इसमें होने का मौका होना चाहिये।

इसमें उम्र की मियाद ६५ साल रखी गई है। इसे देख कर मैंने यह महसूस किया कि शायद यह इस खयाल से रखी गई है कि हाई कोर्ट के जज ६० साल की उम्र में रिटायर होते हैं। अगर हाई कोर्ट के जज को आप ६५ साल तक मौका दें तो मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है यद्यपि मैं इस बात के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं हूं क्योंकि बेकारी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर अच्छे आदमियों की कमी है तो यह तरमीम करदी जाय कि रिटायर्ड हाई कोर्ट यदि जज हों तो ६५ साल की उम्र होगी वरना ६० साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

[श्री नवल किशोर]

बहुगुणा जी ने भी संकेत किया कि जो लोग रखे जावेंगे उनमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात भी है। यद्यपि उनकी कार्यक्षमता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन इसमें से इसे हटा देना चाहिये क्योंकि हम ट्रिब्यूनल्स को जुडिशियल कोर्ट्स की तरह से बनाना चाहते हैं। इसलिये हायर जुडिशल सर्विस के लोग इसमें रखे जाने चाहियें। जुडिशियल कोर्ट्स से एग्जीक्यूटिव आफीसर्स को हम जितना दूर रखें उतना अच्छा है।

श्री टीकाराम—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि कोरम रखने की कृपा करें और यहां से बार-बार न उठें।

श्री नवलकिशोर—इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ और भी बातें कही गईं। माननीय मंत्री जी ने भी संकेत किया था कि यह केन्द्रीय कानून है और हम इसमें ज्यादा तरमीम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुये हैं। मैं समझता हूं कि वैधानिक तौर से यह बात सही है लेकिन चूंकि और तरमीमें इसमें हमने की हैं, इससे ऐसा मालूम होता है कि केन्द्रीय सरकार ने कम से कम उतनी तरमीमें करने की बात तो हमारी मान ही ली है और वैसे भी हमको अधिकार है कि हम प्रेसीडेन्ट की रजामन्दी से कुछ संशोधन कर सकते हैं। जैसा औरों ने कहा, इस कानून में बहुत खामियां हैं। विशेषकर हमारे उन भाइयों ने बहुत सी बातें रखीं जिनका सम्बन्ध श्रम से रहा है। मैं आशा करता हूं कि जो भावनायें हमारे दोनों ओर के भाइयों ने व्यक्त की हैं उनको लेकर माननीय मंत्री जी हमारे प्रदेश की सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे और खाली लिखेंगे ही नहीं बल्कि इस बात पर जोर भी देंगे कि हमारा भवन यह चाहता है कि मजदूरों के हितों में आपके कानून में इस तरह की तरमीम होनी चाहिये। मैं यह मानता हूं कि पार्लियामेंट का कानून अपना एक स्थान रखता है लेकिन पार्लियामेंट के किसी कानून में कोई तरमीम नहीं हो सकती; ऐसा भी मैं नहीं मानता। इस समय कुछ भी कठिनाई हो लेकिन जनता की राय में जो चीज अवैधानिक दिखाई देती है, उसके लिये कोई नियंत्रण होगा, मैं समझता हूं ऐसी मंशा माननीय मंत्री जी की नहीं होगी। मैं तो समझता हूं कि हम लोगों को इस बात का अधिकार है कि हम अमेंडमेंट की शकल में अपनी बात को सरकार के सामने पेश कर सकें और चाहे आज सरकार उसके बारे में हां कहे या ना, लेकिन अगर वह उचित है तो सरकार को उसके बारे में केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी करनी चाहिये और यह कोशिश करनी चाहिये कि उन सबके अनुरूप इसमें तब्दीलियां हों।

इसके अनन्तर माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा कि लेबर डिस्प्यूट्स में सरकार को रेफरेंस करने की बात नहीं होनी चाहिये, पार्टीज को यह अधिकार होना चाहिये कि कोर्ट में सीधे मामले को ले जायं। देखने में तो यह सुझाव अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन इससे काम्प्लीकेशन्स बहुत पैदा हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त इसके पीछे यह भी खयाल है कि लेबर डिस्प्यूट में जो मामले आते हैं वे ज्यादा न हो जायें तथा इसका भी खयाल रखना पड़ता है कि छोटी-छोटी चीजों के ऊपर मुकद्दमेबाजी न शुरू हो जाय। अगर ऐसा होता है तो वह मजदूरों के हित में न होगा। इस प्रकार इसमें अननैसेसरी लिटिगेशन को डिसकरेज करने की बात भी है।

इसमें एक नयी बात यह भी रक्खी गयी है कि आर्बीट्रेशन के बाद अगर सरकार यह महसूस करती है कि वह जनहित में नहीं है तो उसको सरकार मोडीफाई कर सकती है। इसके अन्दर यह भी एक प्रावीजन अच्छा है कि सरकार धोखे से प्राप्त किसी

भी Award को रद्द कर सकती है। अंत में मैं समझता हूं कि इस अवस्था में जब कि हम यह जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार का यह कानून है इसलिये इसके स्कोप को हम बढ़ा नहीं सकते हैं और सरकार भी ज्यादा संशोधन इसमें स्वीकार नहीं कर सकती तो ऐसी स्थिति में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि प्रवर समिति में इसका भेजा जाना उचित नहीं है और माननीय पालीवाल जी से मैं आशा करता हूं कि वह अपने उस संशोधन को वापिस ले लेंगे और अमेंडमेंट की शक्ल में जो कुछ उनके विचार हों उनको रखने की तो उनको स्वतन्त्रता है ही। अतः जितनी जल्दी हो सके हमें इस विधेयक को पास कर देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से कई प्रकार की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर यह पास नहीं होता है तो एडजूडीकेशन की जो मशीनरी है वह करीब-करीब बेकार सी हो जाती है। अगर यह पास नहीं होता है तो सेंटर का जो ऐक्ट है वह लागू हो जाता है और उससे हमारी एडजूडीकेशन की जो मशीनरी है वह बेकार हो जायगी। इसलिये उन दिक्कतों को हटाने के लिये इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इसको जल्द से जल्द पास कर दिया जाय। इन चन्द शब्दों के साथ मैं उसका समर्थन करता हूं।

आचार्य जुगल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि इस विधेयक के ऊपर पालीवाल जी की तरफ से जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसका जवाब दूं। प्रवर समिति में भेजने के लिये जो उन्होंने यह संशोधन पेश किया है उसके बारे में मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में यह बतलाया था कि इस बिल को लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों यह जरूरी है कि यह जल्द से जल्द पारित हो जाय। यों तो कहने के लिये विरोधी पार्टी की तरफ से कहा जाय कि यह तो हमेशा ही ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है और गवर्नमेंट सेलेक्ट कमेटी में रेफर करने से संकोच करती है। मैं आपके द्वारा उनको बतलाना चाहता हूं कि कई ऐसे इम्पार्टेन्ट बिल्स इस वर्ष ही सेलेक्ट कमेटी में रेफर किये गये। गवर्नमेंट की यह नीयत तो है नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को तो कभी-कभी बड़ी आसानी होती है अगर सेलेक्ट कमेटी में कोई बिल चला जाय, क्योंकि वहां उस पर अच्छी तरह से बहस हो जाती है और फिर हाउस में उन संशोधनों पर विचार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इस वक्त जो परिस्थिति पैदा हो गयी जिसकी वजह से यह बिल सेलेक्ट कमेटी में नहीं गया उसका जिक्र मैंने किया और अभी माननीय नवल किशोर ने भी जिक्र किया है। क्योंकि सेंट्रल ऐक्ट पास हो गया और उसके पास होने से कुछ ऐसी धारायें सेंट्रल ऐक्ट में रखी गयी हैं कि वे लागू हो गयीं तो हमारी जो ऐडजुडिकेशन मशीनरी है वह बिलकुल बेकार हो जायगी और हमको बड़ी परेशानी हो जायगी, तो इसलिये इस बात की आवश्यकता पड़ी है कि जल्द से जल्द इस बिल को लाया जाय। संभव है कि इस बिल में कुछ त्रुटियां रह गयी हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन त्रुटियों के लिये कोई अमेंडमेंट बिल न लाया जाय, लाया जा सकता है।

जो सुझाव माननीय सदस्यों ने रखा है उस पर विचार करके मैं कोशिश करूंगा कि इस बिल में जो कमियां रह गयी हैं उनको दूर करा सकूं। परन्तु उन हर बातों पर विचार करना मुश्किल हो जायगा क्योंकि बहुत से ऐसे सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे हैं जिससे मालूम पड़ता है कि इस बिल में ही नहीं बल्कि जो हमारा अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है उसमें भी परिवर्तन हो। हो सकता है उसमें भी बहुत कमियां हों, हम भी कभी-कभी समझते हैं कि उसमें परिवर्तन होना चाहिये परन्तु तमाम उन धाराओं पर विचार करना जिसमें इस वक्त जो हमारी जुडिशियल एडजुडिकेशन मशीनरी है उसका संबंध है, मैं समझता हूं कि समय को व्यर्थ करना होगा इसलिये कि कहीं पर अपील करने के लिये इस समय केवल उन्हीं धाराओं पर विचार किया जाय जिनका पारित कराना आवश्यक है। परन्तु इस दौरान दलील में जो डिस्कशन हुआ है उसके दौरान में कई ऐसी बातें कही गयी हैं जिनका मैं समझता हूं कि जवाब दूं तो अच्छा होगा नहीं तो कुछ गलतफहमी रह सकती है।

[आचार्य जुगल किशोर]

एक तो यह कहा गया है कि इस बिल में वे धारायें नहीं हैं जिनसे श्रमिकों का स्तर ऊंचा हो सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि बजाय इसके कि हमारे कांस्टिट्यूशन में जो डाइरेक्टिव दिया गया है उसको पूरा हम नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं देश में अभी ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिससे हम उन डाइरेक्टिव्ज को कार्यान्वित कर सकें जिससे न केवल श्रमिकों का बल्कि देश के सभी व्यक्तियों का स्तर ऊंचा हो सकता है। इसलिये इस वक्त यह कहना कि इस बिल द्वारा उन डाइरेक्टिव्ज को हमने पूरा नहीं किया है और न कर रहे हैं इसलिये यह बिल निकम्मा है, मैं समझता हूं कि यह दलील हम लोगों को ज्यादा उपयुक्त नहीं है। यों तो इस बिल में भी कई ऐसी धारायें हैं जिनसे यह साबित होता है कि श्रमिकों का काफी अधिकार बढ़ाया गया है। मसलन पहले श्रमिकों को यह अधिकार नहीं था कि वे उनकी जो कंडिशंस आफ सर्विस हैं उनमें परिवर्तन करने के लिये कोई अपील कर सकें या कुछ कह सकें। इस विधेयक में यह अधिकार उनको होगा कि वह कंडीशन्स आफ सर्विस के बारे में कोर्ट्स और अथारिटीज के पास अपने ख्यालात रख सकें और वह परिवर्तन कराने के लिये उनके सामने अपनी मांग रख सकते हैं और बदलवा सकते हैं।

मैंने पहले भी कहा था और अब फिर मैं दोहराये देता हूं, यहां यह कहा गया कि इस बिल में मजदूरों के स्तर को ऊंचा करने की धारा नहीं रखी गयी है, रिट्रेंचमेंट के लिये भी मैंने कहा था, इस में यह रखा गया है कि अगर मुआवजा दिया जायगा तो वह भी उस में शामिल हो कि बीमार रहा हो, मौजूदा विधेयक में वह अधिकार नहीं है कि कोई लगातार बीमार रहे और उसको रिट्रेंच किया जाय तो मुआवजा दिया जाय, इसमें यह चीज रखी गयी है कि ऐसी हालत में मुआवजा देना होगा। अब तक ऐसी हालत में यह नियम था कि ४५ दिन तक प्ले आफ हो तो किसी आधार पर मुआवजा दिया गया हो, इसमें रखा गया है कि कुछ हालतों में अगर एक सप्ताह से अधिक प्ले आफ दिया जाय तो उसी आधार पर मजदूरों को पैसा देना होगा जिस आधार पर ४५ दिन के लिये दिया जायगा। यह धारा सेंट्रल ऐक्ट में आ चुकी है। इससे जाहिर होता है कि इस बात की कोशिश की गई है कि सेंट्रल ऐक्ट में जो धारायें आ गई हैं उनको इस बिल के द्वारा अपने ऐक्ट में शामिल करने की कोशिश की गई है और संशोधन पेश किये गये हैं।

यह भी शिकायत आई है कि जब कोई मामला कोर्ट के पास विचाराधीन हो उस हालत में मौजूदा कानून के द्वारा किसी भी मजदूर को मिलमालिक नहीं निकाल सकता, इसलिये यह धारा रखी गई है कि अगर किसी डिस्प्यूट से मजदूर सम्बन्ध न रखता हो तो उसको हटा सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं, और डिसचार्ज भी कर सकते हैं और उस को एक मास का वेतन देना होगा और उस के बाद फौरन मामला अथारिटीज के पास जायगा ताकि जल्द फैसला हो सके कि उसको ठीक हटाया जा रहा है या नहीं। मैं समझता हूं यह अब काफी है उसको एक मास का वेतन भी मिल जाता है, यों तो कंसीलियेशन अफसर के पास मामला जाता है और बहुत से केसेज वहां पहुंच जाते हैं इससे ज्यादा अच्छा यह तरीका है कि उस को डिसमिस कर दिया जाय और अगर वह झगड़े से संबंध नहीं रखता है तो उसको एक मास का वेतन देकर फैसले में भेज दिया जाय, इस तरह से उसको दो मास की पे भी मिल जायगी और अगर डिसमिसल इल्लीगल है तो उसको रखना होगा और उससे उसी वेतन पर काम कराना होगा। इस तरह का नियम पेंडेंसी के दौरान के लिये रखा गया है।

यह जो समझौता हुआ है वह आल इंडिया बेसिस पर एक कन्सलटेटिव बाडी मिलमालिकों, मजदूरों और गवर्नमेंट तीनों की बनी थी और उस कमेटी ने आपस में मिलकर यह फैसला किया है और उसी के आधार पर सेन्ट्रल ऐक्ट में यह धारा रखी गई थी और उसी को हम अपने बिल में ला रहे हैं.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या वह रिकमेंडेशन्स आपके पास मिल सकती हैं?

आचार्य जुगल किशोर—जी हां। मैं थोड़ा सा पढ़े देता हूं।

"In matters not connected with the pending dispute and in so far as the punishment does not amount to dismissal or discharge, the employer should be free to take action against the employee in accordance with the standing orders of the establishment. The worker, however, may go to the authority if he feels aggrieved."

यह जो मैंने पढ़ा है खंड वह विधेयक में भी सम्मिलित किया गया है। उसके साथ ही साथ यह भी कर दिया गया है कि कुछ वर्कर्स को एम्पलायर को निकालने का अख्तियार नहीं है और वे वर्कर्स वे होंगे जो ट्रेड यूनियन के आफिस बीयरर्स होंगे। ५ तो कम से कम होंगे ही और १ परसेंट जो स्ट्रेंथ है उस फैक्टरी की उससे ज्यादा नहीं होंगे। ट्रेड यूनियन्स के वर्कर्स को विक्टमाइज नहीं किया जा सकेगा चाहे वे डिस्प्यूट में हों या न हों। मैं समझता हूं कि यह भी प्रोटेक्शन ऐसा है जिससे ट्रेड यूनियन्स वाले भी यह समझेंगे कि हमारे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। यह जरूर था कि ऐसी हालत में जब एम्पलायर को अख्तियार दिया जाय कि वह डिसमिस कर सकता है बिना कोर्ट की इजाजत के तो यह जरूरी था कि ट्रेड यूनियन्स के जो वर्कर्स हैं उनको यह प्रोटेक्शन दिया जाय।

पालीवाल जी ने अपने भाषण में मेरा ध्यान ४ (जे) की तरफ दिलाया। उन्होंने उसमें कहा कि इस धारा के मुताबिक एम्पलायर अपने रूल्स को चेंज कर सकता है और गवर्नमेंट यह समझे कि इन रूल्स को चेंज करने से इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच सकता है तो एम्पलायर को वह रोक सकती है। उस धारा का मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिये एम्पलायर को रोकेगी कि वह चेंज आफ कंडीशंस न करे। रूल यह है जो इस धारा में दिया गया है कि उसको २१ दिन का नोटिस देना पड़ेगा और लिखित रूप से बतलाना पड़ेगा कि ये चेंजेज किये जा रहे हैं लेकिन वह यह कार्य तभी कर सकता है जब गवर्नमेंट उसे मुनासिब समझे कि उसके करने से कोई हानि इंडस्ट्री को नहीं पहुंचेगी। अगर इंडस्ट्री को हानि पहुंचती है तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि उस नियम का पालन न कराये। इसलिये नहीं है कि श्रमिकों के अधिकारों पर हस्तक्षेप हुआ है बल्कि एम्पलायर के अधिकार पर रुकावट हो इसलिये इसे रक्खा गया है। गवर्नमेंट समझती है कि इस तरह से एम्पलायर के द्वारा चेंज करने से इंडस्ट्री के लिये घातक हो तो उस समय इस धारा का प्रयोग न करने के लिये वह एम्पलायर को मजबूर कर सकती है।

रेफरेंस के बारे में बार-बार कहा गया है और रेफरेंस के मामले में आज पोजीशन यह है कि जो केसेज कंसिलियेशन बोर्ड में नहीं जाते और वे गवर्नमेंट के पास भेज दिये जाते हैं गवर्नमेंट इस बात को देखती है कि कौन सा केस ऐसा है जिसके बारे में कोई फैसला पहले नहीं हुआ है या जिसके बारे में फैसला हो गया है उसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना जरूर है कि अगर श्रमिकों के वेतन या अधिकारों पर हस्तक्षेप होता है तब तो वह साधारण तौर से एडजुडिकेशन में चला जाता है। इसीलिये एडजुडिकेशन और कंसिलियेशन मशीनरी बनाई गई है कि श्रमिकों के मामले में जल्दी से जल्दी फैसला हो सके और अदालतों में इतने फैसले न जायं कि उनके कारण बहुत देर उन मामलों के फैसला करने में लग जाय। इस खयाल से कि यह तो आखिरकार मानना ही चाहिए कि गवर्नमेंट पब्लिक की चुनी हुई है और पब्लिक की नुमाइन्दगी करती है और पब्लिक में ज्यादा संख्या श्रमिक जन की है तो गवर्नमेंट का कभी यह रुख नहीं हो सकता है कि एम्प्लायर की सुरक्षा करे और श्रमिक को नुकसान पहुंचाये। सम्भव है कि किसी कार्य में गलती हो जाती हो, उसको भ्रमात्मक दृष्टि से केवल समझते हों या गलती सही भी हो सकती है। लेकिन यह ख्याल करना कि गवर्नमेंट इसलिए केसेज को रेफर नहीं करती, क्योंकि वह श्रमिकों की गवर्नमेंट नहीं है,

[आचार्य जुगल किशोर]

श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने कहा कि आई० एन० टी० यू० सी० के केस ज्यादा जाते हैं और दूसरे पक्ष के केसेज कम जाते हैं। मेरे पास फीगर्स थे। लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं हैं। लेकिन जो मैंने उनको पढ़ा और मैं बतला भी सकता हूं कि उतनी ही तादाद में और शायद कुछ ज्यादा ही ऐसे केसेज होंगे जो कि दूसरी पार्टी की तरफ से आते हों और वह भी रेफर किये गये हैं। मैंने प्रारम्भिक भाषण में सेन्ट्रल कमेटी के फीगर्स बतलाये थे। मैं इस वक्त फीगर्स न होने से नहीं बतला रहा हूं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई इस तरह का डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता कि किस पार्टी का प्रश्न है। केस की मेरिट पर देखा जाता है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि कोई पक्ष-पात किया गया हो। और जो फीगर्स हैं उनसे मालूम होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश होती है कि केस की मेरिट के ऊपर इसका फैसला किया जाय कि केस को रेफर किया जाय या न किया जाय। ऐसी हालत में यह दोष लगाना बिल्कुल ही गलत है और मैं अपील करता हूं अगर यह भ्रम रहा हो तो यह भ्रम भी दूर हो जायगा।

मैंने जैसा शुरू में कहा आज हमें इस बात की आवश्यकता पड़ी है कि हम कंसीलिएशन मशीनरी को कायम रखें। हमने उसमें भी कुछ तब्दीलियां की हैं। सेंट्रल ऐक्ट के मुताबिक यह लाजिमी हो गया था कि लेबर कोर्टस और ट्रिब्यूनल्स के लिए या तो हाई कोर्ट के जजेज हों या सात साल तक जिन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट में ऐडजुडीकेटर का काम किया हो। हमने रखा है कि हाई कोर्ट का जज भी हो सकता है और इसके अलावा और भी व्यक्ति जिनको हम समझते हैं कि न्याय की दृष्टि से, लेबर के कामों की जानकारी की दृष्टि से, अच्छे मालूम हो सकें। जैसे हमारे यहां ऐसे कंसीलिएशन आफिसर्स हैं, हमारे यहां लेबर सर्विस में ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तजुरबा है, जुडीशियल सर्विस के और ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्ति हैं जिनको काफी तजुर्बा है, उन सब को मौका होगा कि ऐसी कोर्ट्स में जाकर प्रेसाइड कर सकते हैं। उसके लिए एक रुकावट भी रखी गयी है। एक कमेटी होगी जो निर्णय करेगी कि कि कौन ऐसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। कंसीलिएशन मशीनरी को हमने अपने पुराने ढांचे पर रखने की कोशिश की है। लेकिन हमने स्तर को जरा ऊंचा किया है जैसा कि सेंट्रल ऐक्ट का आज है कि अपीलेट ट्राइबुनल के समाप्त हो जाने के बाद कोई न कोई ऐसी ट्राइबुनल होनी चाहिए जिसके चेयरमैन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर दोनों पार्टीज का विश्वास हो, श्रमिकों का भी एम्प्लायर्स का भी।

इस विधेयक के द्वारा कोशिश की गयी है कि ऐसे व्यक्तियों को चुना जा सके। इसके साथ-साथ यह भी है कि जो व्यक्ति इनमें चुने जायेंगे वह ऐसे होंगे जिससे वह उस काम को पूरी तरह से कर सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई इसमें ऐसी आपत्ति नहीं है जिससे यह कहा जाय कि यह जो कंसीलिएशन की मशीनरी बना रहे हैं उसका स्तर नीचा होगा। एक और प्रतिबन्ध रखा गया है कि ऐसे फैसले जो कोर्ट्स देंगे उनकी निगरानी गवर्नमेंट कर सकती है। निगरानी करने का मतलब यह नहीं है कि बार बार उनको रोकेगी, मोडिफाई करेगी ताकि कोई अगर फैसला ऐसा हो जो श्रमिकों के हित में न हो ऐसे अवार्ड्स को वह तबदील कर सकती है, मोडीफाई कर सकती है और उसकी सूचना गवर्नमेंट हाउस को देगी। इसलिए कोई इसमें शंका की बात नहीं होनी चाहिए कि जो अवार्ड्स दिये जायंगे वह किसी तरह से श्रमिकों के खिलाफ होंगे या उनमें न्याय की भावना नहीं होगी और गवर्नमेंट इस बात पर विचार करेगी कि कहां तक वह अवार्ड्स सही माने में श्रमिकों के फायदे के हैं या नहीं, इंडस्ट्री के फायदे के हैं या नहीं। इसलिए इस बात का प्रतिबन्ध रखते हुए हमने अपनी कन्सीलिएशन मशीनरी को बनाया है और मैं समझता हूं कि जैसे यह मशीनरी अब तक चलती रही है वह आगे भी कामयाबी के साथ काम करेगी।

एक दिक्कत हमारे यहां यह भी होती है कि इतने बड़े सूबे के लिये हाई कोर्ट जजेज़ को नियुक्त करना, इतने व्यक्तियों का उपलब्ध होना मुश्किल है। खर्चा भी ज्यादा होता है। खर्च का सवाल भी हम अपने सामने से हटा दें, तब भी ८, ९, १० जजेज़ को हर हमय नियुक्त करके रखें यह मुश्किल होगा। और हमारी मशीनरी में जो व्यक्ति हैं वह बेकार हो जाते हैं। जब उन्होंने काम किया है, उनके फैसले हमारे पास हैं जिसको कि अपीलेट कोर्ट ने भी मान लिया है। ऐसा कोई फैसला हमारे यहां नहीं हुआ जिसके बारे में यह कहा जा सके कि हमारे फैसले बहुत ज्यादा श्रमिकों के हित में नहीं होते या न्याय के खिलाफ होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के संशोधनों के साथ मशीनरी को चलाना अच्छा ही रहेगा और गवर्नमेंट की कोशिश हमेशा रही है कि श्रमिकों के स्तर को ऊंचा करे और जो कुछ भी सुविधा उसके अनुसार दे सकते हैं, दें। हमेंहमेशा इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम अपने प्रदेश में कोई ऐसा बोझ अपने प्रदेश में इंडस्ट्री पर न डालें जिससे इंडस्ट्री खत्म हो जाय। यह हानिकारक होगा। जब तक ऐक्ट, कानून सभी प्रदेश की फैक्ट्रियों पर एक तरफ से लागू नहीं होते उस वक्त तक अपने प्रदेश में उन कानूनों को बना करके हम अपनी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसलिये मेरी सदस्यों से दरख्वास्त है कि जो विधेयक उनके सामने है उसके ऊपर विचार करेंगे और जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है उसको प्रस्तावक महोदय वापस करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन जरा देना है। वह यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि मैंने अपने भाषण में यह कहा था कि आई० एन० टी० यू० सी० के केसेज़ ज्यादा रिफर होते हैं और दूसरी यूनियन्स के केसेज़ कम रिफ़र होते हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा, इसलिए कि ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि कोई आकड़े हमारे पास हैं ही नहीं और न सरकार ने ऐसे आंकड़े छपवाये। मैंने यह कहा था कि सरकार जो रिफ़रेंस की पावर अपने हाथ में ले रही है इसके कारण लोगों के दिमाग में शुबहा पैदा होता है कि हमारे केसेज़ नहीं रिफ़र होते हैं और यह शुबहा सही भी है। मैं तो मंत्री जी को इसका सबूत देने को तैयार हूं कि एक केस रिफ़र हुआ हम लोगों की तरफ से वह रिजेक्ट हो गया और उसी को आई० एन० टी० यू० सी० की मारफत भेजा वह रिफ़र हो गया।

आचार्य जुगलकिशोर—मैंने ऐसा समझा था। सम्भव है कि उन्होंने किसी यूनियन का नाम न लिया हो। लेकिन यह जरूर समझा कि कुछ पक्षपात होता है। अगर उन्होंने नहीं कहा तो मैं वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—दो संशोधन इस प्रस्ताव के ऊपर आये हैं। एक माननीय पालीवाल जी का और दूसरा माननीय राजनारायण जी का। पहले मैं माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी का संशोधन सदन के सामने पेश करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ नवम्बर, १९५६ तक दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—दूसरा संशोधन माननीय राजनारायण जी का है। प्रश्न यह है कि यह विधेयक उद्देश्य और कारण की परिधि (स्कोप) को बढ़ाने का अधिकार देते हुए प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो १५ नवम्बर, १९५६ तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८, १९४७ की धारा २ का प्रतिस्थापन (Substitution)।

२—संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे से मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

परिभाषाएं

"२—(क) "शिशिक्षु" (Apprentice) से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, जो किसी उद्योग में प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिये, तदर्थ निर्मित और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, उसमें नियुक्त हो,

(ख) "औसत वेतन" से तात्पर्य है मजदूर को देय (payable) मजदूरी का औसत—

(१) ऐसे मजदूर की दशा में जिसे मासिक वेतन दिया जाता हो, तीन पूरे कलेंडर मासों में,

(२) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे साप्ताहिक वेतन दिया जाता हो, चार पूरे सप्ताहों में,

(३) ऐसे मजदूर की दशा में, जिसे दैनिक वेतन दिया जाता हो, बारह पूरे कार्य-दिवसों में,

जो उस दिनांक से पहले पड़ते हों जिस पर औसत वेतन देय होता हो, यदि मजदूर ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलेंडर मासों या चार पूरे सप्ताहों या बारह पूरे कार्य-दिवसों में कार्य किया होता और जहां ऐसा हिसाब नहीं लगाया जा सकता हो तो औसत का हिसाब उस मजदूरी के औसत से लगाया जायगा जो किसी कर्मकार को उस अवधि के लिये देय हो जिसमें उसने वास्तव में कार्य किया हो,

(ग) "पंच निर्णय" (award) से तात्पर्य है किसी औद्योगिक झगड़े या उससे संबद्ध किसी प्रश्न का किसी श्रम न्यायालय (Labour Court) या न्यायाधिकरण (tribunal) द्वारा अन्तरिम (interim) या अन्तिम अवधारण (determination) और इसके अन्तर्गत धारा ५—ख के अधीन किया गया मध्यस्थ निर्णय (arbitration award) भी है,

(घ) "बोर्ड" से तात्पर्य है धारा ३ के खंड (घ) के अधीन संघटित समझौता-बोर्ड (conciliation board),

ऐक्ट सं० १०, १८९७।

(ङ) "केन्द्रीय सरकार" से तात्पर्य है जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ के खंड ८ में परिभाषित सेन्ट्रल गवर्नमेंट;

(च) "समझौता अधिकारी" से तात्पर्य है धारा ४—च के अधीन नियुक्त समझौता अधिकारी,

(छ) "अनवरत सेवा" (continuous service) से तात्पर्य है अखंडित (uninterrupted) सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो केवल बीमारी या अधिकृत अवकाश (authorised leave) या दुर्घटना

या ऐसी हड़ताल, जो अवैध न हो, या द्वारावरोध (lock out) या ऐसी कार्य-समाप्ति (cessation of work) के कारण जो मजदूर की ओर से किसी त्रुटि के कारण न हो, खंडित हो गई हो, और किसी ऐसे मजदूर के सम्बन्ध में, जिसने बारह कलेंडर मासों की अवधि में, किसी उद्योग में दो सौ चालीस से अन्यून दिवसों तक वास्तव में कार्य किया हो, यह समझा जायगा कि उसने उस उद्योग में एक वर्ष की अनवरत सेवा पूरी कर ली है।

स्पष्टीकरण—उन दिवसों की संगणना करने में जिसमें किसी मजदूर ने किसी उद्योग में वास्तव में कार्य किया हो वे दिवस जिनमें—

(१) किसी करार के अधीन अथवा इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) ऐक्ट, १९४६ के अन्तर्गत निर्मित स्थायी आदेशों के अधीन अथवा इस ऐक्ट के अथवा औद्योगिक संस्था (establishment) पर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दी गयी अनुज्ञा से उसकी कामबन्दी हुई है (laid off) और इस खंड के प्रयोजनों के लिये, उसकी कामबन्दी के दिनों की अधिक से अधिक संख्या हिसाब में ली जायगी, अधिनियम संख्या २०, १९४६।

(२) गत वर्ष में उपार्जित पूर्ण मजदूरी पर वह छुट्टी पर रहा है, और

(३) स्त्री होने की दशा में, वह प्रसूति की छुट्टी पर रही है किन्तु ऐसी प्रसूति की छुट्टी की कुल अवधि बारह सप्ताह से अधिक न होगी, सम्मिलित किये जायंगे।

(ज) "नियंत्रित उद्योग" का अर्थ वह होगा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ की धारा २ के खंड (ई ई) में "controlled Industry" का है, ऐक्ट संख्या १४, १९४७।

(झ) मालिक (Employer) के अन्तर्गत है :—

(१) कोई संस्था अथवा मालिकों का समूह;

(२) मालिक का कोई अभिकर्ता (agent);

(३) यदि उद्योग राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित अथवा निष्पादित किया जाता हो तो तदर्थ उल्लिखित प्राधिकारी, और यदि कोई ऐसा प्राधिकारी उल्लिखित न किया गया हो तो ऐसे विभाग का अध्यक्ष;

(४) यदि उद्योग स्थानीय प्राधिकारी (local authority) द्वारा अथवा उसकी ओर से संचालित या निष्पादित किया जाता हो तो ऐसे प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी (chief executive officer);

(५) यदि किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजन के लिये, किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन, किसी संपूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यतया उक्त उद्योग का एक भाग हो, संविदा करे, तो ऐसे उद्योग का स्वामी;

(ञ) कोई व्यक्ति किसी बोर्ड, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के चेयरमैन अथवा अन्य सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के प्रयोजन के लिये "स्वतंत्र" समझा जायगा यदि उसका ऐसे बोर्ड, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में अभिदिष्ट औद्योगिक झगड़े से अथवा किसी ऐसे उद्योग से जिस पर ऐसे झगड़े का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता हो, कोई सम्बन्ध न हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति का केवल इसी तथ्य के कारण स्वतन्त्र न रहना नहीं समझा जायगा कि वह किसी ऐसी निगमित कम्पनी (incorporated Company) का हिस्सेदार है जो ऐसे औद्योगिक झगड़े से संसक्त है अथवा जिस पर उसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; किन्तु ऐसी दशा में वह राज्य सरकार को यह सूचित करेगा कि ऐसी कम्पनी में उसके किस प्रकार के और किस आयति (extent) तक हिस्से हैं।

(ट) "उद्योग" से तात्पर्य है मालिकों का कोई कारबार, व्यापार, धंधा, निर्माण (manufacture) या आजीविका (calling) और इसके अन्तर्गत मजदूरों की कोई आजीविका, सेवा, रोजगार, दस्तकारी अथवा औद्योगिक व्यवसाय अथवा उप-व्यवसाय (avocation) है;

(ठ) "औद्योगिक झगड़ा" से तात्पर्य है, मालिकों और मालिकों अथवा मालिकों और मजदूरों अथवा मजदूरों और मजदूरों के बीच कोई ऐसा झगड़ा या मतभेद जो किसी व्यक्ति के रोजगार अथवा अरोजगार (employment or nonemployment) अथवा नियोजन के निबन्धनों (terms) अथवा श्रम की शर्तों से सम्बन्ध रखता हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा औद्योगिक झगड़ा नहीं है जो निम्नलिखित के सम्बन्ध में हो :—

(१) कोई उद्योग जो केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन अथवा किसी रेलवे कम्पनी द्वारा निष्पादित किया जाता हो, अथवा

(२) ऐसा नियंत्रित उद्योग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा एतदर्थ उल्लिखित किया जाय, अथवा

ऐक्ट सं० १४, १९४७

(३) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट, १९४७ में परिभाषित बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियां, अथवा

(४) खान अथवा तेल-क्षेत्र (oil field),

(ड) "श्रम न्यायालय" से तात्पर्य है, धारा ४—क के अधीन संघटित श्रम न्यायालय;

(ढ) "कामबन्दी" (इसके व्याकरण सम्बन्धी शब्द भेदों तथा सजातीय पदों के सहित) से तात्पर्य है मालिक का किसी ऐसे मजदूर को, जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि में दर्ज हो और जिसकी छटनी न हुई हो, कोयले, बिजली अथवा कच्चे माल की कमी होने से अथवा स्टाक जमा हो जाने से अथवा मशीन के टूट जाने से अथवा अन्य कारणवश काम देने में असफल रहना, काम देने से इन्कार करना अथवा काम देने में असमर्थ होना;

स्पष्टीकरण—प्रत्येक मजदूर जिसका नाम औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि (muster rolls) में दर्ज है और जो किसी दिन संस्था में कार्य करने के लिये सामान्य कार्य के घंटों में उस प्रयोजन के लिये निश्चित समय पर उपस्थित होता है और मालिक द्वारा उसे इस प्रकार उपस्थित होने के दो घंटे के

भीतर कार्य नहीं दिया जाता है तो इस खंड के अर्थ में यह समझा जायगा कि उस दिन के लिये उसकी कामबन्दी (laid off) हुई है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी दिन किसी पारी (shift) के आरम्भ में मजदूर को कार्य देने के स्थान पर उससे कहा जाय कि वह काम के लिये दिन की पारी के उत्तरार्द्ध में उपस्थित हो और तब उसको कार्य दिया जाय तो यह समझा जायगा कि उस दिन उसकी केवल आधे दिन के लिये कामबन्दी हुई है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि उसे इस प्रकार स्वयं उपस्थित होने पर भी उक्त कोई काम (employment) नहीं दिया जाता तो उसके बारे में यह न समझा जायगा कि वह उस दिन की पारी के उत्तरार्द्ध के लिये अलग कर दिया गया है और वह दिन के उस भाग के लिये पूरी मूल मजदूरी (basic wages) तथा महंगाई भत्ता पाने का अधिकारी होगा,

(ण) "द्वारावरोध" (Lock out) का तात्पर्य रोजगार के किसी स्थान को बन्द करने अथवा कार्य को लम्बित कर देने (suspension) अथवा मालिक द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से किसी भी संख्या को नियुक्त किये रखने से उसका इंकार करना है,

(त) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा नियत से है,

(थ) "सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस" का तात्पर्य--

(१) किसी औद्योगिक संस्था (establishment) की किसी ऐसी उपशाखा (section) से है जिसके कार्य संचालन पर खंड की अथवा उसमें नियुक्त मजदूरों की सुरक्षा निर्भर हो,

(२) कोई ऐसा उद्योग जो जनता के लिये शक्ति (Power), रोशनी अथवा पानी का प्रबन्ध करता हो,

(३) सफाई और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा की कोई प्रणाली,

(४) कोई उद्योग अथवा धंधा (undertaking) जिसे राज्य सरकार यदि उसका समाधान हो जाय कि सार्वजनिक आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी अवधि के लिये जो विज्ञप्ति में निश्चित की जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सार्वजनिक उपयोगिता की सर्विस घोषित करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि प्रथमतः ६ महीने से अधिक न होगी किन्तु उसे उपर्युक्त प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा, किसी भी समय ६ महीने से अनधिक की किसी अवधि के लिये, समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है यदि राज्य सरकार की राय में उस अवधि का इस प्रकार बढ़ाया जाना सार्वजनिक आवश्यकता के लिये अथवा सार्वजनिक हित में जरूरी हो।

(द) "पंजीयन" (Registration) का तात्पर्य, जहां तक किसी निपटारे (settlement) का प्रश्न है, धारा ६-ख के अनुसार पंजीयन से है,

(ध) "छटनी" (retrenchment) का तात्पर्य अनुशासनीय कार्यवाही के रूप में दिये गये दंड से भिन्न किसी कारण से भी किसी मजदूर की सेवा को मालिक द्वारा समाप्त करना है, किन्तु इसके अन्तर्गत,

(१) मजदूर का स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति (retire) हो जाना शामिल नहीं है,

अथवा

(२) नियत सेवा अवधि (superannuation) की वय प्राप्त कर लेने पर, यदि संबंधित मालिक तथा मजदूर के बीच हुए संविदे (contract) में तदर्थ कोई सेवावधि निश्चित की गई हो, मजदूर की सेवा निवृत्ति शामिल नहीं है,

(न) "निपटारा" (Settlement) का तात्पर्य समझौते की कार्यवाहियों (conciliation proceeding) के दौरान में हुए निपटारे से है तथा इसके अन्तर्गत समझौते की कार्यवाहियों के दौरान में हुई कार्यवाहियों से भिन्न दशा में मालिक तथा मजदूर के बीच हुआ ऐसा लिखित निपटारा भी शामिल है जिस पर, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, उससे सम्बद्ध पक्षों के हस्ताक्षर हों तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार और संबंधित समझौता अधिकारी को भेज दी गई हो,

(प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(फ) "हड़ताल" का तात्पर्य किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के किसी समुदाय (body) द्वारा, सामूहिक रूप से (in combination) काम को ठप करना अथवा कितेक व्यक्तियों द्वारा जो इस प्रकार नियुक्त किये गये हों, बराबर कार्य करने के लिये अथवा कार्य स्वीकार करने के लिये सामूहिक रूप से अथवा सामूहिक बोध (common understanding) से इंकार करना है,

(ब) "न्यायाधिकरण" (Tribunal) का तात्पर्य धारा ४—ख के अधीन नियुक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण से है,

ऐक्ट संख्या १६, १९२६।

(भ) "संघ" (Union) का तात्पर्य इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट, १९२६ के अधीन पंजीबद्ध (Registered) ट्रेड यूनियन से है,

(म) "मजदूरी" (wages) का तात्पर्य ऐसे सभी पारिश्रमिक (remuneration) से है जो धन के रूप में प्रकट किये जाने के योग्य हों और जो नौकरी से स्पष्ट अथवा उपलक्षित (express or implied) निबन्धों (terms) की पूर्ति हो जाने पर मजदूर के रोजगार (employment) की दशा में अथवा रोजगार में किये गये कार्यों की दशा में उसे देय हों, और इसके अन्तर्गत—

(१) ऐसे भत्ते (जिनमें महंगाई भत्ता भी है) जिन्हें तत्समय (for the time being) पाने का वह मजदूर अधिकारी हो,

(२) किसी भी गृह, आवास अथवा रोशनी, जल अथवा चिकित्सा संबंधी उपचार, अन्य किसी सुविधा अथवा किसी सेवा का, अथवा खाद्यान्नों या अन्य पदार्थों का रियायती तौर पर प्रबन्ध करने का मूल्य,

(३) यात्रा संबंधी कोई रियायत,

सम्मिलित हैं, किन्तु निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है—

(क) कोई बोनस,

(ख) मालिक द्वारा किसी सेवा निवृत्ति निधि (pension fund) अथवा भविष्य निधि (Provident fund) अथवा सत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजदूर के लाभ के लिये मालिक द्वारा दिया गया अथवा देय (paid or payable) कोई अंशदान,

(ग) मजदूर की सेवा की समाप्ति पर देय कोई अनुग्रह धन (gratuity),

(य) "मजदूर" (work man) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है (जिसके अन्तर्गत शिशिक्षु भी है।) जो किराये पर अथवा पुरस्कार के रूप में (for hire or reward) किसी निपुण अथवा अनिपुण (skilled or unskilled) शारीरिक श्रम करने अथवा अधीक्षणीय, प्राविधिक अथवा लिपिक संबंधी (supervisory, technical or clerical) कार्य करने के लिय किसी उद्योग में नियुक्त हुआ हो चाहे रोजगार संबंधी निर्बन्धन (terms) स्पष्ट हों अथवा उपलक्षित तथा किसी औद्योगिक झगड़े के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये मजदूर के अन्तर्गत ऐसा भी व्यक्ति है जो उस झगड़े के संबंध में अथवा उसके परिणाम स्वरूप बरखास्त किया गया हो अथवा सेवामुक्त किया गया हो अथवा उसकी छटनी की गयी हो (dismissed, discharged or retrenched) अथवा जिसकी बरखास्तगी, सेवामुक्ति अथवा छटनी के कारण वह झगड़ा उठ खड़ा हुआ हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो—

(१) आर्मी ऐक्ट, १९५० अथवा एयर फोर्स ऐक्ट, १९५० अथवा नेवी डिसिप्लिन ऐक्ट, १९३४ के अधीन हो, अथवा — ऐक्ट संख्या ४६, १९५०। ऐक्ट संख्या, ४५, १९५०। ऐक्ट संख्या ३४, १९३४।

(२) पुलिस सर्विस में अथवा किसी बन्दीगृह के अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो, अथवा

(३) जो मुख्यतः प्रबन्ध संबंधी अथवा प्रशासनीय रूप में (managerial or administrative capacity) नियुक्त हो, अथवा

(४) जो अधीक्षणीय रूप में नियुक्त होने के कारण ५०० रुपये मासिक से अधिक मजदूरी (wage) पाता हो अथवा पद से सम्बद्ध कर्त्तव्यों के प्रकार के कारण अथवा उस व्यक्ति में निहित अधिकारों के कारण मुख्यतः प्रबन्ध संबंधी कृत्यों का सम्पादन करता हो।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (क) की पंक्ति ४ में शब्द "उसमें" निकाल दिया जाय।

आचार्य जुगुल किशोर—जी हां, मैं स्वीकार करता हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (क) की पंक्ति ४ में शब्द "उसमें" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

†श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (छ) की पंक्ति ३ के शब्द "अवकाश" तथा शब्द "या" के बीच में शब्द "या १० दिन तक का अनधिकृत अवकाश" बढ़ा दिया जाय ।

यह श्रीमन्, इसमें यह है कि मजदूर की सर्विस किस तरह से कंटिन्यूअस मानी जायगी । इसमें लिखा है कि अगर वे बीमारी की हालत में छुट्टी पर हो या और किसी हालत में छुट्टी पर हो या इस तरह की कोई चीज हो तो उसकी सर्विस कंटिन्यूअस मानी जाय । लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वह यह है कि अगर वे कोई मजदूर किसी कारणवश एक दिन मिल में नहीं आ पाता है, गैरहाजिर हो जाता है बिना छुट्टी तो उसकी सर्विस की कंटीन्यूइटी टूट जाती है इससे उसको जो कुछ भी रिट्रेन्चमेंट के समय कम्पेंसेशन वगैरह पाना होगा उससे वह वंचित हो जाता है और एक तरह से उसकी सर्विस ही नयी हो जाती है । मैं समझता हूं कि बहुत से लोग गाड़ी छुट जाने की वजह से एक दिन नहीं आ पाते । कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी का मेल नहीं खाया, मजदूर ने सोचा कि इस गाड़ी से हम ड्यूटी पर पहुंच जायेंगे वह गाड़ी थोड़ी सी लेट हुई और दूसरी गाड़ी से मेल नहीं हो सका और वह ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका । तो इससे उसकी सर्विस ही नयी हो गई । तो इस तरह से यह बड़ी खतरनाक धारा है । इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वे दस दिन तक कोई मजदूर बिना छुट्टी गैरहाजिर हो जाता है तो उसकी सर्विस डिसकंटीन्यू नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक तरफ तो उसकी हो ही जायगी उसकी तनख्वाह कट जायगी । लेकिन तनख्वाह भी कट जाय और उसकी सर्विस भी नयी हो गई और उसको जो कुछ कम्पेन्सेशन मिलना था वह भी खत्म हो गया, अगर वे उसने बीस साल की नौकरी की है और एक दिन गैरहाजिर हो गया तो बीस साल का जो कम्पेन्सेशन है वह उसको नहीं मिलेगा, तो यह मुनासिब नहीं है । इसलिए उसको यह छूट देनी चाहिए कि दस दिन तक वह किसी कारणवश अगर नहीं आ सका तो उसकी सर्विस डिसकन्टीन्यू न की जाय । मैं समझता हूं कि यह बड़ा सीधासादा संशोधन है और इसके मानने से सेंट्रल ऐक्ट में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी । इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---अधिष्ठाता महोदय, यह जो संशोधन हमारे मित्र माननीय जगन्नाथमल्ल जी ने रखा है, यह है तो बड़ा अच्छा । लेकिन अगर इस धारा को पूरी की पूरी पढ़ी जाय तो उसमें यह कहा है कि "या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल, जो अवैध न हो, या द्वारावरोध या ऐसी कार्य समाप्ति के कारण जो मजदूर की ओर से किसी त्रुटि के कारण न हो, खंडित हो गई हो, और किसी ऐसे मजदूर के संबंध में, जिसने बारह कलेंडर मासों की अवधि में, किसी उद्योग में २४० से अन्यून दिवसों तक वास्तव में कार्य किया हो, यह समझा जायगा कि उसने उस उद्योग में एक वर्ष की अनवरत सेवा पूरी कर ली है । तो सवाल यह है अधिष्ठाता महोदय, यह ठीक है कि वह एक रोज नहीं आता है तो उसका नागा होगा । लेकिन इसके साथ ही साथ जहां तक मैं समझता हूं एक वर्ष में ३६५ दिन होते हैं । इसमें अगर वह २४० दिन काम करता है तो उसके १२५ दिन रह गये । इसमें से यदि ५२ इतवारों को निकाल दिया जाय तो केवल ७३ दिन रह जाते हैं । यदि २० छुट्टियों को मान लें तो केवल ५३ दिन ही रह जाते हैं । यदि वह इतने दिन तक काम पर न जाये तब भी उसकी कंटीन्यूअस सर्विस रहती है तो फिर क्या यह उचित होगा कि उसको दस दिन का समय और दिया जाय । जगन्नाथमल्ल जी ने यह नहीं कहा कि वह एक साथ दस दिन का चाहते हैं या एक एक

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दो-दो दिन करके दस दिन चाहते हैं। ऐसी हालत में इसको जोड़ने से मेरा अंदाजा यह है मजदूरों को बजाय फायदे के नुकसान ही होगा।

दूसरी चीज यह है कुछ कारखानों ने एक नियम बना रखा है कि अगर कोई लगातार तीन दिन तक गैरहाजिर रहे तो वह नौकरी से अलग कर दिया जायगा। असल में असावधानी उन लोगों की है जो किसी ट्रेड यूनियन को चला रहे हैं। उनका फर्ज था कि स्टैंडिंग आर्डर्स में चेंज कराते वह हमने नहीं किया। अगर आप इस ऐक्ट में यह चाहते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे मजदूरों की हानि ही होगी बजाय फायदा होने के। इसलिये मैं समझता हूं कि जगन्नाथमल्ल जी इसको पुनः सोच लें और देखें कि इससे कहीं मजदूरों की हानि न हो जाय।

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे मालूम नहीं पड़ा कि जगन्नाथमल्ल जी अपने इस संशोधन से श्रमिकों का क्या लाभ करना चाहते हैं। लेकिन यह हो सकता कि अगर कोई अनअथराइज्ड तरीके से गैरहाजिर हो, वैसे यह है कि अगर कोई पीड़ित हो या कोई तकलीफ हो और गैर हाजिर हुआ हो तो उसकी छुट्टी मानी जाती है और सबको मिलाकर २४० दिन तक साल में वह काम करता है तब उसकी कंटीनुएस सर्विस मानी जायगी तो दस दिन की छुट्टी बिना अधिकार के ले ले यह डिसिप्लिन के लिहाज से भी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं शायद समझा नहीं सका या मंत्री जी तथा अवस्थी जी समझते हुये भी नहीं समझ सके। अगर अवस्थी जी का यह ऐतराज हो कि दस दिन ज्यादा है तो वह कम कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके दोनों हिस्सों को पढ़ा जाय और वह उनकी पूर्ति करता हो तो उसकी कंटीनुएस सर्विस होगी। अनवरत सेवा से तात्पर्य है अखंडित सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो केवल बीमारी या अधिकृत अवकाश या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल, जो अवध न हो, या द्वारावरोध या ऐसी कार्य समाप्ति के कारण जो मजदूर की ओर किसी त्रुटि के कारण न हो, खंडित हो गई हो, यहां पर "और" शब्द है।

इसका दूसरा पहलू है इसलिये वह आता नहीं है और अगर यह नहीं लिखा जायगा तो उस मजदूर की कंटीनुएस सर्विस खत्म हो जायगी। इसलिए मैं समझता हूं कि उसके बिल्कुल दो क्लाज हैं। माननीय अवस्थी जी जानते होंगे कि कानपुर में "मे डे" के दिन छुट्टी नहीं मिली। मजदूरों ने कहा कि नहीं, हम अपना त्योहार मनायेंगे। इसलिये सबकी सर्विस डिसकांटिन्यु कर दी गयी। मैं यह मानता हूं कि दस दिन का समय ज्यादा है। तो उसको कम कर दिया जाय। अगर अवस्थी जी का ख्याल है कि तीन दिन रख लिया जाय तो तीन ही दिन रख लीजिये। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि अगर किसी कारण से उसकी गाड़ी छूट जाय तो उसकी सर्विस नयी हो जाय। और मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि अवस्थी जी मजदूरों में काम करते हैं, उन्हीं के सिर पर यह पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय अवस्थी जी और माननीय श्रम मंत्री जी से फिर कहूंगा कि वे इसको मान लें।

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे खेद है कि मैं उनकी दलील से सहमत नहीं हूं और इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (छ) की पंक्ति ३ के शब्द "अवकाश" तथा शब्द "या" के बीच में शब्द "या १० दिन तक का अनधिकृत अवकाश" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता--मेरे पास बहुगुणा जी ने एक संशोधन भेजा है। वह यद्यपि टाइम के बाहर है, लेकिन यदि किसी को आपत्ति न हो तो मैं उसे पेश करने की इजाजत दे दूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जरा उसे पढ़ तो दें ताकि हम लोग जानें तो कि वह क्या है।

श्री अधिष्ठाता--वह इस प्रकार है कि खंड २ के प्रस्तावित उपखंड (२) (झ) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

माननीय बहुगुणा जी यहां हैं भी नहीं इसलिये कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(श्री अधिष्ठाता ने श्री जगन्नाथ मल्ल का नाम पुकारा।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुगुणा जी का संशोधन पेश करना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता--आप उठे नहीं उस समय, नहीं तो इजाजत आपको मैं दे देता। बहुगुणा जी हैं नहीं और न उन्होंने अधिकृत ही आपको किया। यदि आप उस समय खड़े हो गये होते तो मैं इजाजत दे भी देता।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--सदन की अनुमति ले ली जाय।

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि ले लिया जाय।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के प्रस्तावित उपखंड (२) (झ) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

आजकल हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सभी जगह के मालिकों ने बड़े-बड़े वकीलों को अपने यहां पर डाइरेक्टर या इसी प्रकार के कोई स्थान दे रखे हैं और जिनको द्वारा वह उन मजदूरों की अदालतों में जिनमें वकीलों का जाना मना है। दूसरी तरफ मजदूरों की तरफ से जो मुकदमे लड़ने वाले हैं या उनकी सहायता करने वाले हैं मेरा अपना विश्वास है कि वे पेशेवर वकीलों के मुकाबिले में योग्य नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि मुकदमा मजदूरों के उसके मुकाबिले में कम सफल होते हैं और हमें डर है कि यदि यह धारा इसमें रही तो अभी तक तो यह था कि वह उनको ठेकेदार बनाता था अब तो वह किसी को कहेगा कि यह हमारा एजेंट है और एक भी एजेंट हो सकता है और बहुत से एजेंट हो सकते हैं, इसलिये भी मैं यह चाहता हूं कि यह धारा यहां से निकाल दी जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय अवस्थी जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। एम्प्लायर की परिभाषा में एजेंट को भी शामिल किया गया है उसका जो असर पड़ने वाला है मैं उस पर थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूं ताकि मेरे साथियों को उसमें कोई आपत्ति न रह जाय। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में एम्प्लायर और एम्प्लाई के बीच में डिस्प्यूट्स होने की बात कही गयी है वह इस परिभाषा में दी हुई है किन्तु उस एम्प्लायर के साथ उसके एजेंट को भी जोड़ दिया जायगा तो उसके एजेंट का भी वही स्थान हो जायगा जो एक पार्टी का होता है और वह एजेंट उनकी एक पार्टी हो जायगा। उस एजेंट को भी यह अधिकार होगा कि वह अदालत में वहीं सियत पार्टी के उसकी पैरोकारी कर सके। आगे चलकर हमने दिया है कि किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पार्टी का नुमाइन्दा वकील नहीं होना चाहिये। अब अगर पार्टी का नुमाइन्दा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हो सकता है तो पार्टी तो हो सकता है और पार्टी बनकर उसको आने से कोई रोक नहीं सकता। वह उसका फंडामेंटल राइट है जो कि पार्टी में वेस्ट करता है। अब उस एजेंट के रहने से कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि इससे ठेकेदार लोगों को इसमें शामिल कर लेंगे लेकिन मैं उसके लिये पांचवीं परिभाषा की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं "यदि किसी उद्योग का

स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन, किसी संपूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यतया उक्त उद्योग का एक भाग हो, संविदा करें, तो ऐसे उद्योग का स्वामी तो ठेकेदारी प्रथा जिन लोगों द्वारा चलाई जाती है वह तो इसमें शामिल है। "किसी भी व्यक्ति" के माने हैं जो इम्प्लायर के डेफिनीशन में आता है कि वह किसी का नाम ले देगा एक चिट्ठी लिख देगा एक बड़े से बड़े इलाहाबाद के हाईकोर्ट के प्रैक्टिशनर को कि आज से मैंने आपको अपना एजेंट मुकर्रर किया और जिस मिनट यह चीज हो गई उसी मिनट से मैं इसके बदले में आपको दो सौ रुपये महीने दिया करूंगा वह उसी वक्त से इम्प्लायर हो जायगा, पार्टी हो जायगा, और अगर पार्टी हो जायगा तो उसकी प्रजेंस रोकी नहीं जा सकती तो इस तरह से मालिकों को वकीलों के द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी कराने का साधन मिल जायगा। साधन तो आज भी है लेकिन उसके लिये बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और डाइरेक्टर बनना पड़ता है। इस प्राविजन से तो उसको सहूलियत मिल गई कि वह डाइरेक्टर नहीं ठेकेदार ही बना दे। यद्यपि यू० पी० में मालिकों ने बहुत कम ही किया होगा कि डाइरेक्टर वकीलों को बनाया हो अगर बनाते तो शायद वकील तबके का ही फायदा होता लेकिन अब तो मिलवालों के हाथ में और अधिकार पहुंचता है कि वह उसको अपना एजेंट बनाकर पार्टी बना लें। और यह एक तरह से वकीलों का करीब-करीब पेशा हो जायगा कि एजेंट बनाकर मुकदमों में पहुंच जाओ। इसी नीयत से मैं माननीय अवस्थी जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया उसका समर्थन करता हूं। वही मेरे भी विचार थे और मैंने रखना चाहा था लेकिन थोड़ी देर के लिये बाहर चला गया था और माननीय अवस्थी जी ने रखा। इसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आचार्य जुगल किशोर—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस खतरे की तरफ अभी ध्यान दिलाया गया है उसको देखते हुए मैं इस संशोधन को मान लेता हूं।

*श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, इसके बाद ही मेरा एक और संशोधन है और मैं इसलिये इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह रहना चाहिये और इसको स्वीकार किया जाना चाहिये। वह एजेन्ट बना कर उसको कोई कार्यवाही कराते रहेंगे और वह अभिकर्ता की परिभाषा में नहीं आयेंगे, यह मेरे कहने का मतलब है। इसके बाद ही मेरा एक संशोधन है। अभिकर्ता का जो मतलब है उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया है कि अभिकर्ता में वह भी आदमी आ जाने चाहिये कि जो कि कंट्रेक्टर रख कर और कंट्रेक्टर के द्वारा काम कराते हों। पांचवीं धारा में यह नहीं आते हैं। कंट्रेक्टर पांचवीं धारा के हिसाब से मालिक की परिभाषा में नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि ठेकेदार भी मालिक की परिभाषा में रहना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—उसके लिये तो आप जिस समय पेश करें उस समय कहियेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—वह तो मैं उसी समय कहूंगा किन्तु अभी मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसमें जो एजेन्ट हैं उनमें ठेकेदार भी आ जायं। इससे वह मालिक की परिभाषा में आ जायेंगे और इससे मजदूरों का बहुत बड़ा फायदा होगा, कानपुर के मजदूरों का खासकर। वहां पर जहां उनको ८० रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिये वहां उनको ठेकेदार के जरिये केवल ५० रुपया मिलता है। मिलमालिक ६० रुपये पर ठेकेदार से काम कराता है और ठेकेदार १० रुपया शोषण करके ५० रुपया मजदूर को देता है। तो यह करेप्शन इससे बन्द हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह परिभाषा में रहना चाहिये, मालिकों की ओर से इस तरह से वह एजेन्ट बन जायेंगे और मालिक नहीं रहेंगे। तो यह दो तर्क मेरे हैं और मैं समझता हूं कि उचित हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---जो प्रस्ताव यहां रखा गया है उसके सम्बन्ध में मैं यह नहीं कहूंगा कि वह रखा जाय या न रखा जाय। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह स्वयं इसको निकाल देंगे। लेकिन मैं यहां विशेष रूप से जो बहुगुणा जी ने वकीलों के सम्बन्ध में बात कही है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उनको अगर यह भ्रम है कि अगर इसी तरह से क्लाज रखा गया तो वकील आ जायेंगे और उससे शायद और उलझनें पैदा हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक वकीलों का सम्बन्ध है वह एजेन्ट की व्यवस्था के अन्दर नहीं आते। एजेन्ट कानूनी तरीके से एक टेक्निकल एक्सप्रेशन है। एजेन्ट जो बनता है उसकी लायबिलिटीज हो जाती है, वह कुछ बातों का जिम्मेदार होता है? वकील जब किसी मुकदमे में पैरवी करता है तो सिवाय इसके कि जिसका वह मुकदमा करता है उसके पक्ष को सामने रख दे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती और अगर वह कोई जिम्मेदारी लेकर आता है तो वह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जायगा। तो बहुगुणा जी का यह भ्रम कि अगर इसमें यह रह गया तो वकील आ जायेंगे यह अपनी जगह पर सही नहीं है। आप इसको रखें या न रखें यह दूसरी बात है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता।

आचार्य जुगल किशोर---अभी मुझे जगन्नाथमल्ल जी ने अपनी दिक्कत बतलाई। उसका हल धारा ५ में है। कंट्रेक्टर के सिलसिले में वह धारा जब आयेगी तो उनकी बात का मैं जवाब दूंगा।

(इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस सब-सेक्शन में मालिक का कोई एजेन्ट जैसे बतलाया गया है कि किसी वकील को लेकर वह कोर्ट में आवे जबकि वकील को कोर्ट में ऐपियर होने का अधिकार नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा मतलब नहीं निकलता है कि जो और धाराओं से न निकल सके। इसलिये मैं इस सबसेक्शन के निकालने का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के प्रस्तावित उपखंड २(झ) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---६३,

विपक्ष में---१०।)

श्री राम प्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (ठ) की पंक्ति १ का शब्द "औद्योगिक झगड़ा" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "औद्योगिक विवाद" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन शाब्दिक है। इसको देखने से यह मालूम होता है कि कानून है झगड़ने के लिये है जो देखने और सुनने में अच्छा नहीं मालूम होता। इसलिये उसके स्थान पर 'विवाद' शब्द कर दिया जायगा तो अच्छा होगा।

आचार्य जुगल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकार करने में मुझे आपत्ति है इस कारण कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है वह टाइटिल को ही बदल देता है और उत्तर प्रदेश झगड़ा विधेयक यह प्रिन्सिपल ऐक्ट का ही टाइटिल है। इसलिये इस वक्त इसका संशोधन नहीं हो सकता है। इस बिल से अलग अगर टाइटिल का संशोधन लाया जाय तब तो यह संशोधन हो सकता है, इस समय नहीं हो सकता। इस समय तो हम प्रिन्सिपल ऐक्ट में जो शब्द हैं उन्हीं को लिख कर हम संशोधन कर रहे हैं। इसलिये यह संशोधन मुझे मंजूर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम टाइटिल को नहीं बदल सकते हैं। जब हम विधेयक की सारी धाराओं को बदल सकते हैं तो फिर टाइटिल को क्यों नहीं बदल सकते हैं। हमने पहले भी ऐसा किया है। टाइटिल तो हम बदल सकते हैं हां, आबजेक्ट एन्ड रीजन्स को नहीं बदल सकते। मेरे विचार में हम मूल अधिनियम के टाइटिल को बदल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इसका अभिप्राय यह भी हो सकता है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मुनासिब नहीं समझते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो एक शाब्दिक संशोधन है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—मेरा भी अपना यह विश्वास है कि मूल ऐक्ट की धाराओं में जब हम संशोधन कर सकते हैं तो उसके टाइटिल में भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी चूंकि माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि इससे गड़बड़ी पैदा हो जायगी इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*__श्री जगन्नाथ मल्ल__—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (ढ) की पंक्ति ५ के शब्द "अथवा" और शब्द "अन्य" के बीच शब्द "ऐसे ही" जोड़ दिया जाय। श्रीमन् जहां कामबन्दी का प्रश्न आया है, उसमें मैं चाहता हूं कि जहां इसमें लिखा है—

(ढ) "कामबन्दी" (इसके व्याकरण सम्बन्धी शब्द भेदों तथा सजातीय पदों के सहित) से तात्पर्य है मालिक का किसी ऐसे मजदूर को, जिसका नाम उसके औद्योगिक संस्था की उपस्थिति नामावलि में दर्ज हो और जिसकी छटनी न हुई हो, कोयले, बिजली अथवा कच्चे माल की कमी होने से अथवा स्टाक जमा हो जाने से अथवा मशीन टूट जाने से "अथवा अन्य कारणवश" तो यहां पर "अथवा" और "अन्य" के बीच "ऐसे ही" जोड़ दिया जाय। अन्य कारण अगर कोई पैदा हो तो यह जरा वेग सा रहता है, ठीक नहीं होता। इससे मालिकों को छूट मिल जाती है कि कोई कारणवश वे जिस वक्त चाहें तालाबन्दी कर सकते हैं। जिस वक्त भी चाहें कोई कारण दिखला सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि "ऐसे ही" रख देने से वह साफ हो जायगा और उसकी एक लिमिट हो जाती है कि जब कोई ऐसी ही परिस्थिति पैदा हो जाय तभी वे लाक आउट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय अवस्थी जी भी इसका समर्थन करेंगे और माननीय मंत्री जी तो इसको मंजूर कर ही लेंगे। अगर ऐसा न किया जाय तो यह बहुत वेग सा मालूम होता है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको मंजूर होना चाहिये। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन हमारे माननीय मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने पेश किया है इससे मजदूरों पर बुरा असर पड़ने वाला है। मैं इस बात की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर "ऐसे ही" कारणवश कर दिया जाय तो इन्हीं कारणों में मालिकों का और कामबन्दी का जो सिलसिला है उसकी बात आ जायगी और इसके लिमिट करने का मतलब है कि उनको जो कम्पेनसेशन और रिलीफ दूसरे किस्म की मिलती है वह सारी रिलीफ लिमिट हो जायगी उन्हीं किन्ही कारणों में। मान लिया जाय कि कहीं फ्लड आ गया, बड़ा आ गया, कहीं रायट्स हो गया या कहीं लड़ाई हो गयी और कच्चे माल का भारत में आना रुक गया, तो अगर वह स्थिति कायम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा।]

हो गयी तो फिर यह स्थिति वहां के मशीन टूटने से ताल्लुक रखती है, कच्चे माल के उत्पादन के सिलसिले में ताल्लुक रखती है वगैरह-वगैरह, और ऐसी हालत में इनका स्कोप लिमिटड हो जाय तो मालिकों को रिट्रेंचमेंट का एक अच्छा मौका मिल जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात को देखते हुए माननीय मल्ल जी इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि "ऐसे ही" शब्द को रख करके माननीय मल्ल जी गवर्नमेंट का हाथ क्यों बांधना चाहते हैं। जो यह धारा है वह बिल्कुल साफ है और मैं समझता हूं कि उसमें मोडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। "ऐसे ही" शब्द होने पर तो उनको और भी एतराज हो सकता है। इसलिये मैं उनको सलाह दूंगा कि वे फिर से समझ कर इसे वापस ले लें।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न है कामबन्दी का और कामबन्दी के बारे में इसी ऐक्ट में और इसके पहले से भी नियम है कि यदि कामबन्दी हो मालिक की तरफ से तो उसको मुआविजा मिलता है ४५ दिन की तनख्वाह। ऐसी हालत में अगर हम इस चीज को मान लेते हैं "ऐसे ही" कारण वश, तो अगर ऐसा कारण न होकर कोई और कारण हो तो जैसा कि बहुगुणा जी ने बतलाया कि ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में मालिकों के और हमारे अन्दर मतभेद हो सकता है। अगर वह कहें कि कामबन्दी के कारण हैं और हम कहें कि कारण नहीं हैं तो अगर हमारे अन्दर शक्ति हो तो उस मौके पर हम उसका मुआविजा उससे ले सकते हैं। लेकिन "ऐसे ही" हो जाने से हम बंध जायेंगे। इसलिये जब कि यह चीज जाहिर है, मैं समझता हूं कि माननीय जगन्नाथ मल्ल जी इसको वापस ले लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—मैं समझता हूं वह इसको वापस ले लेंगे लेकिन अगर वह वापस लेने को तैयार नहीं हैं तो मैं उनको बता दूं कि "अन्य" ही अधिक व्यापक है, अगर हम इन कारणों के अलावा देखते हैं कि मिलमालिक काम बन्द करता है तो उन अन्य कारणों से भी श्रमिकों को अधिकार प्राप्त हो सकेंगे और "ऐसे ही अन्य कारणों से" कहने से तो हम सीमित कर देते हैं और उनको बहुत सी हालतों में मुआवजा नहीं मिल सकेगा, कुछ में मिलेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे अन्यथा मैं इसका विरोध करता हूं।

*__श्री जगन्नाथ मल्ल__—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह था कि कामबन्दी जो है वह और किसी हालत में न की जाय लेकिन माननीय बहुगुणा जी ने जो तर्क दिया और माननीय अवस्थी जी ने जो उसी को दोहराया उससे मैं समझता हूं यह जरूरी है कि अगर कभी बाढ़ आये तो उसमें मुश्किल हो जायगी उसे मैंने समझा। मेरे संशोधन का तो मतलब था कि बाढ़ आवे ही नहीं लेकिन मजबूरी है वह आ जाती है और रोकने के मार की नहीं रहती। खैर, मैं सरकार की तरह हठधर्मी तो नहीं करता, मिश्रजी ने जो कुछ कहा वह तो मेरी समझ में नहीं आया, वह कोई तर्क नहीं हुआ लेकिन अब मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (झ) के भाग (१) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

"मालिक के अन्तर्गत वह ठेकेदार भी शामिल होंगे जो किसी उद्योग में नियोजित श्रमिकों से काम लेते हों जो कारखाने या उद्योग में होने वाले कार्य की अंशतः पूर्ति करता हो।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं चाहता हूं कि मालिक की परिभाषा में ठेकेदार जरूर आ जायं जो कि मिलों में ठेके पर मजदूरों को भर्ती करके काम कराते हैं। अवस्थी जी को तो इसका तजुर्बा होगा, मैंने पहले भी बताया कि कानपुर में मिल मालिक ठेकेदार मुकर्रर कर देते हैं मिल में काम कराने के लिये और वह छांट कर जिनको ८० रुपया देते हैं उनको ठेकेदार ६० रुपया देते हैं फी मजदूर और जिनको ६० रुपया जाते हैं मिलसे उनको ठेकेदार ५० ही देते हैं और इस तरह से वह बीच में २० रुपया और दस रुपया फी मजदूर खा जाया करते हैं। इस तरह का जो श्रम का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है उसको रोकने के लिये मैंने यह रखा है। इस संशोधन को आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे। ठेकेदार भी इस में आ जाय तो अच्छा है और जैसा कि बहुगुणा जी ने कहा कि वह साफ नहीं है, इस तरह से स्पष्टीकरण हो जायगा और साफ हो जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने पेश किया है उसकी सभी बातों से मैं सहमत हूं। यह सही है कि मजदूरों के श्रम का बुरी तरह से शोषण हो रहा है इस ठेकेदारी प्रथा के जरिये लेकिन इस में दिक्कत यह होती है कि जबजब अदालतों में मुकदमे ले जाये गये तो वहां यह हुआ कि वहां जाकर एम्पलायर पार्टी न रहकर ठेकेदार पार्टी होते हैं और अगर फैसला उनके खिलाफ हो जाता है तो वह ठेकेदार काम छोड़ देता है और दूसरा ठेकेदार आ जाता है और इस तरह से मुकदमे का कोई नतीजा मजदूरों के हित में नहीं होता। इसलिये ठेकेदार भी मालिक की परिभाषा में आ जायं तो अच्छा होगा। इस तरह से ठेकेदार मजदूरों की टर्म्स ऐन्ड कंडीशन्स आफ एम्पलायमेंट के सिलसिले में एम्पलायर को बाध्य कर सकता है। वह फैसला अदालत का मजदूरी की दशा को नहीं सुधारता। मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की इस बात से सहमत हूं। यह बीमारी शुगर में भी है। गन्ने ढोने वालों में भी ठेकेदारी चलती है। बिजली में भी यह बीमारी है। कोयला ढोने वालो में भी ठेकेदारी की प्रथा है। यही प्रथा कानपुर में कपड़ा व इंजीनियरिंग में भी है बिल्टियां छुड़ाने में। श्रीमन्, गांठें बांधना यह काम भी ठेकेदारी से होता है। ठेकेदारी से जो शोषणहै, जो भावना माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की इस संशोधन के द्वारा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं लेकिनयह अनावश्यक हो जायगा क्योंकि इसी के क्लाज ५ में लिखा हुआ है यदि किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजन के लिये, किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन, किसी सम्पूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यतया उक्त उद्योग का एक भाग हों, संविदा करे, तो ऐसे उद्योग का स्वामी, ऐसे उद्योग का प्रिन्सिपल स्वामी अहर वह किसी से कांट्रेक्ट करे आधा, चौथाई या पूरा करे और उसके लिये ठेका दे तो वह मालिक भी एम्पलायर की परिभाषा में बंध जायगा और अगर वह एम्पलायर बन गया तो अदालत के सामने वह उस कांट्रेक्ट के लिये जिम्मेदार समझा जायगा। अदालत से अगर कोई फैसला हो गया तो दूसरा ठेकेदार यह नहीं कह सकेगा कि हमारे साथ यह नहीं हुआ था। एक इंडस्ट्री में एक फैसला जिन पार्टीज के बीच में होता है उन्हीं पार्टीज के बीच में वह लागू होता है पार्टी बदल जाय तो जस्टिस देसाई ने कहा कि बहुत फर्क की बात हो जाती है। इस धारा ५ से एम्पलायर को भी पार्टी बनाने का काम पूरा होता है। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक हो जाता है। मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी से निवेदन करूंगा कि चूंकि उनकी भावना इससे पूरी होती है इसलिये यह संशोधन अनावश्यक है उनके संशोधन में केवल किस कार्य के अंशतः ठेके का प्राविजन होता है लेकिन इस उपखंड के द्वारा अंशतः और पूरा ठेका कवर होता है। पूरी बिजली किसी को दे दें ठेके पर उस हालत में उनका संशोधन बेमानी हो जाता लेकिन इस परिभाषा में होल आफ दी वर्क या पार्ट आफ दी वर्क का कांट्रेक्ट हो वह सब कवर होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि वह अपने इस प्रस्ताव पर जोर देकर उसे वापस ले लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर--मैं भी नहीं समझता कि इस संशोधन की आवश्यकता है। अंग्रेजी में जो धारा है वह इस प्रकार है:--

"Where the owner of any industry in the course of or for the purpose of conducting the industry contracts with any person for the execution by or under such person of the whole or any part of any work which is ordinarily part of the industry, the owner of such industry ;"

मैं समझता हूं कि इसमें काफी से अधिक साफ कर दिया गया है कि यह धारा उन कांट्रेक्टर्स से संबंध रखती है जिनका जिक्र श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने अपने संशोधन द्वारा कराया है, इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी और माननीय बहुगुणा जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो उपधारा ५ है उसमें शब्द कांट्रेक्टर आ जाता है। इसमें उद्योग का स्वामी जरूर आ जाता है लेकिन कांट्रेक्टर नहीं आता। वह इस प्रकार है--

"Where the owner of any industry in the course of or for the purpose of conducting the industry contracts with any person for the execution by or under such person of the whole or any part of any work which is ordinarily part of the industry, the owner of such industry."

यानी जहां पर पर कोई उद्योग का स्वामी किसी उद्योग के सिलसिले में किसी व्यक्ति को ठेका देता है तो वह ऐसे उद्योग का स्वामी माना जायगा। इसका साफ-साफ मतलब यह है कि जैसे माननीय सूर्य प्रसाद जी को मैं ठेका देता हूं और मैं मालिक हूं। तो मालिक जी जरूर इस परिभाषा में आता है। लेकिन अवस्थी जी इसमें नहीं आते क्योंकि वह ठेकेदार हैं। मल्ल जी की इच्छा यह है कि दोनों आ जायं, क्योंकि यह हो सकता है कि कल को किसी मुकदमें में ठेकेदार ने कह दिया कि मालिक तो यह है। यही जिम्मेदार हैं। और मालिक ने कह दिया कि काम सारा तो कंट्रेक्टर ने किया है। तो ठेकेदार को बांधने के लिये यहां क्या है? क्योंकि अगर फैसला मालिक और ठेकेदार के ऊपर हुआ है और मालिक और ठेकेदार के बीच में टर्म्स आफ रेफरेंस में यह है नहीं, तो मालिक और कंट्रेक्टर इसमें दोनों आने चाहिये चाहे भाग एक में रहे या पांच में। इसमें कंट्रेक्टर को भी शामिल होना चाहिये और एम्प्लायर को भी शामिल होना चाहिये।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने जो कारण बताये हैं वह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। आप पढ़ें ६, मालिक के अन्तर्गत और अब इस पांच को उसके साथ पढ़े, "यदि किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजन के लिये, किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन, किसी संपूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यतया उक्त उद्योग का एक भाग हो, संविदा करे, तो ऐसे उद्योग का स्वामी"

श्री नारायणदत्त तिवारी--कंट्रेक्टर किसमें आता है यह बता दीजिये।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--कोई जरूरी नहीं है कि जिस आदमी से काम लें वह कंट्रेक्टर ही हो हम यह कहें कि इतनी मशीनों की मरम्मत करनी है इसको करवा दे, इतना कोयला है उसको ढुलवा दो, यह तो ठेकेदारी नहीं हुई। यह तो किसी आदमी को सर्विस में रख कर करवा सकते हैं। उसका काम सुपरविजन का रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अंग्रेजी में कंट्रेक्ट शब्द है। और अथारिटेटिव वही है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---बिल हिन्दी में पास हो रहा है। इसलिए मैं हिन्दी की बात कर रहा हूं। पालीवाल जी पीछे बैठे हैं। वह साहित्याचार्य हैं। उनसे पूछ लीजिए।

ऐसी दशा में मेरा अपना यह विश्वास है कि यह जो धारा है इस धारा के अन्तर्गत कंट्रेक्टर के आलावा किसी आदमी से जिससे आप कंट्रेक्ट न करके दूसरे तरीके से भी काम करना चाहें वह भी इसके अन्दर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह काफी वेग है। अगर इसको कंट्रेक्ट में ही डाल देंगे तो मेरा ख्याल है कि इस धारा का अच्छा असर नहीं रहेगा। इसलिए इसको पढ़ने के बाद जो हिन्दी में है आप इसे मान लेंगे।

*श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इन लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं। या समझते हुए लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक यह कहा जा रहा है कि यह धारा पांच में कंट्रेक्टर आ रहा है यह सही नहीं है, कंट्रेक्टर नहीं आ रहा है। कंट्रेक्टर से अगर कोई मिल मालिक काम लेता है तो ऐसे उद्योग का मालिक आ रहा है। ऐसे उद्योग का स्वामी पता नहीं कि यह आपकी समझ में कैसे नहीं आता।

फिर से मैं पढ़े देता हूं।

(५) "यदि किसी उद्योग का स्वामी उद्योग के संचालन के दौरान में या ऐसे उद्योग के संचालन के प्रयोजन के लिये, किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या उसके अधीन, किसी संपूर्ण कार्य के अथवा उसके किसी ऐसे भाग के निष्पादन के लिये जो सामान्यतया उक्त उद्योग का एक भाग हो, संविदा करे, तो ऐसे उद्योग का स्वामी,"

अगर किसी से कान्ट्रेक्ट से काम कराता है और कान्ट्रेक्टर कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी भी रेसपांसिबिलिटी मालिक पर आती है जिस मालिक ने उसको कानट्रेक्ट दिया है। कांट्रेक्टर तो आ ही नहीं रहा है मालिक की परिभाषा में। यही हमारे दोस्त लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कांट्रेक्टर गड़बड़ करता है तो धारा ५ के अनुसार उसका मालिक ही पकड़ा जायगा लेकिन कांट्रेक्टर पर भी बाइन्डिगं हो कि वह ८० रुपया तन्ख्वाह दे मजदूर को कानपुर में। यह बाइन्डिग नहीं हो पा रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कांट्रेक्टर भी मिल मालिक की परिभाषा में आ जाय ताकि उसके लिये लाजिमी हो कि वह ८० रु० मजदूरों को दे। मेरे संशोधन का यही मतलब है। स्वामी ही आता है। कांट्रेक्टर नहीं आता है। तो मेरे संशोधन का मतलब है कि कांट्रेक्टर भी आ जाय स्वामी की परिभाषा में।

आचार्य जुगल किशोर---मैं समझता हूं जो श्री जगन्नाथ मल्ल जी का भ्रम है वह दूर हो जाना चाहिये। क्योंकि इसमें खतरा यह है कि कांट्रेक्टर को काम दिया और वह १० दिन काम कराके चला गया तो उसको कौन पकड़ता फिरेगा। एमप्लायर है वह जिम्मेदार होगा उनकी शर्तों को पूरा करने के लिये जो श्रमिकों की शर्तें होती हैं। इसलिये कि कांट्रेक्टर तो चला जायगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं वह समझ गये होंगे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (झ) के भाग (१) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय---

"मालिक के अन्तर्गत वह ठेकेदार भी शामिल होंगे जो किसी उद्योग में नियोजित श्रमिकों से काम लेते हों जो कारखाने या उद्योग में होने वाले कार्य की अंशतः पूर्ति करता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (फ) की पंक्ति ५ के शब्द "से" तथा शब्द "इन्कार" के बीच में शब्द "अपनी मांगे मनवाने के लिये" जोड़ दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

श्रीमन्, इसमें हड़ताल की परिभाषा दी हुई है और यह लिखा हुआ है:—

" 'हड़ताल' का तात्पर्य किसी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के किसी समुदाय (body) द्वारा, सामूहिक रूप से (in combination) काम को ठप करना अथवा कितने व्यक्तियों द्वारा जो इस प्रकार नियुक्त किये गये हों, बराबर कार्य करने के लिये अथवा कार्य स्वीकार करने के लिये सामूहिक रूप से अथवा सामूहिक बोध (common understanding) से इन्कार करना है"

मेरा संशोधन है कि शब्द "से" और शब्द "इन्कार" के बीच "अपनी मांगें मनवाने के लिये" इस संशोधन का महज मतलब यह है कि अगरचे मजदूर अपनी मांगें मनवाने के लिये हड़ताल करता है तो तभी वह हड़ताल की परिभाषा में आवे। इसका मतलब यह नहीं कि कोई देश का बड़ा नेता मरे और मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो उस हड़ताल में मजदूरों को हटा दें या किसी त्योहार पर मजदूर या मेले पर मजदूर छुट्टी मांगता है और उसको छुट्टी नहीं देते तो अगर उस दिन मजदूर काम पर नहीं जाता है तो उसे हड़ताल नहीं मानना चाहिये। तो इसलिए अपनी मांगें मनवाने के लिए मजदूर जो करे तब तो वह इल्लीगल स्ट्राइक हो सकती है। लेकिन अगरचे इस तरह से किसी नेशनल लीडर का स्वर्गवास हो जाने के कारण करता है हालांकि मैं चाहता नहीं कि कोई नेशनल लीडर मर जाय लेकिन फिर भी मरेंगे ही, मरना कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह रख देने से बिल्कुल साफ हो जायगा और मिल मालिकों को यह मौका नहीं मिलेगा कि इस तरह की कोई शरारत करें। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको मानने में और मैं समझता हूं कि इसको सब लोग स्वीकार करेंगे।

प्राचार्य जुगल किशोर—मैं तो इसका कोई खास मतलब समझा नहीं, क्योंकि हड़ताल के बारे में यह दिया है कि किन-किन कारणों से हड़ताल मानी जायगी और उनमें यह भी बातें दी गई हैं। तो इसके स्वीकार करने से कोई हड़तालों का महत्व बढ़ जायगा या कोई नई कानूनी होंगी तो वह कानूनी हो जायंगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि मैं समझा ही नहीं पाता हूं और मैं क्या करूं माननीय अवस्थी जी वहां पर बैठे हुए हैं, वह उनको समझा दें तो समझ में आ जाय.....

प्राचार्य जुगल किशोर—आपके पास भेज दूं ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—नहीं। आपके पास रहेंगे तो ज्यादा मदद तो हमारी होगी। मैं समझता हूं कि बिलकुल साफ मतलब है कि अगर्चे मजदूर अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल करता है और इल्लीगल अगरचे करता है तो वह तो इल्लीगल मानी जाय लेकिन अपनी मांग के लिए नहीं करता है किसी नेशनल लीडर के स्वर्गवास पर हड़ताल करता है या जैसे मैं ने बताया है तो वह हड़ताल की परिभाषा में नहीं आना चाहिए। महज मेरे कहने का मतलब यही है। और यह बिलकुल साफ है। इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अवस्थी जी बैठे हुए हैं वह माननीय मन्त्री जी को कुछ समझाने की कोशिश करें तो शायद वह मान लें। इससे केवल यही हो जाता है कि इस किस्म की अगर कोई हड़ताल करे तो उसको हड़ताल न माना जाय, उसकी सर्विस खत्म न की जाय। यही मेरे कहने का और मेरे संशोधन का मतलब है।

प्राचार्य जुगल किशोर—मैं तो मुनासिब नहीं समझता कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा २ की उपधारा (फ) की पंक्ति ५ के शब्द "से" तथा शब्द "इन्कार" के बीच में शब्द "अपनी मांगें मनवाने के लिए" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३---मूल अधिनियम की धारा ३ का खंड (ग) तथा उस धारा के अन्त के प्रतिबन्धात्मक वाक्य का खंड (२) निकाल दिये जायं और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :---

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ३ का संशोधन।

"(घ) आज्ञा में उल्लिखित रीति से औद्योगिक झगड़ों का निपटारा करने के निमित्त समझौता बोर्डों का संघटन तथा कार्य संचालन करने के लिये।"

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "जायं" के बाद एक "विराम" रखा जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"खंड (गग) को '(ग)' कर दिया जाय।"

यह शाब्दिक संशोधन है। मेरा ख्याल है कि जगन्नाथ मल्ल जी तो इसे स्वीकार कर ही लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---मैं स्वीकार करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मुझे भी स्वीकार है, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति २ में शब्द "जायं" के बाद एक "विराम" रखा जाय और उसके पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"खंड (गग) को '(ग)' कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ४ का हटाया जाना तथा नयी धारा ४-क से लेकर ४-ट तक का रक्खा जाना।

४---मूल अधिनियम की धारा ४ हटा दी जाय और उसके पश्चात् नयी धाराएं ४-क से लेकर ४-ट तक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय---

श्रम न्यायालय।

"४-क---(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी मामले के सम्बन्ध में, औद्योगिक झगड़ों के निर्णय

के लिए तथा किसी ऐसे अन्य कार्य के सम्पादन के लिये जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपा जाय एक या एकाधिक न्यायालयों को संघटित कर सकती है।

(२) श्रम न्यायालय में केवल एक व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(३) कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (presiding officer) के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक—

(क) उसने सात वर्षों से अन्यून अवधि तक के लिये भारत में कोई न्यायिक पद (judicial office) न ग्रहण किया हो अथवा

(ख) धारा ४—घ के अधीन तैयार की गयी सूची में उसका नाम दर्ज न हो।

न्यायाधिकरण

४—ख—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित किसी भी मामले के सम्बन्ध में औद्योगिक झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक अथवा एकाधिक औद्योगिक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है।

(२) न्यायाधिकरण में सिवाय उस दशा के जब कि धारा ५—क के अधीन कोई अन्य व्यवस्था की गई हो, केवल एक व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी।

(३) कोई भी व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक कि—

(क) वह किसी हाई कोर्ट का जज न हो अथवा न रहा हो, अथवा

ऐक्ट संख्या ४८, १९५०।

(ख) वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (एपीलेट ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघटित किसी श्रम, अपील न्यायाधिकरण (Labour appellate tribunal) का दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिये, अथवा

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७।

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ ई० के अधीन संघटित किसी न्यायाधिकरण का पांच वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिये, चेयरमैन अथवा अन्य किसी सदस्य के रूप में पदासीन न रहा हो, अथवा

(ग) उसका नाम धारा ४—घ के अधीन तैयार की गई सूची में दर्ज न हो।

(४) राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, न्यायाधिकरण को उस के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये असेसरों के रूप में दो व्यक्तियों तक की नियुक्ति कर सकती है।

श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अनर्हताएं।

४—ग—कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर न तो नियुक्त किया जायगा और न बना रहेगा यदि—

(१) वह स्वतन्त्र (independent) व्यक्ति न हो, अथवा

(२) उसने ६५ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के निमित्त व्यक्तियों की सूचियां।

४–घ—धारा ४–क के अधीन श्रम न्यायालय तथा धारा ४–ख के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण निर्मित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार—

(क) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें, तथा

(ख) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें,

बनवायेगी तथा उस सूची को उसमें ऐसे परिवर्तनों (alterations) का समावेश करते हुए, रखेगी जिनकी सूचना धारा ४–ङ के अधीन नियुक्त समिति समय-समय पर प्रस्तुत करे।

समिति धारा ४–घ के अधीन सूचियां तैयार करेगी।

४–ङ—(१) अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, तीन व्यक्तियों की एक समिति संघठित की जायगी, जिनमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो या तो हाई कोर्ट का जज हो या रहा हो तथा अन्य दो व्यक्तियों में एक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (Chief Secretary) तथा दूसरे श्रम विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव (Secretary) होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन संघठित समिति धारा ४–घ में उल्लिखित सूचियां, नियत रीति से—

(क) उक्त धारा के खंड (क) में उल्लिखित सूची की दशा में, श्रम तथा उद्योग से सम्बद्ध विषयों में व्यक्ति की शिक्षा तथा व्यावहारिक अनुभव का ध्यान रखते हुए, तथा

(ख) उसके खण्ड (ख) में उल्लिखित सूची की दशा में व्यक्ति की उन विषयों की विशेष जानकारी का भी ध्यान रखते हुए, तैयार करेगी।

(३) कोई भी व्यक्ति, जो इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अथवा स्टेट हायर जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट लेबर सर्विस अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी समकक्ष सेवा का सदस्य न हो, उपधारा (२) के अधीन निर्मित सूचियों में दर्ज किये जाने का पात्र न होगा।

समझौता अधिकारी

४–च—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, उतने व्यक्तियों को, जितनों को वह उचित समझे, नियत की जाने वाली रीति से, औद्योगिक झगड़ों में मध्यस्थता करने तथा उन्हें निपटाने के कर्तव्य का पालन करने के निमित्त समझौता अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(२) समझौता अधिकारी किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के निमित्त नियुक्त किया जा सकता है।

रिक्तियों की पूर्ति

४–छ—यदि किसी कारणवश श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त हो जाय तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को रिक्ति-पूर्ति के निमित्त नियुक्त करेगी और यथास्थिति श्रम-न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष उसी चरण (stage) से, जब कि रिक्त-पूर्ति हुई हो, कार्यवाही जारी रक्खी जायगी।

आज्ञाओं का अन्तिम रूप देना (finality of orders)।

४—ज—बोर्ड में किसी भी व्यक्ति की अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति सम्बन्धी राज्य सरकार की आज्ञा पर किसी भी रीति से आपत्ति न की जा सकेगी, तथा किसी भी बोर्ड श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष किये गये किसी भी कार्य अथवा की गयी किसी भी कार्यवाही पर किसी भी रीति से केवल इस आधार पर आपत्ति न की जा सकेगी कि ऐसे बोर्ड, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के संघटन में कोई दोष था अथवा उसमें कोई रिक्ति रह गई थी।

परिवर्तन की नोटिस।

४—झ—कोई भी मालिक, जो तृतीय अनुसूची में उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी मजदूर की सेवा के प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहे, ऐसा परिवर्तन—

(क) ऐसे मजदूरों को जिन पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन के स्वरूप की निर्धारित रीति से सूचना दिये बिना ; तथा

(ख) ऐसी नोटिस देने के २१ दिन के भीतर, न करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दशा में उपर्युक्त कोई परिवर्तन कार्यान्वित करने के लिये कोई नोटिस आवश्यक न होगा जबकि—

(१) परिवर्तन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपिलेट ट्रिब्यूनल) ऐक्ट, १९५० के अधीन संघठित किसी पीनर्वाचिक न्यायाधिकरण (Appellate Tribunal) के किसी भी निपटारे, पंच-निर्णय अथवा निर्णय के अनुसार हो, अथवा

(२) वे मजदूर जिन पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ऐसे व्यक्ति हों जिन पर फन्डामेंटल ऐंड सप्लीमेंटरी रूल्स, सिविल सर्विसेज (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल ऐंड अपील) रूल्स, सिविल सर्विसेज (टेम्परारी सर्विस) रूल्स, अथवा कोई अन्य नियम अथवा विनियम लागू होते हों जो राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित किये जायं।

सरकार का मुक्त (exempt) करने का अधिकार।

४—ञ—जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं (establishments) के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४—झ के उपबन्धों के लागू होने से, तत्सम्बन्धित मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कि सम्बद्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, आदेश दे सकती है कि उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जायं।

श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को विवादों का अभिदेश (reference)

४—ट—जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा देकर उस झगड़े को, अथवा उससे सम्बद्ध अथवा संगत प्रतीत होने वाले किसी भी विषय को निर्णय के लिये, यदि औद्योगिक झगड़े का विषय उन विषयों में से एक हो जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है तो किसी श्रम न्यायालय को और यदि वह विषय प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में लिखित हो तो उसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप सकती है।"

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब विवाद किसी ऐसे विषय से सम्बद्ध हो जो द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट हो और उससे एक सौ से अधिक मजदूरों पर प्रभाव पड़ने की संभावना न हो तो राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, उसे श्रम न्यायालय को अभिदिष्ट कर सकती है।

श्री नवलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४-क के भाग (३) में उपखंड (ग) निम्न रूप से जोड़ दिया जाय---

"(ग) वह उस स्तर का ऐडवोकेट हो कि जज चुना जा सके।"

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर प्रेसाइडिंग आफिसर्स की नियुक्ति की बात है....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य ने जिस भाषा में सूचना दी है उसी में पढ़ें तो ठीक होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह प्रस्ताव एजेंडे में तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---नया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---एक कापी हमें मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य उस प्रस्ताव को ही पढ़ें जो उन्होंने मेरे पास भेजा है।

श्री नवल किशोर---प्रस्ताव यह है कि खंड ४(क) अन्तर्गत उपखंड (३) में एक नया सब क्लाज (ग) जोड़ दिया जाय:---

"(ग) वह इस स्तर का ऐडवोकेट न हो कि जो चुना जा सके।"

इस संशोधन से मेरा मंशा यह है कि जहां बहुत सी केटेगरीज बनाई हैं, मैं चाहता हूं कि जो ऐडवोकेट्स हैं उनको भी मौका हो।

आचार्य जुगल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि खंड ४ को इस समय न लिया जा कर बाद में लिया जाय यानी कल ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(खंड ४ पर विचार स्थगित हुआ।)

खंड ५

५---मूल अधिनियम की धारा ५ में--

(१) उपधारा (१) में आये हुये शब्द "तीसरी धारा के वाक्यखंड (घ)" के स्थान पर "धारा ४-ट" रख दिये जायं।

(२) उपधारा १ का खंड (२) निकाल दिया जाय।

सं०प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (२) के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं :---

"तथा खंड (३) को खंड (२) कर दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ शाब्दिक है, कुछ कहना नहीं है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिए जायं:--

"तथा खंड (३) को खंड (२) कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

सं० प्रा० ऐक्ट संख्या २८, १९४७ में नयी धारा ५(क) से ५ (ङ) तक का बढ़ाया जाना।

६---धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ५--क से ५--ङ तक के रूप में बढ़ा दिया जाय --

न्यायाधिकरण की विशेष रचना

"५--क---(१) जब कोई औद्योगिक झगड़ा धारा ४--ट के अधीन किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाय तो राज्य सरकार, झगड़े के प्रकार एवं उद्योग पर अथवा उसके किसी भाग पर उसके निर्णय के सम्भाव्य प्रभाव का ध्यान रखते हुये, अथवा यदि झगड़ा ऐसा हो जिससे संभवतः एकाधिक औद्योगिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता हो, यदि उसके विचार में ऐसा करना आवश्यक हो तो, उक्त धारा में किसी भी बात के होते हुये भी, तीन व्यक्तियों का एक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है जिसमें से एक व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार नामोद्दिष्ट करेगी, अध्यक्ष होगा।

(२) उपधारा (१) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर औद्योगिक न्यायाधिकरण के संघटन नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं और अनर्हताओं, ऐसे न्यायाधिकरणों के अधिकार और कर्त्तव्य उनके द्वारा औद्योगिक झगड़ों की सुनवाई और निस्तारण में अनुसरणीय प्रक्रिया, निर्णय के प्रदान, इसके परिष्कार तथा इसकी कार्यान्विति से सम्बद्ध इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन संघटित न्यायाधिकरण पर लागू होंगे।

झगड़ों का निर्णय (arbitration) के लिये स्वेच्छा-पूर्वक सौंपा जाना।

५---(ख)---(१) जब कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तथा मालिक और मजदूर उस झगड़े को मध्यस्थ निर्णय के लिये अभिदिष्ट करने पर एकमत हों तो वे, धारा ४ (ट) के अधीन किसी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण को झगड़ा अभिदिष्ट करने से पूर्व, उस लिखित करार (agreement) करके मध्यस्थ निर्णय के निमित्त सौंप सकते हैं तथा यह अभिदेश (reference) ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को (जिसके अन्तर्गत श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी भी हैं।) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के रूप में होगा जो मध्यस्थ निर्णय संबंधी करार में उल्लिखित हों।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट मध्यस्थता संबंधी करार ऐसे रूप में होगा तथा सम्बद्ध पक्षों द्वारा ऐसी रीति से हस्ताक्षरित होगा जो नियत की जाय।

(३) मध्यस्थता संबंधी करार की एक-एक प्रति राज्य सरकार संबंधित समझौता अधिकारी तथा श्रम कमिश्नर को अग्रसारित की जायगी तथा राज्य सरकार ऐसी प्रति के प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर, उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी।

(४) मध्यस्थ अथवा मध्यस्थ-गण झगड़े की छानबीन करेंगे तथा यथास्थिति मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित पंच निर्णय राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेंगे।

(५) आर्बिट्रेशन ऐक्ट, १९४० की कोई भी बात इस धारा के अधीन मध्यस्थ निर्णय पर लागू न होगी। ऐक्ट, संख्या १०, १९४०।

बोर्डों, श्रम-न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया तथा उनके अधिकार।

५-ग--(१) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो इस संबंध में बनाये जायं कोई भी मध्यस्थ श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण ऐसी प्रक्रिया (procedure) का अनुसरण करेगी जिसे मध्यस्थ अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण उचित समझे।

(२) श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का कोई पीठासीन अधिकारी किसी विद्यमान अथवा आशंकित औद्योगिक झगड़े की जांच के प्रयोजन से, उचित नोटिस दे देने के पश्चात्, किसी ऐसी संस्था (establishment) द्वारा अध्यासित भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है जिससे कि झगड़ा सम्बद्ध हो।

(३) प्रत्येक बोर्ड, श्रम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी मुकद्दमे का परीक्षण करते समय वही अधिकार प्राप्त होंगे जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित रहते हैं, यथा-- ऐक्ट, संख्या १९०८।

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति प्राप्त करना तथा उसे शपथ दिला कर अथवा प्रतिज्ञान अथवा अन्य किसी प्रकार उसका परीक्षण करना,

(ख) लेख्यों तथा स्थूल वस्तुओं (material) को प्राप्त करने तथा उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना,

(घ) किसी झगड़े से सम्बद्ध संपत्ति अथवा किसी वस्तु का, जिसके अन्तर्गत मशीनें भी हैं, निरीक्षण करना, तथा

(ङ) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं तथा किसी भी श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच या अनुसंधान इंडियन पेनल कोड की धारा १९३ तथा २२८ के प्रयोजनों के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही (judicial proceeding) समझी जायगी ऐक्ट संख्या ४५, १८६०।

समझौता अधिकारी का अधिकार

५-(घ)--(१) कोई समझौता अधिकारी किसी भी ऐसे लेख्य को मंगा सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है जिसे वह किन्हीं कारणों के आधार पर औद्योगिक झगड़े से सुसंगत समझता हो।

(२) कोई समझौता अधिकारी किसी भी विद्यमान अथवा आशंकित झगड़े की जांच करने के प्रयोजन से उचित नोटिस देने के पश्चात् किसी भी संस्था द्वारा अध्यासित किसी भूगृहादि में प्रवेश कर सकता है।

५—(ङ)—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए किसी मध्यस्थ अथवा श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण-न्यायाधीश के समक्ष किसी कार्यवाही का व्यय अथवा आनुषंगिक व्यय मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के विवेकाधीन होगा तथा मध्यस्थ, श्रम न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण, जैसी भी दशा हो, को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अवधारित करे कि किसके द्वारा और किस को और किस सीमा तक और किन प्रतिबन्धों के अधीन, यदि कोई हों, ऐसा व्यय अदा किया जाय तथा उसे उपर्युक्त प्रयोजन के निमित्त समस्त आदेश देने का अधिकार होगा तथा ऐसे व्यय, व्यय पाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किये जा सकेंगे।

व्यय का प्रदान (award of cost)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं खंड ६ के उपखंड (१) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं:—

"प्रतिबन्ध यह है कि ये तीनों व्यक्ति हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जजों की योग्यता के व्यक्ति होंगे।"

इसमें जो तीन व्यक्तियों के निर्णय करने की व्यवस्था है उसमें कोई योग्यता स्पष्ट नहीं की गई है तो इसमें हमें आशंका यह होती है कि किसी भी व्यक्ति को मुकर्रर किया जा सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि उनकी योग्यता निश्चित हो जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात है जिसको सभी लोग स्वीकार करेंगे। इसलिये इस विषय में मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अगर मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे तो सदन का समय बच जायगा। अगर वह स्वीकार नहीं करेंगे तो मंत्री जी के उत्तर के बाद मैं उत्तर दे सकूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने उपस्थित किया है उससे मेरा एक बुनियादी विरोध है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसके अनुसार न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) बनेगा। उसमें एक लिमिटेशन से ही लोग उसके मेम्बर हो सकेंगे और वह यह कि जो लोग या तो हाई कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जजों की हैसियत रखते हों। अगर इस स्थिति पर आप विचार करें तो मैं उस जमाने में पैदा हुआ हूं कि जिस जमाने को बनाने में माननीय पालीवाल जी जैसे सरीखे लोगों का हाथ रहा है। और हाई कोर्ट की परम्परायें तब बनीं जब नार्ड मेकाले इधर आये होंगे। उन परम्पराओं में पले हुये, कंस्टीट्यूशनल राइट्स ऐंड लायबिलिटीज को इक्वेट करने के ज्ञान में वे इतने डूबे हुये हैं कि दूसरी तरफ देखने में उनको जरा दिक्कत होती है। लेकिन सवाल तो यह रह जाता है कि क्या हाई कोर्ट के जज को ही इस अधिकार को बनाने के योग्य हम समझते हैं? यह ठीक है कि हाई कोर्ट में अच्छे से अच्छे जज मिलेंगे लेकिन सरकार को इस बन्धन में बांधने से बड़ी दिक्कत होगी। हाई कोर्ट के बाहर भी हमें अच्छे और योग्य आदमी मिल सकते हैं। मिसाल के लिये मैं आपको स्वर्गीय निम्बकर साहब की याद दिलाता हूं जिनका स्मरण आज हम सभी आदर के साथ करते हैं। वे किसी कोर्ट के जज नहीं थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण उपस्थित किया वह हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं, सारे देश के लिये एक लैंड मार्क है। कानूनी प्रश्नों के हल करने में

लिये तो हाई कोर्ट के जजेज की आवश्यकता होगी वरना इन छोटी-छोटी बातों में सरकार को इस तरह से बांध देना उचित नहीं होगा। इस तरह से यहां जजेज वगैरह की बात नहीं रखना चाहिये।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी बहुगुणा जी ने कहा कि सरकार को इस प्रकार के बंधनों में बांधना उचित नहीं होगा और उन्होंने उदाहरण दिया कि अभी कुछ दिन पहले श्री निम्बकर आदि क ट्रिब्यूनल रह चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो व्यवस्था रही है उसमें हम गवर्नमेंट को ले आये तो वह उचित नहीं जंचता क्योंकि अभी तक हमारे लेबर के कार्यकर्ता या नेता रहे हैं उनको भावना सर्वव्यापी रही है। वह मजदूर वर्ग जाहे जिस तबके का हो, उन सभी तबकों के जो मजदूर नेता उनकी भावनाओं को मानने वाले और उनको पूरा करने वाले थे। परन्तु अब हम यह देख रहे हैं कि इस देश में अब पार्टीबंदी आ गई है और अब इस बात की आशा करना कि इस प्रकार के नेता अब मजदूरों के हित में निर्णय दे पायेंगे, उचित नहीं है। मुझे इस में बड़ा संदेह है क्योंकि वह नेता जो पार्टीबंदी में पड़े हुए हैं या किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या किसी पार्टी को लीड करते हैं, हो सकता है कि मजदूरों को उचित न्याय न दे सकें। इसलिये माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन रखा है कि उसके जो तीन सदस्य हों वे हाईकोर्ट के जज हों या उनकी योग्यता के हों, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज केवल जज ही वह लोग हैं कि जिनको पार्टीबंदी के ऊपर रखा जा सकता है। आजकल वे ही पार्टीबंदी के ऊपर समझे जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को ही इसमें होना चाहिये और उन के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को इस में अवसर न देना चाहिये।

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमान्, पालीवाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और पालीवाल जी का संशोधन अगर ठीक तरीके से पढ़ा जाय तो मैं समझता हूं कि उस के विरोध में शायद किसी भी माननीय सदस्य को खड़े होने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होगी।

पेज ११ में जो खंड ६ है उसकी धारा ५ के (क) के प्रथम में यह संशोधन किया गया है। और यह न्यायाधिकरण की स्थापना इसलिए की गई है कि खंड ४ के ट में जो झगड़ा खड़ा होगा उसको यह निपटाये। आप देखें ५—क (१) में लिखा है अंत में तीन व्यक्तियों का एक न्यायाधिकरण संघटित कर सकती है जिसमें से एक व्यक्ति जिसे राज्य सरकार नामोद्दिष्ट करेगी, अध्यक्ष होगा। यह न्यायाधिकरण बनेगा धारा ४—ट के लिये। धारा ४—ट इस प्रकार है :—

"४—ट—जब राज्य सरकार की राय में कोई औद्योगिक झगड़ा विद्यमान हो अथवा उसकी आशंका हो तो वह किसी भी समय लिखित आज्ञा दे कर उस झगड़े को, अथवा उससे सम्बद्ध अथवा प्रतीत होने वाले किसी भी विषय को निर्णय के लिये, यदि औद्योगिक झगड़े का विषय उन विषयों में से एक हो जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है तो किसी श्रम न्यायालय को और यदि वह विषय प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हो तो उसे किसी न्यायाधिकरण को सौंप सकती है।"

अब यह प्रथम और द्वितीय अनुसूची क्या हैं? यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको भी सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ दूं। प्रथम अनुसूची पेज २६ पर है। प्रथम अनुसूची में है स्थायी आदेश के अधीन मालिक द्वारा प्रचारित आज्ञा का औचित्य तथा उसकी वैधता। मैं माननीय सदस्य इलाहाबाद से निवेदन करूंगा कि वह जरा देखें कि अनुसूची में विषय कौन-कौन आते हैं? वैधता शब्द पहले ही आता है। बहुगुणाजी ने कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

कि वह बुनियादी बात कह रहे हैं। मगर वह समझे नहीं कि उन्होंने कुछ अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग कर दिया। जिस संशोधन द्वारा माननीय पालीवाल जी जजों की नियुक्त कराना चाहते हों या ऐसे व्यक्तियों को चाहते हों जो जज होने की योग्यता रखते हों तो वह निर्णय देगा जहां पर किसी औचित्य या वैधता का संबंध हो। तो औचित्य और वैधता है या नहीं। माननीय मंत्री जी सोचेंगे कि इसके बारे में निर्णय कौन दे सकता है। कांग्रेस सरकार का वह अधिकारी जो कभी कभी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में भी कार्य कर दिया करता है या कोई हाई कोर्ट का जज? माननीय बहुगुणा जी हमसे कहते हैं कि कंसीलियेशन आफीसर किस प्रकार से मजदूरों के हित की रक्षा कर पाये हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—श्रीमान, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि कंसीलियेशन आफिसर यहां उत्तर नहीं दे सकते तो क्या उनके लिये यह कहना उचित होगा?

श्री राजनारायण—श्रीमान, मैं यह चाहता हूं कि माननीय बहुगुणाजी हमको व्यक्तियों के नाम लेने को बाध्य न करें वरना मैं ऐसे लोगों के नाम जानता हूं कि उनके केस को हमने माननीय मंत्रीजी के सामने रखा है कि किस तरह से फ्राड हुआ है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अगर वह गलती करते हैं तो आप न करें।

श्री राजनारायण—गलती नहीं है। मैं उसी समय चाहता था कि मैं उन्हें टोक दूं। लेकिन मैंने सोचा कि कहने दीजिए क्योंकि अगर इतना विधान सभा में नहीं कहा जायगा तो काम नहीं बन पायेगा। मैं चाहूंगा कि जैसे पार्लियामेंट में जब गवर्नर इत्यादि के बारे में माननीय कृपलानीजी ने आक्षेप किया था तो जवाहरलाल जी खड़े हुये थे और कहा था कि ऐसा होना ही चाहिये। यह मैंने केवल मिसाल के लिये कहा है।

इस अनुसूची में दूसरा है स्थायी आदेशों का लागू होना तथा उनका निश्चित। तीसरा है मजदूरों की बरखास्तगी तथा उनका सेवा मुक्त किया जाना जिसके अन्तर्गत दोषपूर्ण ढंग से बरखास्त किये गये मजदूरों को फिर से उनके पद पर नियुक्त करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना भी है। चौथा है किसी प्रचलित रियायत अथवा विशेषाधिकार का वापस लिया जाना और पांचवां है किसी भी हड़ताल अथवा द्वादावरोध की अवैधता अथवा अन्यथा और छठा है द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न समस्त विषय। दूसरी अनुसूची में क्या है? २७ पेज पर आप देखेंगे तो यह दिया हुआ है—

१—मजदूरी जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग है,

२—प्रतिकरात्मक तथा अन्य भत्ते,

३—कार्य के घंटे तथा विश्राम के मध्यान्तरण,

४—मजदूरी सहित अवकाश तथा छुट्टियां,

५—बोनस, लाभांश, भविष्य निधि तथा उपदान,

६—स्थायी आदेशों की प्रणाली से भिन्न पारी का संचालन,

७—वेतन क्रम के अनुसार वर्गीकरण,

८—अनुशासन के नियम,

९—अनिवार्यीकरण,

१०—मजदूरों की छटनी तथा संस्था का बन्द होना, तथा

११—अन्य कोई विषय जो निर्दिष्ट किये जायं।

श्रीमन्, इन दोनों अनुसूचियों में जो विषय हैं उन पर विचार करने के लिये एक न्यायाधिकरण की स्थापना होगी। जो न्यायाधिकरण संगठित है उसमें तीन व्यक्ति रहेंगे। जो उसका अध्यक्ष होगा उसको राज्य सरकार नोमीनेट करेगी। क्या राज्य सरकार द्वारा यह किया जाना जायज है? क्या वह इस तरह से इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की हिफाजत कर रहे हैं? क्या इस तरह से जो अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है उस अधिकार से जो आदमी नियुक्त किया जायगा वह रूलिंग पार्टी के दिलक का न होगा? श्रीमन्, आप मुझे क्षमा करेंगे मैं पटना से आ रहा हूं। जब मैं बनारस पहुंचा तो मैंने 'लीडर' अखबार पढ़ा। पटना में भी जहां मैं गया था १,३०२ आदमियों की गिरफ्तारी हुई। वहां भी एक व्यापक झगड़ा था। लेकिन छोड़िये मैं यह कह रहा हूं कि लीडर अखबार में जो खबर निकली वह इस विधेयक से पूरी-पूरी तरह संबंध रखती थी। कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य जो कि यहां मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा और समाचार-पत्रों में निकला कि माननीय गुप्ता जी उद्योगपतियों से पैसा ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अखबारों में तो बहुत सी बातें निकला करती हैं। आप उनके आधार पर यहां कोई बात न कहें।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। यह झगड़े वाला बिल पेश है। आप बेकार का झगड़ा यहां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा मांगा जा रहा है। आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उनसे कह चुका हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—चूंकि इस बिल का नाम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ है इसलिए इसके सिलसिले में कोई झगड़े की बात हो तो मैं समझता हूं वह व्यर्थ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन इसमें झगड़े की बाते जितनी कम हों उतना ही अच्छा है।

श्री राजनारायण—मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो झगड़े के निराकरण की बात कर रहा हूं। जिससे झगड़े की कोई गुंजाइश ही न हो। चाहे कोई मेरी बात समझे या न समझे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरी बात जरूर समझ रहे होंगे। वह कर न पायें यह बात दूसरी है, लेकिन वह हमारी बात समझते सब हैं। माननीय पालीवाल जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह बहुत ही उचित है, इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि सब कैपिटलिस्ट्स ही न बना दिये जायं, जो कि उनकी पार्टी से सम्बन्धित हों। कोई इसकी गारंटी दे कर बतलाये कि जब आम निर्वाचन हमारे सर पर लटका हुआ है और सारा वातावरण दूषित कर के पूंजीपतियों से पैसा ले रहे हैं तो ऐसी हालत में अगर हम इसकी पाबन्दी नहीं लगायेंगे तो किसकी पाबंदी लगायेंगे। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जब यहां सत्य का उद्घाटन होता है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को परेशानी होने लगती है और वे बराबर इधर उधर की बातें करने लगते हैं जिससे कोई उनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश न कर दे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कमेटी का अध्यक्ष वही होना चाहिये, इस कमेटी का सदस्य वही होना चाहिये जिनके ऊपर कि कम से कम हम गुंजाइश कर सकें कि वह प्रभावित हो सकता है। जजों के बारे में हमको कम शंका होती है और एक दूसरा एक्जीक्यूटिव का जो आदमी है, जो सरकारी कर्मचारी है उसके ऊपर ज्यादा शंका होती है। हम देखते हैं कि आज जिस तरह से सारे प्रदेश में मजदूरों के हितों की अवहेलना हो रही है, जिस तरह से मजदूरों के हकों पर कुठाराघात हो रहा है, जिस शख्स को ट्रिब्युनल में भेजना चाहिये उसको नहीं भेजा जाता है और सरकार जिसको चाहती है अपने मन से भेजती है और जिस को नहीं चाहती है उसको नहीं भेजती है। यह उदाहरण के लिये मैंने आपको बतलाया ....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---एक वैधानिक प्रश्न है । जिस क्लाज पर बहस हो रही है उसी क्लाज पर माननीय सदस्य को बोलना चाहिये । मैं नहीं जानता कि उन्होंने जनरल डिबेट में हिस्सा लिया था या नहीं लेकिन जनरल डिस्कशन के वक्त की बातें किसी खास क्लाज पर डिस्कशन के वक्त नहीं आनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---आप खंड के ऊपर ही बोलें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं नहीं समझता कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझसे ज्यादा सम्बन्धित विषयों पर यहां कहा है । हमने तो सारी अनुसूचियां पढ़ी हैं और उनकी विशेषता को सामने रख दिया है । और जो शंकायें हैं उनको भी सामने रख दिया है । श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि माननीय बहुगुणा जी इस समय मजदूरों के संगठन कार्य में इतना व्यस्त हैं कि मजदूरों के हिताहित के औचित्य और अनौचित्य पर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बड़े अनर्थ की बात मजदूरों के लिये हो जायगी । इस वक्त वे इसको भले ही न समझें लेकिन बाद में इस गलती को वे महसूस करेंगे । क्या यह फैसला करने वाले की क्षमता पर निर्भर नहीं करता है कि वह किस तरह से फैसला करता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---हमने बहुत से फैसले देखे हैं ।

श्री राजनारायण---लेकिन उन फैसलों से बराबर मजदूरों के अहित ही हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप लोग आपस में बहस न करें ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपस की बात नहीं है । वे तो हमारे विरोधी हैं और उनकी गलतियों का जब मैं पर्दाफाश करने लगता हूं तो उनको परेशानी होने लगती है । चाहे कोई कितना ही कहे कि हम ईमानदार हैं, ईमानदार हैं, मगर जिससे उसका सम्बन्ध होता है वह व्यक्ति अगर उसके काम से समझ पाये कि ईमानदार है तब तो ठीक है लेकिन वह उसके काम से समझता है कि उसमें कुछ कमी है तो वह ईमानदार नहीं कहा जा सकता । इसलिये आज सरकार की ओर से कितना भी ढोल पीटा जा रहा है और प्रतिदिन समाचार-पत्रों में जवाहरलाल जी के ही दर्शन होते हैं और उनका बयान ही पढ़ने को मिलता है । श्रीमन्, एक माननीय सदस्य शालिग्राम जी हैं...

श्री उपाध्यक्ष---इससे उस बात का क्या ताल्लुक है ?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, बहुगुणा जी जब किसी जज के बारे में आक्षेप कर सकते हैं, उनकी नीयत पर आक्षेप कर सकते हैं कि वे ऐसे युग में पैदा हुए जब कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही शैतानियत का नंगा नाच नाच रही थी हिन्दुस्तान में । मैं मानता हूं, लेकिन उसी के साथ मैं कहूं कि आज जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, जिसके हाथ में शासन की बागडोर है, जिनके दादा परदादा ब्रिटिश साम्राज्यशाही के गुलामी में रहे हैं, जबकि हिन्दुस्तान में बिल्कुल तांडव नृत्य हो रहा था और उनकी बदमाशी भी है, तो यह कोई अनुचित तो नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी बात यहां नहीं कहनी चाहिये ।

श्री शिवनारायण---आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मान्यवर, माननीय राजनारायण ने कहा यह कांग्रेस सरकार उन लोगों के हाथ में है जिनके दादा परदादा अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मैं समझता हूं कि यह आक्षेप है और इसे उनको वापस लेना चाहिये ।

श्री राजनारायण---यह बिलकुल सही बात है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप किसी के ऊपर आक्षेप न करें ।

श्री राजनारायण—मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन जो वस्तुस्थिति है उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आप किसी जज को कह सकते हैं तो पंडित जवाहरलाल के दादे कौन थे? अगर वह कहते हैं तो हमें भी अधिकार है कि हम भी कहें, बहुगुणा जी क्यों कहते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं तो हम भी कहते हैं। मैं अपने अधिकारों की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहता लेकिन जब किसी सम्मानित जज के बारे में ऐसी बात कही जाती है तो वह ....

श्री उपाध्यक्ष—उसके लिये उनको भी रोका जा सकता है, लेकिन अब आपको ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यह आक्षेप है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं तो फैक्ट ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं अब माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपत्ति उठाई थी उसका आप ने कोई फैसला नहीं दिया।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अब ५ बज चुके हैं, क्या इस सदन की बैठक ५ के बाद भी चल सकती है?

श्री उपाध्यक्ष—अब ५ बजे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या वह अपना भाषण अभी जारी रखेंगे?

श्री राजनारायण—जी हां, अभी मैं और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—तो कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२९ अक्तूबर, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

उदय प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६७ पर)

प्रश्न संख्या ६ से संबंधित सूची

			ह०
१—क्षतिग्रस्त क्षेत्र (एकड़ों में)	..	..	२,४९,४००
२—क्षतिग्रस्त गांवों की संख्या	..	..	६५०
३—व्यक्तियों की संख्या जिनको क्षति पहुंची है		..	४२,७४०
४—क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट घर	..	..	क संख्या ४,५००
			ख मूल्य ४,६३,०००
५—व्यक्ति, मवेशी जो मर गये	..	..	व्यक्ति ९
			मवेशी २५
६ नष्ट हुई फसलों का मूल्य	..	..	लगभग ३७ लाख रुपया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६७ पर)

प्रश्न संख्या ७ से संबंधित सूची

	रु०
१—अहैतुक सहायता जिसमें बाढ़ संबंधी अन्य व्यय भी शामिल हैं ..	२०,०००
२—तकावी (ऐक्ट १२ के अधीन)	१,७०,०००

विधान सभा प्रतिष्ठा दिवस

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७५ पर)

भरारी तथा सैदपुर यांत्रिक क्षेत्रों के व्यय तथा आय का विवरण

राजकीय यांत्रिक क्षेत्र	१९५३–५४		१९५४–५५		१९५५–५६	
	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय
	रु०		रु०		रु०	
१—भरारी ..	३,२५,८३२	२,८८,३१७	२,८६,६४५	२,५७,३९०	२,७२,९९०	२,५०,१२५
२—सैदपुर ..	१,९७,२९३	१,१९,९५२	२,४०,७६७	१,५७,०९९	२,०४,०१०	८९,५७९

नोट:—(१) कृषि यांत्रिक क्षेत्रों के वार्षिक हानि लाभ का ब्योरा वित्तीय वर्ष (१ अप्रैल से आगामी ३१ मार्च तक) के अनुसार न होकर प्रति वर्ष १ जून से आगामी ३१ मई तक का बनाया जाता है। उपरोक्त वार्षिक आंकड़े इसी अनुसार दिये गये हैं।

(२) १९५५–५६ के वार्षिक आंकड़े अनुमानित हैं।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४० एल० ए०—१९५६–७९६।